खण्ड-225, अंक-5
सोमवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1883
(7 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा , डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र , श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी , डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त , श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पदमाकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरौंसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—स्वशासन राज्य मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों से संबंधित सड़क अनुदान के व्यय में कार्य की प्राथमिकता

१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग द्वारा दिये जाने वाले रोड ग्रांट से बनने वाले नये कार्यों में से उन्हीं कार्यों को बनाया जायगा जो पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित हैं तथा प्राथमिकता निर्धारण के लिये भी योजना का ही अनुकरण किया जायगा ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—जी नहीं। रोड ग्रांट के उपयोग करने के विषय में स्थानीय निकायों को स्वतंत्रता है, अतएव उसे किन सड़कों पर खर्च किया जाय, या किनको प्राथमिकता दी जाय इसका निर्धारण करना उन्हीं के हाथ में है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार के आदेश पर हर जिला अन्तरिम परिषद् ने अपने यहां, तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कौन-सी सड़कें और पुल बनेंगे उसके लिये, योजना बनाई है और प्राथमिकता भी निर्धारित की है जिसे सरकार ने मंजूर भी किया है ? यदि हां, तो सरकार ऐसा निर्देश देना क्यों उचित नहीं समझती कि पहले उसी को लिया जाय जिसकी प्राथमिकता निश्चित हो चुकी है ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जैसा कि उत्तर में कहा गया है, जो ये साधारण ग्रांट्स दी जाती हैं यह निकायों के ऊपर निर्भर रहता है कि किस तरह से खर्च करें। जो स्पेशल स्कीम पंचवर्षीय योजना के अनुसार बनती हैं यह उन्हीं निकायों का काम है कि उनके अनुसार खर्चा करें क्योंकि उन्हीं ने पंचवर्षीय योजना बनाई है, लेकिन साधारण ग्रांट्स में कोई प्राथमिकता यहां से नहीं फिक्स की जाती है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी जहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें मंजूर हुई हैं उन दशाओं में उनकी प्राथमिकता को बदल कर के जहां पर अन्तरिम जिला परिषदें ऐसी योजनायें ला रही हैं जो मन्जूर नहीं हैं और लिस्ट में भी नहीं हैं, और यह देखते हुये भी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये रुपया बहुत कम है, ऐसे आदेश उन्हें देंगे कि पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो प्रायरिटी लिस्ट उन्होंने मन्जूर की है उसे पूरा किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना यहां नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर अन्तरिम जिला परिषदों को और अन्य निकायों को, जो प्राथमिकता उन्होंने दे रखी है, उसको मानना चाहिये। यहां से अभी आदेश देने की जरूरत नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ये दो बातें हैं, एक तो पंचवर्षीय योजना के मुताबिक कार्य, और दूसरे जिला अन्तरिम परिषदों की स्वेच्छा पर छोड़े गये उनके पूर्व निश्चयों के अनुसार कार्य, इन दोनों बातों में सरकार के निर्देश किस बात को पहले लेने की तरफ हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने जैसा अर्ज किया कि यहां से जो ग्रांट्स-इन-एड सड़कों के लिये दी जाती हैं निकायों के लिये उसे वह साधारण मरम्मत में खर्च करती हैं । नयी सड़कें वह अपने फंड से बनाती हैं—आधा या उससे ज्यादा तो वह अपने फंड से खर्च करती हैं और जब अपना फंड वह लगाती हैं तो उन्हीं का इनिशियेटिव है कि किसमें खर्च करें ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जैसा कि मंत्री जी ने अभी बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो इस बात को सूचना मानते हुये कि उनके विभाग ने १ लाख ३९ हजार रुपया नैनीताल जिला बोर्ड को दिया था पुल बनाने के लिये लेकिन उन्होंने वह रुपया एक डाक बंगला बनाने में खर्च कर दिया वह इस तरह का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिस चीज के लिये रुपया दिया जाय उसी में वह खर्च किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आम तौर पर जो ग्रांट जिस काम के लिये दी जाती है उसमें ही वह खर्च होनी चाहिये । लेकिन अगर ऐसी चीज हुई है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है तो वह किन परिस्थितियों में हुआ है, यह पूछ लिया जायगा ।

वाराणसी में मेहतरों की हड़ताल

****२—श्री झारखण्डे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), **श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर), तथा **श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में गत कई सप्ताह से मेहतरों की हड़ताल चल रही है और उनमें से कई हजार गिरफ्तार भी हुये हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—२ जुलाई से वाराणसी नगर महापालिका के १,९७७ सफाई मजदूरों में से लगभग १,३०० मजदूरों ने हड़ताल आरम्भ कर दी थी जो अब करीब-करीब समाप्त हो चुकी है । १५ जुलाई को लगभग ८५० व्यक्तियों को धारा १४४ के आदेश के विरुद्ध कार्य करने पर गिरफ्तार किया गया था परन्तु दो-तीन दिन के अन्दर ८–१० व्यक्तियों के अतिरिक्त बाकी सब को छोड़ दिया गया ।

****३—श्री झारखण्डे राय** (अनुपस्थित), **श्री मदन पाण्डेय** तथा **श्री गेंदासिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मामले में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इस हड़ताल के विषय में कार्यवाही करने की प्राथमिक जिम्मेदारी नगर महापालिका की है । सरकार को प्राप्त सूचनाओं से यह विदित होता है कि मेहतरों के नेताओं ने हड़ताल को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है और तदनुसार करीब १,७२१ मेहतर काम पर वापस आ गये हैं । कुछ मेहतर अभी भी काम पर वापस नहीं आये हैं नगर महापालिका ने सफाई की व्यवस्था के लिये कुछ बाहरी मेहतरों को भी काम पर लगा रखा है ।

श्री मदन पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेहतरों की हड़ताल किन मांगों को लेकर हुई थी और उन्हें पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई थी ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न सरकार से संबंधित नहीं है, नगरमहापालिका से संबंधित है । कृपया आप प्रश्न स्पष्ट करें ।

श्री मदन पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरमहापालिका ने कोई ऐसी सूचना भेजी है जिसके अनुसार सदन जानकारी कर सके कि उनकी मांगें क्या थीं और उन्हें पूरा करने में नगरमहापालिका को क्या कठिनाई थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सफाई मजदूरों की मांगें इस तरह से थीं । रविवार को छुट्टी दी जाय । शासनादेश दिनांक २०-८-६० के पश्चात् रविवार को काम करने के लिये अतिरिक्त वेतन उन्हें दिया जाय । शासनादेश के अनुसार उनका मासिक वेतन बढ़ाया जाय ।

श्री मदन पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन शर्तों पर हड़ताल समाप्त हुई और कौन-कौन मांगें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मांगों के मंजूर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनके अनुसार छुट्टी दी जाती है। सवाल इतना ही था कि मेहतरों की तरफ से यह बात कही गई कि केवल रविवार को छुट्टी दी जाय और यहां से आर्डर यह है कि अकेले एक रोज की ही रविवार को सब को छुट्टी न दी जाय बल्कि क्रम से छुट्टी दी जाय जिससे सबको एक दिन की छट्टी मिल जाय । इसका कारण यह था कि शहर की सफाई भी होती रहे और लोगों को छुट्टी भी मिल जाय। जहां तक तनख्वाह बढ़ाने का सवल था, जैसा कि मांग में लिखा है, ऐसी चीज नहीं है । जो डियरनेस ऐलाउन्स बढ़ाया गया था, वाराणसी नगरमहापालिका ने गवर्नमेंट के आदेश पर हड़ताल करने से पहले ही डियरनेस एलाउन्स दे दिया था ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि एक दिन इतवार की सवेतन छुट्टी की उनकी मांग थी । इसके बारे में बताया है कि एक साथ एक दिन की छुट्टी की बात वह नहीं करते हैं बल्कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देने के आदेश नगरपालिका को दे दिये हैं। तो आदेश कब दिया और उसने कोई व्यवस्था की या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अर्ज किया नगरपालिका उसी के अनुसार छुट्टी दे रही है । पहले आदेश हुआ था कि आधे दिन की छुट्टी दी जाय । फिर आदेश हुआ कि एक पूरे दिन की छुट्टी दी जाय, और आदेशानुसार कई ग्रुप में दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कब दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—२५-२-६१ तथा १७-४-६१ को ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसका पता लगायेगी कि वाराणसी नगर-पालिका ने हफ्ते में एक दिन की सवेतन छुट्टी देने की शर्त लागू नहीं की थी और यही मूल कारण था हड़ताल करने का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरी इत्तला तो ऐसी नहीं है, क्योंकि छुट्टी के मानी होते हैं सवेतन छुट्टी दी जाय, वरना अगर वेतन काट कर छट्टी दी जाती है तो वह छुट्टी नहीं है। अगर कहीं ऐसी बात नहीं हुई होगी, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने बताया है, तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह जो १५ जुलाई को साढ़े ८ सौ व्यक्ति एक साथ गिरफ्तार किये गये, तो कौन-सी परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि साढ़े ८ सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—११ जुलाई को शहर में १४४ धारा लगाई गई थी। १५ तारीख को लोगों ने उसको भंग करना शुरू किया । जब कोई कानून भंग किया जाता है, तो कानून भंग करने वालों को उसके परिणामों के लिये तैयार रहना चाहिये। परिस्थिति साफ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या हड़ताल का एक कारण यह भी था कि सरकार ने जो समय समय पर आदेश जारी किये हैं कि मेहतर जो अपने सर पर कूड़े की डलिया ले जाते हैं, बजाय उसके व्हील बरोज दी जायं, और नगरपालिका इसका पालन नहीं कर रही थी ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो हड़ताल के कारण बताये थे उनमें यह नहीं था ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि दफा १४४ किन परिस्थितियों में लगायी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—धारा १४४ जब शान्ति भंग होने का अंदेशा होता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझता है कि कोई ऐसी चीजें हैं, तो लगायी जाती है। ऐसी परिस्थितियां बनारस में उत्पन्न हुई होंगी, इसलिए जिलाधीश ने १४४ लगायी।

श्री मदन पाण्डेय—यह जो साढ़े ८ सौ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये क्या इनमें से तीन-तीन महीने के बच्चे और स्त्रियां भी थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। सभी बालिग ही होंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[२१ अगस्त, १९६१ के लिए प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूप

*२—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप कितने हैं और उनमें से कितने चल रहे हैं ?

*३—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन सब पर जनता का कितना व्यय हुआ है और सहकारिता विभाग ने कितनी सहायता दी है तथा इनका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था ?

*४—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को शासन द्वारा अपने कब्जे में लेने की योजना कई वर्षों से चल रही है फिर भी वे सब के सब अभी तक किन कारणों से नहीं लिये गये ? अब कब तक अवश्य सरकार उन्हें ले सकेगी ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री जी शीघ्र सूचना प्राप्त करके पुनः यह प्रश्न उपस्थित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो आयेगा ही।

घुघली-शिकारपुर सड़क पर श्री सुखदेव की मृत्यु

*५—**श्री मदन पाण्डेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को २४ फरवरी, १९६१ को गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील स्थित घुघली से तहसील के केन्द्र स्थान को जोड़ने वाली घुघली-शिकारपुर रोड पर उक्त मिल से एक फर्लांग पश्चिम की ओर गन्ने की गाड़ी से सुखदेव नाम के व्यक्ति की मृत्यु तथा उससे सम्बन्धित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये भेजे गये पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो दो शब्दों में उत्तर मिला है 'जी हां', उसके सम्बन्ध में यह स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में सुखदेव की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद क्या उसके घर वालों को मुआवजा दिलाने का भी सरकार ने कोई प्रयत्न किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह घटना दुखद है ही। यह किसान अपना गन्ना लिये जा रहा था। इत्तफाक से वह रात में आया अपनी गाड़ी खाली करने और वहां मिल के नजदीक रास्ता खराब है। गाड़ी जा रही थी और इत्तफाक से वह पलट गयी। यह सुखदेव जी उस गन्ने की गाड़ी के नीचे दब गये और उनको चोट आ गयी। उसके बाद उनके भाई आदि दो-तीन आदमी इनको मिल के पास ले आये। वहां पर चौकीदार ने उनकी थोड़ी-सी मदद की। उनको कपड़े दिये और आग देकर तपाया लेकिन उनकी प्राथमिक चिकित्सा न हो सकी, इसलिए ५ बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गयी। मुझे इस बात का दुख है कि उनको प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल सकी।

श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि घुघली से शिकारपुर जाने वाली सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि घुघली से काफी गन्ना सप्लाई होता है, और उस सड़क में ऊंचा-खाल होने की वजह से यह घटना हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क गन्ना सप्लाई होने की वजह से महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इस सड़क में से कुछ हिस्सा जिला परिषद् का है और कुछ ट्रैक्ट्स शासन के हैं। तो इसमें गड़बड़ है, लेकिन अब आदेश कर दिया गया है कि इसको प्राथमिकता दी जाय और जो ग्रांट जायगी उसमें खासतौर से आदेश होगा कि इस सड़क को दुरुस्त करें।

श्री मदन पाण्डेय—यदि अब तक उस सुखदेव के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए प्रयत्न नहीं किया गया हो तो क्या अब भी सरकार प्रयत्न करेगी कि उसके परिवार के लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी इस मृत्यु में कुछ भी नहीं थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्बन्ध में जो कानून होगा उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घुघली में कोई हास्पिटल है? यदि हां, तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्यों नहीं उसे हास्पिटल में भेजा गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मुझे सूचना नहीं है कि अस्पताल है या नहीं, लेकिन मिल में एक डाक्टर रहता है और उसको प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए थी।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में जो कागजात सरकार को मिले तो जिस दिन से कागजात मिले उस दिन से सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष—किस बारे में?

श्री प्रताप सिंह—कैसे मृत्यु हुई और प्राथमिक चिकित्सा क्यों नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो कानून होगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी उसके मुआवजे के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में कानून क्या है?

श्री अध्यक्ष—कानून का प्रश्न आप उनसे नहीं पूछ सकते।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कानून वकील से पूछा जायगा।

श्री मदन पाण्डेय—क्या मंत्री जी को जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें यह भी सूचना है कि घायल अवस्था में सुखदेव कई घंटे तक उस मिल के अस्पताल के सामने पड़ा रहा और डाक्टर उपलब्ध नहीं था? यदि यह सही है, तो मिल में २४ घंटे डाक्टर की सेवा उपलब्ध करने की हिदायतें, जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत है, क्या उनका पालन कराने का कोई प्रयत्न किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उस समय डाक्टर नहीं था, यह सही है । जैसे ही मेरे पास फाइल आयी और मालूम हुआ कि डाक्टर वहां नहीं था, और जैसा कि कहा जाता है कि चौकीदार ने उसको इत्तला नहीं दी, तो चाहे चौकीदार का या डाक्टर का कसूर हो, मैंने फौरन आर्डर कर दिया कि जिसका भी कसूर हो उसको सजा दिलाई जाय।

बेतवा नदी के एरछ घाट पर ट्रक दुर्घटना

*६---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह झांसी जिले के सब घाटों को अपने अधिकार में लेना चाहती है और लगभग एक वर्ष हुआ जब से स्वायत्त शासन विभाग और झांसी अन्तरिम जिला परिषद् में सब घाटों को सरकार के सुपुर्द कर देने के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त घाट कब-तक सरकार के चार्ज में आ जायेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*७---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में बेतवा नदी के एरछ घाट (झांसी) पर ट्रक के उलट जाने में कितने व्यक्ति मरे तथा कितनी क्षति हुई ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा गेहूं के बोरों से लदी ट्रक उलट गई।

*८---श्री लक्ष्मण राव कदम---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त घाट के पार करने की क्या व्यवस्था है और उक्त प्रकार की घटनायें रोकने के लिये वहां पर स्थायी पुल या रपटा बनाने की योजना कितने वर्षों से उसके विचाराधीन है तथा उसके अभी तक कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---वर्षा ऋतु में बड़ी नाव लगाई जाती है, जब पानी कम हो जाता है तब अस्थायी पुल बना दिया जाता है। जून, १९५४ से स्थायी पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। शासन ने उक्त व्यवस्था के लिये अप्रैल, १९५८ में स्वीकृति प्रदान कर दी थी किन्तु यह काम इसलिये पूरा नहीं किया जा सका कि दिसम्बर सन् १९५८ में सरकार के पास इस विषय का एक प्रस्ताव आया था कि एरछ घाट पर नावों का पुल बनाने के बजाय सुरीघाट पर जो कि उक्त स्थान से लगभग डेढ़ मील के फासले पर है एक काजवे (causeway) का निर्माण किया जाय। इस प्रस्ताव पर अभी शासन द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में टेक्निकल एक्सपर्ट्स द्वारा अभी जांच जारी है।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कानपुर एक बड़ी भारी व्यापारिक मंडी होने तथा ट्रकों और बसों का कम किराया होने और समय की बचत के कारण एरछ, गुरसराय, गरौठा, मऊरानीपुर, रानीपुर, ललितपुर, महरौनी और टीकमगढ़ से बहुत ज्यादा माल और यात्रियों का यातायात एरछ घाट से होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। इन घाटों से काफी यातायात होता है और माल भी काफी जाता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अस्थायी पुल प्रायः नहर का पानी छोड़ दिये जाने की वजह से टूट जाता है और यातायात बन्द हो जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रायः तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इत्तफाक से जब यह दुर्घटना हुई तब जरूर नहर का पानी तीन-चार रोज के लिए छोड़ दिया गया था और उस वक्त कुछ नदी में पानी आ गया था तथा कुछ ड्राइवर की असावधानी से यह दुर्घटना हो गई।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी एरछ घाट का महत्व देखत हुए तथा सात वर्षों से इस मामले के विचाराधीन होने का कारण उक्त योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा अभी कहा गया सवाल के जवाब में यह पी० डब्ल्यू० डी० के विचाराधीन है, लेकिन चूंकि अभी साइट कोई फिक्स नहीं हुई कि किस जगह यह बनाया जाय और जो पहली साइट थी उसको बदलने में माननीय सदस्य ने भी कुछ हिस्सा लिया था कि यह दूसरी जगह कर दिया जाय, इसलिए एक्सपर्ट अभी उसकी जांच कर रहे हैं कि कहां पर साइट फिक्स की जाय ?

[७ अगस्त, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२१ अगस्त, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

जिलाधीश, अल्मोड़ा द्वारा पुलों के बनाने की सिफारिश

*३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक १० मई, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में वर्णित पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में बतायेंगे कि उन्हें मई, १९६१ में इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जिला अन्तरिम परिषद् की कार्यवाही की मुद्रित प्रतिलिपि सहित मिला था ? अगर हां, तो क्या मंत्री जी, उसकी मुख्य-मुख्य बातें और उस पर की गई कार्यवाही बतायेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि २२ मार्च सन् १९६० को इस सदन में तकरीर करते हुए उनके पहले जो मंत्री श्री विचित्रनारायण शर्मा थे उन्होंने इस सदन के सदस्यों को चैलेंज किया था कि उनके पास पुलों के लिए लाखों रुपया है, कोई मांगता ही नहीं, उस पर हम लोगों ने लिखकर दिया कि यह-यह पुल बनवा दीजिए। उसके बाद रुपया भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया, लेकिन अब वह पुल बदल दिया गया। तो इस विषय पर मैंने माननीय मंत्री जी के पी० ए० के पास दफ्तर में जाकर उनके हाथ में पत्र सौंपा था, वह पत्र गायब कैसे हो गया इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह ठीक ही होगी, लेकिन अब वह पत्र कैसे गायब हो गया इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है। मैं इसकी जांच करा लूंगा कि कैसे गायब हो गया।

*४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[२८ अगस्त, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

*५—श्री मदनपाण्डेय—[२१ अगस्त, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

*६—श्री मदनपाण्डेय—[हटा दिया गया।]

लोहाघाट में टाउन हाल बनने में देरी

*७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोहाघाट, जिला अल्मोड़ा में टाउन हाल बनाने के लिये श्री हरलाल शाह से ४,५०० रु० अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा के नाम सन् १९५७ में जमा करवाया गया था ? अगर हां, तो उस टाउन हाल के बनने में देरी का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां। इस कार्य के लिये भूमि को पट्टे (lease) पर देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस व्यक्ति से साढ़े चार हजार रुपया सन् १९५७ में जमा करवाया गया और १९५७ से आज चार-पांच साल होने को आये, क्या वजह है कि यह कार्यवाही सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यहां पर प्रस्ताव पहले कुछ दूकानें वगैरह बनाने का था और एक दफा यह प्रस्ताव पार्क वगैरह बनाने का इत्तफाक से यहां अस्वीकृत हो गया था। अब दुबारा उसे भेजा गया है। इसलिए उस पर कार्यवाही हो रही है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही हो जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस पर सरकारी कार्यवाही यहां से पूरी हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बहुत जल्दी हो जायगी, माननीय सदस्य इत्मीनान रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस टाउन हाल को बनाने के लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से कितनी ग्रान्ट दे रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आमतौर पर जहां तक सम्भव होता है सरकार ग्रान्ट देती है लेकिन इसके लिये ठीक रकम क्या दी है मैं अभी बतला नहीं सकता।

*८---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[२१ अगस्त, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले की सहकारी समितियों में गबन

*९---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सहकारिता मंत्री २७ मार्च, १९६१ के प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के क्रम में दी गई सूची के क्रम-संख्या अ-(३) लक्ष्मी व्यापारी सहकारी समिति, ताड़ीखेत, (अ) (७) कुमाऊं सहकारी संघ लिमिटेड, अल्मोड़ा, नं० (ब) (१) सहकारी विकास समिति लिमिटेड, रानीखेत, (ब) (५) उपभोक्ता भंडार हवालबाग, तथा य-(८) सहकारी समिति, चौसला पोखारी की आडिट रिपोर्ट की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे अथवा उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कथित आडिट रिपोर्टों की मुख्य-मुख्य बातों का † विवरण सदन की मेज पर रक्खा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी ने जो आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में बतलाया कि ११,८८६ रुपये की रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग से वसूल की गई है वह बिना उचित जांच के विभाग की स्वीकृति से नुकसान खाते में डाल दी गई और कोई खयाल नहीं रखा गया तो उसके लिये सरकार ने कोई कार्यवाही इस गबन के बारे में की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---आडिट रिपोर्ट आने के बाद यह कायदा हुआ करता है कि उस समिति को उन एतराजात की कम्पलायन्स के लिए भेज दिया जाता है कि उन एतराजात के बारे में उनको क्या कहना है और उनको वे ठीक करें या अगर कोई गबन हो तो उसके मुताबिक कार्यवाही करें। जो आडिट रिपोर्ट आती है वह सम्बन्धित समिति को भेज दी जाती है। सम्बन्धित समिति अपनी कम्पलायन्स रिपोर्ट भेजती है। वह रिपोर्ट उस समिति के सम्बन्धित आडिटर को भेज दी जाती है। अगर वह सन्तोषजनक हो तो आडिट आब्जेक्शन खत्म कर दिये जाते हैं। यदि सन्तोषजनक नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही के आदेश इस तरह से चलते रहते हैं।

---

† विवरण छापा नहीं गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी रानीखेत सहकारी विकास समिति के सम्बन्ध में कानून न बताकर फैक्ट्स बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५१,०३६ रु० का गबन है, कुछ रकम नाकाबिल वसूल है, और ७,८६९ रुपये सही तौर पर दर्ज नहीं किये गए हैं, तो इसके लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है, यह देखते हुये कि यह कागनेजेबिल केस है ?

श्री रामस्वरूप यादव---रानीखेत सहकारी विकास समिति के बारे में जो एतराज हैं उसके बारे में समिति ने उन्हें लिखा है कि समिति द्वारा अब हिसाबात ठीक ढंग से रखे जा रहे हैं तथा वाउचर आदि समिति द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं।

दूसरे एतराज में यह लिखा है कि समिति ने सब एतराजात की पूर्ति व्योरेवार कर दी है। ३०,८८८ रुपये की रकम पूर्णतः आंकड़ों के आधार पर न होकर आडिटर के अनुमान के अनुसार थी। उस १९५७-५८ की विशेष आडिट रिपोर्ट की पूर्ति कर दी गई है। नकशा, पूंजी, जिम्मेदारी अभी प्रमाणित नहीं की गई है जो इस साल प्रमाणित कर दी जायगी। वाउचर आदि समिति द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं और विशेष आडिट रिपोर्ट की पूर्ति कर दी गई है जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या ९१३-ए-५, दिनांक २-२-६१ को विशेष आडिट रिपोर्ट ज्येष्ठ आडिटर महोदय को अल्मोड़ा भेज दी गई है। समिति का हिसाबात रखने का तरीका प्रारम्भ से उचित नहीं था। इससे समिति के हिसाब में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था परन्तु अब हिसाब की हालत काफी हद तक सुधर गई है। उचित हिसाब न रखने का कारण कार्यकर्ताओं का शिक्षित तथा अनुभवी न होना था और समिति ने कोई प्रशिक्षित अकाउन्टेंट भी नियुक्त नहीं किया था। इसलिये विभाग ने समिति को शीघ्र ही एक शिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति रखने का सुझाव भी दिया था। अकाउन्टेंट की नियुक्ति के बाद हिसाबात की स्थिति बहुत सुधर गई है। जो आडिटर होते हैं उनके पास यह रिपोर्ट भेजी जाती है और उनको सन्तोष होता है तो उसको खत्म कर देते हैं और कोई एतराज नहीं रहता है अन्यथा वह फिर लिखते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मन्त्री जी ने जो यह कुमायूं सहकारी विकास संघ के बारे में बतलाया कि १०,७६९ रुपये की रकम गबन हुई और १,९३,०२४ रुपये नाकाबिल वसूल तथा संदिग्ध रकमों को सहीतौर पर दर्ज नहीं किया। इसके अलावा आठवें पैराग्राफ में ४१,७९२ रु० की रकम को कम करके दिखाया और इस मामले को कई साल हो गये और के० सी० डी० एफ० ने कुछ नहीं किया तो सरकार ने कोई ऐक्शन लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुमायूं सहकारी विकास संघ, अल्मोड़ा के हिसाब के बारे में पहले आपत्ति उठाई थी और उन्होंने उसके सम्बन्ध में उनको लिखा था लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं जो कुछ सरकार नियम के अनुसार कर सकती है वह उस विषय में करेगी।

श्रीमन्, यह जो कुमायूं सहकारी विकास संघ, अल्मोड़ा है इसके बारे में आपत्तियां बहुत काफी थीं कि उन्होंने हिसाब ठीक नहीं रखा। कम्प्लायन्स रिपोर्ट बहुत लम्बी है इसलिये मैं उसको पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, सरकार जो कुछ भी नियमों के अधीन कर सकती है वह अवश्य करेगी।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि के० सी० डी० एफ० जो बहुत जिम्मेदार संस्था है उसके द्वारा कई अनियमितताएं हुई हैं, ? यदि हो, तो वहां के अधिकारियों को आदेश देगी कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो आदेश सरकार के हमेशा ही हैं कि गड़बड़ियां न हों और खास तौर पर जब हिसाब में अनियमितताएं होती हैं तो उनके लिये तो ऐसे आदेश जरूर ही होते हैं और उन पर कार्यवाही भी होती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या इस प्रकार की अनियमिततायें होने के बाद सरकार का कोई इरादा इस प्रकार का है कि इनको डिजाल्व कर दिया जाय और नई सोसाइटियां फिर तैयार की जायं?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को श्रीमन्, सुपरसीड करने का अधिकार है लेकिन जहां तक कुमायूं संघ के लिये कहा गया है उसमें आडिट रिपोर्ट में है कि गबन हुआ है लेकिन जैसा उत्तर में उन्होंने दिया है उसमें कहा गया है कि गबन नहीं है। अगर सरकार सुपरसीड करना जरूरी समझेगी तो जरूर करेगी लेकिन उस विषय में देखा जा रहा है कि क्या ऐसी अनियमिततायें हैं जिनके कारण उसको सुपरसीड किया जाय? यह मामला विभाग के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि ८ या १० साल से जो सीरियस चार्जेज उसके खिलाफ हैं तो रजिस्ट्रार महोदय ने बारबार के० सी० डी० एफ० को लिखा है कि इसे दूर करो, लेकिन वहां दूर करने की बात छोड़ दीजिये हर साल गबन बढ़ता जाता है फिर भी सरकार इसको डिजाल्व नहीं करती, उसका क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सहकारी समितियों के अपने स्वयं अधिकार हुआ करते हैं और उसके अन्तर्गत यह काम करती हैं। इनके कामों में हर समय हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है लेकिन जहां पर यह देखा जाता है कि अनियमिततायें ज्यादा होती हैं तो वहां कोशिश की जाती है कि वहां पर आवश्यक आदेश दिये जायं और विशेषकर जब धन का दुरुपयोग होता है तो आवश्यक कार्यवाही होती है और उसकी रिपोर्ट आने में कुछ समय जरूर लग जाता है।

रामनगर नगरपालिका का छप्परों की लीज से संबंधित प्रस्ताव

*१०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड, जिला नैनीताल का कोई प्रस्ताव ३ अक्तूबर, १९५८ को आया है जिसमें हरिजनों, जाटवों आदि के छप्परों की कच्ची लीज को पक्की लीज में परिवर्तित करने का सुझाव है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी एक बार पुनः जांच अपने विभाग में करायेंगे कि रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड का कोई प्रस्ताव इस प्रकार का ३ अक्तूबर, १९५८ का आया है कि कच्ची लीज को पक्की लीज में परिवर्तित कर दें?

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय सदस्य का कहना शायद इस बात पर आधारित हो कि ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास आया है, क्योंकि जिलाधीश के पास ऐसे प्रस्ताव आते हैं। लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश को लिखेंगे कि ये अनियमिततायें सन् १९५८ की हैं और अब सन् १९६१ हो गया है, तीन वर्ष तक उन्होंने नहीं भेजा तो इसका कारण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---असल में जो प्रस्ताव पहले पास हुआ था उसके लिये जिलाधीश ने इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया था कि इस बात का अर्थात् लीज को परिवर्तित करने का अधिकार नगरपालिका को नहीं है बल्कि जिलाधीश को है। तो उन्होंने दूसरा प्रस्ताव ८ दिसम्बर, १९६१ को पास करके भेजा। इस पर जिलाधीश ने उनको लिखा कि हर केस के लिये अलग-अलग कागजात तैयार करके भेजे जायं और उन पर तब कार्यवाही होगी। वह कागजात तैयार हो रहे हैं, ऐसा मालूम होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि कच्ची लीज को पक्की करने का अधिकार जिलाधीश को है अथवा सरकार को? यदि सरकार को है तो क्या वह जिलाधीश को आदेश देगी कि इससे सम्बन्धित कागजात वह शीघ्र ही सरकार के पास भेज दें?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वह एक ही बात है क्योंकि जिलाधीश सरकार की तरफ से ही काम करता है और सरकार जिलाधीश के जरिये से ही काम कराया करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात के आदेश जिलाधीश को देंगे कि हरिजनों की आवश्यकता को देखते हुए यह कच्ची लीज पक्की में परिवर्तित कर दी जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सरकार की नीति है।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्नों के सम्बन्ध में बंटन हुआ है उसे आप देखें। आज के लिये केवल २० प्रश्न हैं जिनमें ७, ८ स्थगित हैं। दूसरे दिन गृह मंत्री जी के साथ सिंचाई मंत्री के प्रश्न भी रखे गये हैं और इसमें गृह मंत्री जी से ही समय नहीं बच पाता। तो मेरे खयाल से यह बंटन उचित नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---यह बंटन दुबारा हुआ है और वह २१ तारीख से लागू होगा। यह क्रम पहले का चल रहा है।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---मेरा तारांकित प्रश्न संख्या ५ फिर स्थगित कर दिया गया है, श्रीमन्, वह १ जून, १९६१ का दिया हुआ है और पिछली बार भी व्यपगत हो गया था। इसमें लाखों रुपये का गोलमाल हुआ है ऐसा प्रतीत होता है.....

श्री अध्यक्ष---यह १५ जुलाई को सरकार को भेजा गया है।

श्री मदन पाण्डेय---मैंने यह पहले ही भेजा था और कहीं ऐसा न हो कि यह फिर टाल दिया जाय। यह २१ अगस्त, १९६१ को लिया जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि इसको जरूर ले लिया जाय।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन्, मैंने बहुत से प्रश्न दिये थे, लेकिन उन सब को टाल दिया गया। किसी के लिये कहा गया कि नाम से है, औरों के लिये दूसरी, दूसरी वजहें दे दी गयीं, और उसी तरह के प्रश्न दूसरे सदस्यों के ले लिये गये हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से हमारे हकों का हनन किया जाता है....

श्री अध्यक्ष---आप दोनों प्रकार के प्रश्न स्वीकृत और अस्वीकृत, मेरे पास ले आइयेगा तो मैं तुलना कर के देख लूंगा।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के कार्य से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदन*

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर की वर्ष १९५४-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० के कार्य व कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदनों, लाभ व हानि के

---

* छापे नहीं गये।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

विवरणों तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों को स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन ऐक्ट, १९५१ की धारा ३७ की उप-धारा (७) तथा धारा ३८ की उप-धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ५, ६ साल की रिपोर्टें एक साथ इतने दिनों बाद क्यों पेश की जा रही हैं? इससे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जांच करने में बड़ी देर लगती है और रिपोर्ट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। इस के लिये सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिये कि इसका कारण क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा। इस समय यह देर क्यों हुई, बतला नहीं सकता, अगर आप कहें तो पता लगा कर बतला दूंगा।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—यह १९५४ से आज तक की रिपोर्ट्स हैं। क्या इन पर दो, एक दिन बाद विचार करने के लिये आप समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन बुक में यह लिखा है—

"Every audit report under sub-section (6) shall be forwarded to the State Government and the Government shall cause the same to be laid before the Legislature of the State."

मैं यह समझता हूं कि आप अगर इस समय उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं तो इसको आप देख लें और कल उत्तर दे दें कि देरी का क्या कारण है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—इसमें श्रीमन्, १९५४-५६ लिखा है यानी दो साल की एक साथ रिपोर्ट है, एक साल ही गायब है?

श्री अध्यक्ष—दो वर्षों की एक साथ आडिट रिपोर्ट ही होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली नियमावली, १९६१*

राजस्व उपमंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) नियमावली, १९६१ को, जो राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०६७ (एम०)/१-डी-१३५१-डी-६०, दिनांक २० जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६० की धारा १८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक मेरे पास कामरोको प्रस्ताव आया है जो एक व्यक्ति से ही सम्बन्धित है, उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—उस व्यक्ति के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, वह महत्व का प्रश्न है, मैंने नियम ५२ में भी सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

---

*छापी नहीं गई।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो प्रस्ताव और आये हैं जिन्हें मैंने स्वीकार किया है उनमें एक तो माननीय गेंदासिंह जी का है—देहरादून की हड़ताल के सम्बन्ध में, उसके लिये मैंने ९ तारीख निश्चित की है। उसी दिन एक और भी प्रस्ताव है किन्तु चूंकि यह महत्व का प्रस्ताव है और इस पर जल्दी वक्तव्य होना चाहिये, इसलिये मैंने इसको ९ तारीख के लिये रखा है, यद्यपि सम्बन्धित मंत्री ने यह कहा कि इतनी जल्दी जानकारी नहीं मिल सकेगी और २१ तारीख रखी जाय। मैंने उनको टेलीफोन से सूचना मंगाकर ९ तारीख को ही देने के लिये कहा है और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है।

४ तारीख को एक प्रस्ताव और आया था—देवरिया नगर से १६ मील दूर हाटा के सन्निकट एक हाल में बने हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के पुल टूटने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं, श्री रामस्वरूप वर्मा जी का है, श्री झारखंडे राय जी का भी है, और मैंने श्री मदन पांडेय जी का पहले प्राप्त होने के कारण स्वीकार किया है और इसको मैंने ११ तारीख के लिये रखा है।

श्री मदन पांडेय का एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न केन्द्रीय खाद्य मंत्री द्वारा दिये वक्तव्य के बारे में, मेरे पास आया है।

> 'मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न, अर्थात् गत ४ अगस्त, सन् १९६१ को केंद्रीय सरकार के खाद्य मंत्री, श्री एस०के० पाटिल द्वारा बम्बई में की गयी इस घोषणा से कि "चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये गन्ना उत्पादकों को उत्पादित गन्ने की १/५ मात्रा पर कम दाम लेने के लिये तैयार किया जाय" प्रदेश के गन्ना उत्पादकों में व्याप्त गन्ने की वर्तमान फसल के भविष्य के प्रति आशंका तथा क्षोभ से उत्पन्न विषम परिस्थिति की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत आकर्षित करता हूं।'

इसमें केन्द्रीय सरकार की क्या नीति रहेगी, इस सम्बन्ध में और कहां तक यह बात सही है, इस बारे में मंत्री जी वक्तव्य देंगे १० अगस्त को।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि अखबारों में जो सूचना छपी है वह ठीक भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक यह वक्तव्य हमारे पास नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—अगर न हो तो आप ऐसा ही जवाब दे दें, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपनी नीति भी बता दें। ऐसी बात भी नहीं है कि अखबारों में मनमानी चीज छप जाती हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—देवगढ़ मंदिरों में जो जैन मूर्तियां तोड़ी गयी हैं उनके बारे में दफा ५२ के अन्तर्गत मैंने प्रश्न दिया था, उसके लिये भी कोई तारीख मुकर्रर की या नहीं?

श्री अध्यक्ष—एक दफा मूर्तियों के बारे में वक्तव्य हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप यह समझते हैं कि यह चीज चालू है और अभी हाल ही में फिर मूर्तियों के सिर काटे गये हैं तो मैं उसको ले लूंगा।

श्री राजनारायण—मैं वहां ८ तारीख को गया था और वहां से पूरी जानकारी करके आया हूं। यह तो पता नहीं कि वे सिर किस तारीख को कटे हैं, लेकिन एक मंदिर भी ऐसा बचा नहीं है जिसकी दो, तीन मूर्तियों के सिर न कटे हों।

श्री अध्यक्ष—गोस्वामी जी ने इस प्रश्न को उठाया था, उस वक्त कुछ मंदिरों की मूर्ति के बारे में था। आपका प्रश्न बहुत-सी अधिक मूर्तियों के बारे में है, मैं इसको ले लूंगा और तारीख मुकर्रर कर दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में कई गांव टूट गये हैं और बहुत से आदमी मर गये हैं, उनके बारे में मेरा एक प्रश्न है, उसको गढ़वाल के प्रश्न के साथ जोड़ दिया जाय, जो आपके पास है।

श्री अध्यक्ष--११ तारीख तक का कार्य मैंने नियत कर दिया है। इस बारे में आप मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लें क्योंकि इस समय वह मेरे पास नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--मेरा एक कामरोको प्रस्ताव था और पिथौरागढ़ में तथा टनकपुर में रोड फिसल जाने के बारे में भी एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठिये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--गत हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के अनुत्तीर्ण छात्रों को सरकारी मान्य विद्यालयों में पुनः प्रवेश न पा सकने के सम्बन्ध में श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक २ अगस्त, १९६१ को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय बोर्ड द्वारा संचालित १९६१ की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के विद्यालयों में पुनः प्रवेश न पा सकने के प्रश्न पर माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हाई स्कूल के सवा लाख तथा इंटरमीडिएट के साठ हजार विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और वे प्रवेश पाने में असमर्थ हैं। मुख्यत कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति नितान्त भिन्न पायी गयी है और जैसा माननीय सदस्य ने चित्रण किया है, वैसी नहीं है। १९६१ की हाई स्कूल तथा इंटर परीक्षाओं के संस्थागत परीक्षार्थियों के घोषित परीक्षाफल निम्न प्रकार हैं :--

	सम्मिलित	उत्तीर्ण	शेष
हाई स्कूल	१,७७,७८३	८४,९२४	९२,८५९
इंटरमीडिएट ..	७१,४६१	३०,६३५	४०,८२६

हाई स्कूल के ९२,८५९ तथा इंटर के ४०,८२६ शेष परीक्षार्थियों में अनुत्तीर्ण, पूरक परीक्षा के लिये घोषित तथा अनुचित साधनों के प्रयोग करने एवं अन्य कारणों से परीक्षा फल रोके गये परीक्षार्थी भी सम्मिलित हैं।

इस वर्ष अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई विशेष अन्तर नहीं है। यह सही है कि शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में कुछ संस्थाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों और नीचे दर्जे के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मिल कर उन संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों से अधिक थी। यह स्थिति बहुत कुछ अनिवार्य है जब संस्था की कक्षायें बहुत भरी हुई हों। हर वर्ष कुछ संस्थाओं में यह स्थिति जुलाई में उत्पन्न होती है। इसका समाधान अन्य वर्षों की भांति अब करीब करीब हो गया है। अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश के लिये या तो उसी संस्था में अतिरिक्त सीटें दे दी गई हैं या नये सेक्शन

खोल दिये गये हैं या उन्हें दूसरी संस्थाओं में स्थान दे दिया गया है। कुछ छात्रों को अपनी पुरानी संस्था में इस कारण जगह नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने पढ़ने-लिखने में ध्यान नहीं दिया था और कई-कई विषयों में या कई वर्ष फेल हो चुके हैं।

इलाहाबाद, लखनऊ तथा कानपुर, जिनका विशेष उल्लेख किया गया है, की स्थिति इस प्रकार है।

इलाहाबाद में कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। थोड़ी-सी संस्थाओं में कुछ लड़कों को स्थानाभाव के कारण या बहुत से विषयों में फेल होने या कई वर्ष लगातार फेल होने के कारण उस संस्था में जगह नहीं मिली। शहर की अन्य संस्थाओं में काफी रिक्त स्थान उपलब्ध हैं। आशा है कि वह प्रवेश पा गये होंगे या पा जायेंगे।

लखनऊ में भी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। बहुत थोड़े से लड़के ऐसे ह जो अब भी दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। कुछ की भर्ती के आदेश दे दिये गये हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीन वर्ष से लगातर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं या बहुत से विषयों में अनुत्तीर्ण हैं या उनका चाल-चलन सन्तोषजनक नहीं है, जिसके कारण उनका दाखिला उचित नहीं समझा गया। शहर के स्कूलों में अब भी काफी रिक्त स्थान कक्षा १०,१२ में उपलब्ध हैं जिनमें क्रमशः विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं।

कानपुर में बी० एन० एस० डी० कालेज में जिसकी छात्र संख्या करीब-करीब पांच हजार है, अवश्य १५६ अनुत्तीर्ण छात्र स्थानाभाव के कारण वहीं दाखिल न हो सके, पर अब वहां भर्ती के लिये कोई खास मांग नहीं है। संस्था को सूचना नहीं है कि वह लड़के जो संस्था में नहीं लौटे, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन अनुमान किया जाता है इनमें से कुछ छात्र अन्य संस्थाओं में प्रविष्ट हो गये हैं। डी० ए० वी० इन्टर कालेज में सत्र के प्रारम्भ में दाखिला न मिलने के कारण दो दिन हड़ताल रही। नये सेक्शन खोल कर और अतिरिक्त दाखिले करके १५ लड़कों के अलावा, सब ले लिये गये हैं। अन्य संस्थाओं में कोई विशेष कठिनाई की परिस्थिति नहीं है। जो थोड़े से लड़के नहीं दाखिल हो सके, अनुमान किया जाता है कि उन्होंने दूसरी शिक्षा संस्थाओं में दाखिला ले लिया होगा।

वाराणसी में रामनगर में ११८ लड़कों के दाखिला न पाने की शिकायत आई थी। अब केवल ७ विद्यार्थियों को छोड़ कर, शेष सब का दाखिला हो चुका है।

एक बात उल्लेखनीय यह है कि प्रति वर्ष बहुत से अनुत्तीर्ण छात्र जो दाखिला नहीं लेते व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देते हैं। जैसा उल्लेख किया जा चुका है, गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष परीक्षाफल विशेष भिन्न नहीं है। यह समस्या इस वर्ष के हेतु कोई नई नहीं है और न तो इतनी बड़ी और लोक महत्व की ही है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है। गत वर्षों के परीक्षाफलों के आंकड़ों से विदित होगा कि प्रतिवर्ष परीक्षाफल ४०, ५० प्रतिशत के भीतर रहा है। इस प्रकार इस बर्ष की समस्या भी बिलकुल साधारण है और बहुत कुछ अब हल हो चुकी है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि हर वर्ष नये स्कूलों को मान्यता दी जाती है। मान्यता देते समय क्षेत्र की आवश्यकता को विशेष रूप में ध्यान में रखा जाता है। इस वर्ष ५४ नवीन हाई स्कूलों को इन्टर की तथा ११७ नवीन संस्थाओं को हाई स्कूल की मान्यता दी गई, और २०१ हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज को नवीन विषयों तथा वर्गों में अतिरिक्त मान्यता दी गई है। पिछले वर्षों में औसतन ६५ हाई स्कूलों तथा ३५ नये इन्टर कालेजों को मान्यता दी जाती थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६०० स्कूलों को नवीन मान्यता तथा अनुदान देने का प्राविधान है। इस प्रकार शासन स्वयं आवश्यकतानुसार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रसार करता जा रहा है, जिस में विद्यार्थियों को पढ़ने का पूरा अवसर मिल सके।

[श्री रामस्वरूप यादव]

तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक उपयोजना बढ़ती हुई छात्रसंख्या के लिये अनुदान देने की भी सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत जिन विद्यालयों में नये सेक्शन खोले जायेंगे उनको इनके चलाने के लिये राजकीय सहातयता दी जायगी। उपर्युक्त बताई हुई स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि माननीय सदस्य द्वारा जो विषम परिस्थिति का उल्लेख किया गया है वह कोई ऐसा बड़ा भयावह प्रश्न नहीं है, और शासन बढ़ती हुई छात्र संख्या के लिये आवश्कतानुसार पूरा-पूरा प्रबन्ध करता जा रहा है।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इस सम्बन्ध में मैं जरा अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं। मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि स्थिति को दूसरे ढंग से बताया गया है....

श्री अध्यक्ष---आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रश्न नियम ५२ में पूछ सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह जो कहा गया कि लखनऊ-कानपुर में ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो मैं अखबार की कुछ सतरें सुना दूं कि कई हजार विद्यार्थी वहां से लौट आये जिनका दाखिला नहीं हुआ .....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछें, यह विवाद नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---सरकार को मालूम है कि डी० ए० वी० कालेज, कानपुर में २ दिन तक हड़ताल रही? क्या यह कारण उस को महसूस नहीं हो रहा है कि जब विद्यार्थियों को अकारण भर्ती नहीं किया गया इसी वजह से हड़ताल हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---कानपुर में तो अब यह समस्या हल हो गई है, अब हड़ताल क्यों हुई, तो स्थानीय संस्थायें जब तक सेक्शन खोलने के लिये नहीं लिखेंगी तब तक वह सरकार की ओर से तो खुल नहीं सकते, इस बात की इजाजत अधिकारियों को दी गई कि वह सेक्शन खोलने की मांग होने पर इजाजत दें। इसके अलावा सब छात्रों का दाखिला तो पहले भी नहीं होता था। जिन संस्थाओं के पास सेक्शन खोलने का प्रबन्ध है वहां अब दिक्कत नहीं है और स्थिति ठीक है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---विज्ञान के विद्यार्थियों की भर्ती में बहुत दिक्कत होती है, तो इन्टर में विज्ञान के विद्यार्थी कितने फेल थे?

श्री अध्यक्ष---यह तो बड़े व्योरे का प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप यादव---विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हुये इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन विज्ञान में साधारणतः वैसे भी कठिनाई होती है, विद्यालयों में इसके लिये काफी सेक्शन्स नहीं हैं क्योंकि साइन्स सेक्शन खोलने के लिये काफी सामान और अध्यापकों की जरूरत होती है। जहां तक सम्भव होता है यह संस्थायें भर्ती करती हैं, लेकिन यह माननीय सदस्य का भ्रम है कि विज्ञान में ज्यादा विद्यार्थी फेल हुये और उनको दाखिला नहीं दिया गया। साधारणतः तो विज्ञान वालों का दाखिला हो जाता है, लेकिन ५---५ विषय में फेल हों और तीन-तीन साल तक फेल होते रहें और फिर भी दाखिले के लिये विद्यालय को मजबूर किया जाय, यह समझ में नहीं आता।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुये कि जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं उनमें २ प्रकार के विद्यार्थी होते हैं---एक तो वह जो स्कूल से भागे रहते हैं और अपनी असावधानी से फेल होते हैं और दूसरे वह जो किसी कमी के कारण या कुछ बुद्धि में दोष

के कारण फेल होते हैं, तो क्या इन दूसरे प्रकार के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करके विद्यार्थियों का भर्ती करने का आदेश देंगे, क्योंकि वह शिक्षा संस्था का उत्तरदायित्व है?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस की चीज है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस प्रश्न का मतलब तो यह हो गया कि जिस नालायक पढ़ाने वाले की वजह से विद्यार्थी फेल हुए उसी नालायक के पास फिर उन्हीं विद्यार्थियों को आप भेजना चाहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इस बात को देखते हुये कि देहात के विद्यार्थी बहुत देर में पढ़ाई शुरू करते हैं और ओवर एज हो जाते हैं, क्या मन्त्री जी ऐसा सुझाव बोर्ड को देंगे—नौकरी में भले ही रोक लें—कि पढ़ाई में उन्हें न रोका जाय १७ साल से और कुछ ऊपर एज लिमिट को बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका सुझाव है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार ने १२ जुलाई के 'नेशनल हैराल्ड' में कानपुर के सम्बन्ध में इस समाचार को देखा है कि—

"It is estimated that about 30% students will fail to secure admission."……

श्री अध्यक्ष—किस कालेज की बात है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर शहर की बात है। ३० हजार लड़के और १२ हजार लड़कियां—यानी ४२ हजार के ३० परसेन्ट का सवाल है। और इसी तरह से लखनऊ की १६ जुलाई की रिपोर्ट है कि—

"Most of the schools and colleges in town closed admission of students this week end. But a large number of boys and girls are still knocking at the doors of almost every educational institution to get in, even if they are refused their choice of subjects and combination."

तो क्या सरकार का ध्यान इन विज्ञापियों की ओर गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है?

श्री राम स्वरूप यादव—अखबार तो मुमकिन है मैंने भी पढ़ा हो और सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने निवेदन किया कि १५६ अनुत्तीर्ण छात्र स्थानाभाव के कारण बी० एन० एस० डी० कालेज में ऐडमीशन नहीं पा सके। डी० ए० वी० कालेज के बारे में निवेदन किया कि नया सेक्शन खोल दिया गया और दाखिला हुआ। लेकिन बी० एन० एस० डी० कालेज जिसमें ५ हजार छात्र हैं उसमें १५६ उन्होंने नहीं लिये, किसी समय वह एक बहुत, अच्छा कालेज कहा जाता था पढ़ाई के सम्बन्ध में, तो सम्भव हो सकता है कि जो लड़के बहुत बुरी तरह फेल हुये हों उन्हें दाखिल न किया हो और ... ..

श्री अध्यक्ष—आपका जो स्टेटमेंट है वह सही है या गलत, आज कम से कम ?

श्री रामस्वरूप यादव—आज तो स्थिति यही है, श्रीमन्।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो विद्यार्थी दाखिल नहीं हो सके जिनकी लिस्ट उन्होंने आज दी है, उनके दाखिले का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—उनको विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाना चाहिये और कहना चाहिये कि दाखिला दे दिया जाय। अगर वह उचित समझते हैं तो दाखिल कर लेंगे। यह पहले भी होता रहा है कि अगर विद्यार्थी कई वर्ष फेल हो जाता है तो वह प्राइवेट कैन्डीडेट की तरह से परीक्षा दे देता है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुये कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी प्रदेश में हैं जिनको फेल होने के बाद उसी विद्यालय में स्थान नहीं दिया जाता, क्या विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सरकार इस बात का आदेश देगी कि कम से कम जो विद्यार्थी एक साल वहां फेल हो जाता है उसको पहले स्थान दिया जाय और तब नया भर्ती किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--यह भी सुझाव है।

श्री० एस०जी० दत्त (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे, जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा कि वह विद्यार्थी दाखिल नहीं हुये, तो क्या मन्त्री जी उन विद्यार्थियों को सोशलिस्टिक स्कूल में भेज देंगे?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य दीपंङ्कर (जिला मेरठ)---क्या सरकार ऐसे सुझाव देने की सोच रही है कि जो छात्र पहली मर्तबा फेल हुये हों उनको प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा श्रीमन, नहीं सोच रहे हैं। यह तो हर विद्यालय पर निर्भर है, वहां के प्रबन्ध से सम्बन्ध है। हम तो यह सोच रहे हैं कि जो विद्यालय है उनको अनुदान की फेहरिस्त पर ले आयें और नए विद्यालय खुलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ सकें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---इस प्रश्न के सारे जवाब में दो बातें हैं। जवाब आया है डाउटफुल कंडक्ट और बार-बार फेल होने वाले विद्यार्थियों का ऐडमिशन नहीं होगा। डाउटफुल कंडक्ट और बराबर फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगर अगली कुर्सियों पर जगह मिल सकती है तो उन विद्यार्थियों को ऐडमिशन न मिलने का क्या कारण है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह देखते हुये कि हाई स्कूल में २.३७ लाख विद्यार्थी बैठे और उसमें से १.२७ लाख विद्यार्थी फेल हुये, यानी १.१० लाख विद्यार्थी ही पास हुये, और इन्टर में १०९ हजार विद्यार्थी बैठे जिसमें से ३९.४ पास हुये यानी ६० हजार फेल हुये, और कुछ शरीक नहीं हुये यह दूसरी बात है, ऐसी हालत में क्या सरकार बतायेगी कि इन विद्यार्थियों में बहुत से ऐसे फेल हुये जो अंग्रेजी में ही अकेले फेल थे ?

श्री अध्यक्ष---यह नया सवाल है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मंत्री जी ने कहा कि जहां विद्यार्थी ज्यादा फेल हुये थे उन विद्यालयों का अनुदान बढ़ाने को कहते हैं। तो क्या मन्त्री जी ने इसको सिद्धान्त बनाया है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी सबसे ज्यादा फेल हुये हों उसी को ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाय ? उदाहरण के लिये अल्मोड़ा का प्रश्न पूछा गया था.....

श्री अध्यक्ष---कहीं की बात कहीं से न मिलाइये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा फेल होते हैं तो अनुदान बढ़ाने की सोचते हैं। तो क्या सरकार ने कोई ऐसा सिद्धान्त बनाया है कि जिस स्कूल में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पास हों उसको कम अनुदान दें ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री प्रतापसिंह---मन्त्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष फेल होने वाले में कोई अन्तर नहीं है। तो मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले साल से आज तक सरकार ने कोई ऐसे स्टेप्स उठाये हैं पता लगाने के लिये कि फेल होने वालों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह नया सवाल है। सवाल तो जो फेल हुये हैं, उनके दाखिले के बारे में है, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या मन्त्री जी जिला इंस्पेक्टर को आदेश देंगे कि अगर स्कूल सेक्शन्स खोलने के लिये इजाजत मांगें तो उनको उदारतापूर्वक इजाजत दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन, उस विषय में कुछ सीमायें हैं। लेकिन फिर भी यह आदेश देना अनुचित न होगा कि उन सीमाओं में कुछ उदारता रखें। यदि सम्भव हो सके उस विद्यालय को चलाने के लिये तो उसको इजाजत दे दें, यह तो सम्भव है।

श्री नन्द राम (जिला प्रतापगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो विद्यार्थी फेल हुये थे उनमें से कितने दाखिल हो चुके हैं और कितने बाकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इतने थोड़े समय में पहले तो हर जिले से आंकड़े मंगाना सम्भव नहीं था। यह भी नहीं सम्भव हो सकता कि कितनों ने दाखिला मांगा और उनको नहीं मिला। स्थिति विषेषत: ३, ४ नगरों के बारे में पूछी गई थी, वह मैंने बता दी।

श्री राजनारायण—(जिला वाराणसी)—सरकार कहती है कि नई कक्षायें खोलने की आज्ञा प्रदान करने की सीमा है। तो वह क्या सीमायें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक तो यह है कि रुपया कितना जमा है, ऐन्डाउमेंट कितना है, इमारत कितनी है, अध्यापक पर्याप्त हैं कि नहीं तभी इंस्पेक्टर इजाजत देता है। मैंने कहा कि उतनी सख्ती न बरती जावे। और अगर कहीं लड़के दाखला चाहते हैं, भवन होना तो जरूरी है, फिर सहयोग मिल सकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि जहां रुपया भी जमा है, भवन भी है, और विद्यार्थी भी पढ़ने के लिये मिल सकते हैं वहां भी कक्षा खोलने के लिये केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मान्यता नहीं दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को यह मालूम है कि कई जिलों से गवर्नमेंट स्कूल्स के लिये लोकल इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ने भी यह रेकमेंड किया है कि सारी सुविधायें मौजूद हैं, कक्षायें बढ़ा दी जायं, लेकिन फिर भी अनुमति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो अराजकीय विद्यालयों से सम्बन्धित प्रश्न है। जहां तक राजकीय विद्यालयों का सम्बन्ध है हमारी अपनी सीमायें हैं और वैसे तो विचार यह है कि राजकीय विद्यालयों को ज्यादा सेक्शन खोलने की जरूरत नहीं है, वे एक तरह से आदर्श विद्यालय हुआ करते हैं, इसलिये ज्यादा लड़के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह जो शिक्षा दें वह अच्छी हो। लेकिन जो और विद्यालय हैं उनके लिये जो साधारण नियम हैं उनके अनुसार इजाजत दी जाती है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के मुकाबले में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के फेल होने का प्रतिशत अधिक है और प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स में पास होने का परसेन्टेज अधिक है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जब मैं और नागर जी पढ़े होंगे तब तो यह स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो रही है, अब राजकीय विद्यालयों में परीक्षाफल अच्छा हो रहा है ।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)—माननीय मन्त्री जी ने बताया कि रामनगर इन्टर कालेज और दूसरे राजकीय विद्यालयों में जो ११८ छात्र अनुत्तीर्ण रहे उनकी भर्ती नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर्याप्त साज-सज्जा और उनके पढ़ाने आदि की व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि आवश्यक व्यवस्था करके उनको भर्ती किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि वाराणसी में रामनगर में ११८ लड़कों के दाखिला न पाने की शिकायत आई है, लेकिन अब केवल ७ विद्यार्थियों को छोड़ कर शेष सब का दाखिला हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—अब मद समाप्त हुआ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मैं यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी ७ अगस्त, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय। उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ के लिये ४ घंटे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ के लिये २ घंटे, क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ के लिये ३ घंटे, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, १९६१ के लिये १ दिन।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९६१, तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) श्रीमन्, मैं प्रस्ताव रखूंगा कि इसे पुनर्विचार के लिए भेजा जाय। आप देखें कि पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक हमारे सामने इतनी जल्दी आया है और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इतने कम समय में आया कि अब हम संकलन कर रहे हैं, इनके सम्बन्ध में लिट्रेचर भी देख रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं। शुक्रवार को संध्या समय ये पुरःस्थापित किये गये थे और उसके बाद हाउस ऐजर्न हो गया था। दो दिन छुट्टियां रहीं और आज पहले ही दिन उसके बाद यह सदन बैठा है। तो हम लोगों को अध्ययन के लिये भी समय नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष—तो आप चाहते हैं कि पुनर्विचार के लिये भेजा जाय ?

श्री मोती लाल अवस्थी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि समय निर्धारण का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिये कार्य-मन्त्रणा समिति के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—(जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन, जब तक यह प्रोसेस चल रहा है मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शांतिप्रपन्न जी को जिद्द नहीं करनी चाहिये क्योंकि असेम्बली में बोलने वाले अधिकतर विरोधी दल के ही होते हैं और हम लोग ही अध्ययन करके आते हैं। वैसे सरकार का कहना तो होगा ही क्यों कि उसका बहुमत जो है, तो यहां पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम से कम इस नये कानून के हर पहलू पर विचार हो जाना चाहिये। अध्ययन तो हमें ही करना पड़ा है। उधर के तो बहुत थोड़े से सदस्य ऐसे हैं जो ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जुवे की रोक-थाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार इन्टरमीडियेट एजूकेशन विधेयक है....

श्री अध्यक्ष—वह अभी नहीं आ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—ठीक है श्रीमन, पहली सरकार ने इसको पास किया था और अब वह उलटा जा रहा है। पुराने बिल की सियाही सूखने नहीं पाई कि उसे उलटा जा रहा है। लेकिन श्रीमन्, यह तो गुप्ता सरकार की बात है, जो चाहे वह करे। पहले बिल को उलट दे या पहले के मन्त्रिमन्डल के आश्वासनों को उलट दे। जो चाहे वह करें, सम्पूर्णानन्द जी के समय की बातें सारी उलट दें यह तो उनको ही शोभा देता है लेकिन हम लोगों को अपनी राय पेश करने का मौका तो अवश्य देना चाहिये। बिल तो उनका पास होगा ही।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह तो उन्होंने बीच में वैसे ही कह दिया है। अभी तो प्रश्न इसका नहीं है। समिति के अन्दर की चीज आप नहीं कह सकते हैं।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट विधेयक पर क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—अभी उस पर निश्चय नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक दम न आ जाय।

श्री अध्यक्ष—एकाएक कैसे आयेगा। बाद को ही आयगा। परसों फिर समिति की मीटिंग होगी, इसलिये कि अवस्थी जी ज्यादा समय चाहते थे। आप लोग थोड़ा सा विचार करके बतायें, क्योंकि आप सब लोगों के सचेतक उसमें आते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन, बहुत हरीडली मीटिंग हो गई होगी।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आपके सचेतक आये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आये थे?

श्री अध्यक्ष—नहीं आये।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, दो बार उनको टेलीफोन किया गया कि वह आयें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सेक्रेटरी हैं या क्या हैं, ये बेकार सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--सदन का समय नष्ट नहीं हो रहा है। आपके सचेतक को दो बार सूचना दी गई थी, यह सही है और चूंकि श्री मदन पांडेय मुख्य विरोधी दल के सचेतक हैं तो उनसे कहा जाता है कि वह और लोगों को लाने का प्रयत्न करें। यदि वह प्रयत्न करते हैं तो सदन का ही काम करते हैं। इसलिये उन्होंने सूचना देने का जो प्रयत्न किया वह अनुचित बात नहीं थी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अगर रामस्वरूप जी वर्मा को सूचना दे दी गई होती तो वह सेक्रेटरी को भेज देते या हमारे नेता स्वयं चले जाते।

श्री अध्यक्ष--इसको खास तौर से बता दिया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जो मुख्य सचेतक हैं, विरोधी दल के नेता की पार्टी के, वह हर दम यह कहा करते हैं कि आपके जो सचेतक हैं, जितना ज्यादा समय वह लेंगे, उतना लिये बगैर हम नहीं मानेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--एक बात और है। राजनारायण जी कहते हैं कि बिजिनेस कमेटी में भले ऐग्री कर जायं, हाउस में ऐग्री करना जरूरी नहीं है।

श्री राजनारायण--इस तरह का लांछन लगाने की इजाजत आप न दें। यह बिलकुल अनर्गल, बिलकुल निराधार कह रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय--मैं अनर्गल नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप सब के लिये कह सकते हैं और हमला कर सकते हैं और दूसरा आदमी मजाक भी नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण--मजाक का यह स्थल नहीं है। इस पर हम काफी पैसा खर्च करते हैं। मजाक करना हो तो अपने घर में, कमरे में बैठ कर करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९६१, इंडियन एलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण प्रस्ताव से सहमत है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

'ग्राम्या' अखबार में छपे लेख के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आप का सर्वप्रथम आभार प्रगट करता हूं कि आपने कहा है कि पोलिटिकल पार्टीज का एक कोड आफ कंडक्ट बनाया जाय और उसके आधार पर राजनीतिक स्तर को ऊंचा किया जाय। मैं आप का ध्यान ३० जुलाई के 'ग्राम्या' अखबार की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसका पैसा इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के बजट में, इस हाउस को पास करने का अधिकार है। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं लिख कर भी भेज दूंगा। इसमें पोलिटिकल पार्टीज के एक ग्रुप का प्रचार है।

श्री अध्यक्ष--सदन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आप लिख कर भेजें तो ज्यादा अच्छा है। इस समय मैं क्या व्यवस्था दे दूं?

श्री प्रतापसिंह--मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस अखबार के लिये हम लोग असेम्बली से पैसा पास करें, क्या उसमें एक पार्टी का प्रचार हो सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--मुझे आप अखबार भेजें और अपनी आपत्ति भेजें तो देखूंगा। तत्काल व्यवस्था नहीं दे सकता।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन ३ तारीख को दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--(श्री प्रताप सिंह से) उस प्रश्न पर आप पूछ सकते हैं। जब आप पत्र भेजेंगे तब अध्ययन करके ही मैं व्यवस्था दे सकूंगा।

दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्र की व्यवस्था में परिवर्तन पर आपत्ति

***आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न करता हूं। पहले विधान सभा की कार्यवाहियों में दिलचस्पी रखने वाले पूरे प्रदेश के लोग आते थे और आपकी आज्ञा से दर्शक-दीर्घा में बैठ कर यहां की कार्यवाही से अवगत होते थे। परन्तु अब इस बीच में आज मालूम हुआ कि इस प्रकार के सरकारी आदेश दिये गये हैं कि ८० व्यक्तियों से ज्यादा प्रवेश-पत्र नहीं दिये जा सकते हैं। दारुलशफा में जो ब्रांच नोटिस आफिस है वहां केवल ८० प्रवेश-पत्र दिये जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था पहले आपकी नहीं थी, अब ऐसा लागू कर दिया गया है। मैं इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह देखते हुए कि प्रदेश की जनता को इस विधान सभा की कार्यवाही में दिलचस्पी है और वह उससे अवगत रहना चाहती है, यदि कोई ऐसे आदेश दिये गये हों तो आप उनमें कुछ संशोधन करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं जांच करूंगा। जहां तक मुझे सेक्रेटरी बताते ह, इस तरह का प्रबन्ध है कि हर एक सदस्य एक के लिये सिफारिश कर सकता है। उसके अलावा ८० से अधिक दर्शक न हों। इस तरह का कुछ तरीका है। मैं देखूंगा।

विधान परिषद् के सदस्य-मंत्रियों के लिये सदन में पृथक स्थान निर्धारित करने का सुझाव

श्री अध्यक्ष--माननीय गोविन्दनारायण तिवारी ने एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया था और मैंने कहा था कि वह लिख कर दें। तो उन्होंने लिख कर दिया है। वह इस प्रकार है--"मैंने आज विधान सभा में दो वैधानिक प्रश्न उपस्थित किये। मैंने यह दोनों प्रश्न सदन में पढ़ कर सुनाये, परन्तु आपने आज्ञा दी कि मैं लिख कर इन प्रश्नों को आपकी सेवा में भेजूं। अतः मैं निम्नलिखित प्रश्न आपकी सेवा में भेज रहा हूं :--

१--श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री हरगोविन्द सिंह, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्री चतुर्भुज शर्मा इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं। अतः इन्हें सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि इन्हें इस हाल में बैठने भी दिया जाय तो इन लोगों की सीट अलग नियुक्त कर दी जावें और इन्ह आदेश दिया जावे कि सदन की अन्य किसी भी सीट पर न बैठें।

२--भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण जिन्होंने संविधान की धारा १८८ के अन्तर्गत सदस्यता की शपथ ग्रहण नहीं की है, उन पर प्रत्येक उस दिन का ५०० रुपया अर्थ दंड किया जावे जिस-जिस दिन वह सदन में सदस्यों की सीटों पर बैठे हों।

उपरोक्त दोनों वैधानिक प्रश्नों की पुष्टि में संविधान की धाराओं का उल्लेख करने तथा अन्य तर्क उपस्थित करने का अवसर आप मुझे यथाशीघ्र सदन में देने की कृपा करेंगे।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

अब इस वैधानिक प्रश्न में तर्क उपस्थित करने की इजाजत दूं या न दूं यह इस पर निर्भर करता है कि आवश्यक हो तो कुछ सदस्यों को तर्क उपस्थित करने की अनुमति दे देता हूं वरना नहीं देता। इसमें केवल एक ही चीज की मैं इजाजत दूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने संविधान के बारे में इस तरह की चीज कही कि इस सदन के जो सदस्य नहीं हैं या परिषद् के हैं, ऐसे व्यक्ति अगर मंत्री हो जायं तो वह यहां सदन में बैठ नहीं सकते। ऐसे मंत्री आजतक कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं यद्यपि सदस्यता की शपथ उन्होंने नहीं ली थी, यहां बैठते भी रहे हैं उसकी वजह से यह बात चूंकि चली आ रही है तो उसके बारे में कुछ न कुछ संविधान में जिक्र होना चाहिये, लेकिन किसी ने भी आज तक आपत्ति नहीं की। माननीय सदस्य ने उस अनुच्छेद का इस लिखित एतराज में जिक्र नहीं किया जो मुझे लिखकर उन्होंने भेजा कि किस हैसियत से इस सदन में परिषद् के सदस्य, जो मंत्री हो जाते हैं, वह पहले कार्य करते रहे। उसको इसमें नहीं दिया है, अनुच्छेद १८८ का जिक्र कर दिया है जिसमें ५०० रुपये का जुर्माना वगैरह होता है। मैं उनको सुना देना चाहता हूं और उसके ऊपर वह चर्चा करें। अनुच्छेद १७७ वह कृपा करके देखें, मैं अंग्रेजी में और हिन्दी में, दोनों में, सुना देता हूं—

"Every Minister and the Advocate General for a State shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not , by virtue of this article, be entitled to vote."

इसका हिन्दी में यह अनुवाद है:—

"राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान-मण्डल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक न होगा।".

एक तो चीज यह है। दूसरी बात, भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान मुख्य मंत्री जी के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की। तो मुख्य मंत्री के बारे में सूचना उनको दिये देता हूं कि १५ मार्च को जब वह चुने गये विधान सभा के सदस्य, तो उन्होंने शपथ ली। शायद उस रोज गोविन्द नारायण जी मौजूद न हों, उनको मालूम न होगा। उसके पहले वह मंत्री की हैसियत से रहे, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन नियम १७७ के अनुसार यह सब होता रहा है। तो १७७ के रहते हुए वह किस तरह से कहते हैं कि उक्त मंत्रिगण नहीं बैठ सकते इस सदन में ?

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—मैं संविधान के आर्टिकिल १७७ को अपनी इस दलील की पुष्टि में पेश करना चाहता था और १७७ को जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो जो प्वाइंट हमने सदन के सामने आपकी आज्ञा से पेश किया है उसी प्वाइंट की पुष्टि होगी। १७७ आर्टिकिल पढ़ने के साथ-साथ श्रीमन्, आर्टिकिल १६४ भी पढ़ने की कृपा करें। मैं पढ़ दूं—

"164. (3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१६४ के अनुसार एक मिनिस्टर साहब जब मिनिस्टर होंगे तो दो ओथ्स उनको लेनी पड़ेंगी । एक ओथ आफ आफिस और एक ओथ आफ सीक्रेसी । थर्ड शिड्यूल में तीन ओथ अलग लिखी हुई हैं--एक ओथ आफ आफिस, दूसरी ओथ आफ सीक्रेसी और तीसरा है ओथ आफ मेम्बरशिप। तो इस तरह से आर्टिकिल १६४ के अनुसार तो वह मिनिस्टर हो जावेंगे दो ओथ्स लेने पर। अब आर्टिकिल १७७ के अनुसार, जैसा श्रीमन्, ने अभी प्वाइंट आउट किया, उनको एक अधिकार हो जायगा सिर्फ यह कि वह इस सदन को ऐड्रेस कर सकें। एक बार उसमें सिर्फ इतना दे दिया गया है कि वह वोट नहीं कर सकेंगे। तो मैंने यह चैलेंज नहीं किया कि जो माननीय मंत्री महोदय हैं वह इस हाउस को ऐड्रेस नहीं कर सकते। यह बात मैंने चैलेंज नहीं की है। मैंने उनके राइट आफ मिनिस्टरशिप को भी चैलेंज नहीं किया। १६४ के अनुसार वह मिनिस्टर हैं। लेकिन १७७ के हिसाब से उन पर कोई मेम्बरशिप कन्फर नहीं हुई। हाउस को वह ऐड्रेस भी कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष--'अदरवाइज टु टेक पार्ट' यह भी है उसमें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--'अदरवाइज टु टेक पार्ट' के मानी जब आप निकालेंगे तो यही होगा। तो अब १८८ और १९३ आर्टिकिल्स भी आप देखें और श्रीमन्, जो आपने रूल्स बनाये हैं वह भी देखें। इसके साथ-साथ एक बात और निवेदन कर दूं कि रिप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत जैसा कि कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के इस आदरणीय सदन के सदस्य केवल ४३० हैं और एक नामिनेटेड मिलाकर ४३१ हैं। किसी भी सूरत में वह ४३१ से ४३२, ४३३, ४३४ या ४३५ कभी भी नहीं हो सकते। कोई कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल, रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट का कोई इंटरप्रिटेशन और जो रूल्स इस आदरणीय सदन ने बनाये हैं, किसी में भी यह ताकत नहीं है कि जिसके अनुसार ४३१ के बजाय ४३५ मेम्बर हो जायं। इसलिये उन ४३१ के अलावा कोई दूसरा आदमी इस सदन का मेम्बर जब नहीं हो सकता तो मेरा कंटेंशन जो है आपके सामने वह यह है कि वह इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--जी, वह तो मैं भी कह रहा हूं कि जो चुने नहीं गये हैं वह इस सदन के मेम्बर नहीं हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--तो जब सदस्य नहीं हैं तो उसके बाद जो आपके नियम हैं इस हाउस के उनको आप देखें। नियम ६ यह है--

"The members shall sit in such order as the Speaker may determine."

तो जो मेम्बर्स हैं इस आदरणीय सदन के उन्हीं के लिये, श्रीमन्, सीट्स डिटरमिन करेंगे। जो मेम्बर्स के अलावा होंगे उनके लिये डिटरमिनेशन नहीं होगा। लिहाजा यह जो बेंचेज बनी हुई हैं एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज के लिये उनमें कोई तख्ती उनके नाम की लग जाय तो यह इस नियम के अनुसार उनके लिये कोई सीट्स का एलाटमेंट नहीं हो सकता।

इसी नियम में आप देखेंगे कि कंट्रावेंशन आफ दी प्राविजन्स आफ आर्टिकिल १९३ में यह दिया हुआ है—

"Contravention of the provisions of Article 193(*a*). No person other than a member shall sit on the seats meant exclusively for the members in the Assembly Hall."

तो मेरा निवेदन यह है कि यह ४३० सीटें केवल उन लोगों केलिये बनाई गई हैं जो ८८ हजार, ९० हजार की कांस्टीट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आते हैं। मुझे एतराज यह नहीं है कि कोई मिनिस्टर न बने, लकिन मेरा निवेदन यह है कि इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा इस बात से

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

बढ़ेगी कि जो एलेक्टेड रिप्रेंजेंटेटिव की सीट हैं उस सीट के अलावा उनको आप कहीं बैठावें, क्योंकि आपके इन नियमों में यह दिया हुआ है कि इन सीटों पर कोई नान-मेम्बर नहीं बैठेगा। अगर कोई नान-मेम्बर इन सीट्स पर बैठेगा तो उस पर १९३ आर्टिकिल के अनुसार ५०० रुपया रोज जुरमाना होगा।

मैं एक बात और कह दूं कि मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में भी यह दिया हुआ है कि जब तक उसकी ओथ न हो जाय तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के जो मेम्बर हैं, वह हाउस में बैठ नहीं सकते क्योंकि हाउस में ओथ नहीं हो सकती। मैं इंग्लैंड का केस पेश करूंगा। वहां यह है कि तब तक वह मेम्बर नीचे बैठता है। हाउस की प्रोसीडिंग चलती रहती है, लेकिन वह मेम्बर नीचे बैठा रहता है। इस तरह से वे मिनिस्टर रहें और ठाठ से अपनी मिनिस्ट्री करते रहें, लेकिन जहां तक इन सीट्स का सम्बन्ध है वे इन पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर वे तब भी बैठते हैं तो १९३ के अनुसार उनको ५०० रुपया रोज जुरमाना किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---मैं आपकी इस प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं कि मान लीजिये ४३० सदस्य उपस्थित हो गये तो उसके बाद उन कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिये कौन-सी सीट्स होंगी जिनके लिये एतराज उठाया गया है? जिस तरह से गवर्नर महोदय का ऐड्रेस होता है तो कौंसिल के सदस्यों के लिये अलग से इन्तजाम किया जाता है, वे हमारी सीट्स पर नहीं बैठते हैं, तो जो और मन्त्री आयेंगे उनके लिये बैठने का क्या प्रबन्ध किया जायगा?

श्री अध्यक्ष---यह संवैधानिक प्रश्न है जिसमें हम केवल तर्क के आधार पर ही नहीं चल सकते। हमारे नियम कुछ भी रहें किन्तु संविधान उनसे सर्वोपरि है। संविधान के अनुच्छेद १६४ में स्पष्ट है कि---"मिनिस्टर को राज्यपाल दो तरह की शपथ दिलायेंगे"। आप यह कबूल करते हैं कि उनको ये शपथें दी गईं और उनको आप मिनिस्टर भी मानते हैं। अब वे लोग भी मिनिस्टर हो सकते हैं जो चाहे वे इस सदन के सदस्य हों या न हों। १७७ में भी यह दिया हुआ है कि हर मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यह नहीं दिया हुआ है कि वे केवल एड्रेस करें क्योंकि वे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं तथा और भी कार्यवाही सदन में होती है। उनके विभागों पर हमले होते हैं। वे सुनेंगे तो उसका स्पष्टीकरण भी देंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं दे सकते। उनको यदि बोलना पड़ता है तो वे यहां पर बैठ सकते हैं। जब वे यहां पर बैठेंगे तभी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और जब कार्यवाही में भाग ले सकते हैं तो बैठ भी सकते हैं।

आपने एक नियम पढ़ कर सुनाया हमारे रूल्स के सम्बन्ध में। उसमें यह दिया हुआ है कि किसी मेम्बर के बारे में अध्यक्ष निर्णय करेगा कि कहां वह बैठे, लेकिन उसमें एक बात माननीय सदस्य छोड़ गये कि इस नियम के अनुसार मेम्बर की क्या डेफिनिशन है? नियमों में डेफिनिशन में यह है कि :---

"Member means a member of the Assembly and includes a Minister and Advocate General of U. P."

इस बात का खयाल रखा गया कि १७७ अनुच्छेद मौजूद था तो लोग एतराज कर सकते थे कि मंत्री अथवा एडवोकेट जनरल जब सदस्य नहीं हैं तो कैसे सीट अध्यक्ष देते हैं, किस जगह उसे बैठाते हैं? इसी कारण यह व्याख्या सदस्य की रखी गयी। एडवोकेट जनरल की भी एक सीट होती है और वह बिलकुल आगे बैठता है। उसके लिये भी एक जगह सीट अध्यक्ष निश्चित करते हैं और वह सामने रहती है। इसलिये मेम्बर की डेफिनिशन के अनुसार ऐसे मंत्री तथा एडवोकेट जनरल के बैठने के लिये निर्णय करने का काम अध्यक्ष का इस नियम के अनुसार है। जहां तक ५०० रुपये जुर्माने का सवाल है, उसमें अगर आप अनुच्छेद १९३ को गौर से पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार है : "If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of the State ....."। यदि कोई

व्यक्ति मेम्बर की हैसियत से बैठे या वोट करे लेजिस्लेटिव असेम्बली या लेजिस्लेटिव काउन्सिल में और यह जानते हुए कि वह उसका मुस्तहक नहीं है तब उसके लिये वह ५०० रुपये वाला नियम लागू होता है। तो वह मेम्बर्स के लिये है, लेकिन मिनिस्टर्स मेम्बर न होते हुए भी बैठ सकते हैं और उन के लिये आपत्ति नहीं हो सकती। हां, उनके लिये भी आपत्ति हो सकती है यदि वे संविधान के अनुसार सदस्य न होते हुए वोट दें। इस सदन के सदस्य न होते हुए भी अगर वोट दें, यह जानते हुए कि वे सदन के सदस्य नहीं हैं, तो १९३ उन पर लागू हो जायगी। तो परिषद् के जो मेम्बर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं वे मिनिस्टर की हैसियत से यहां बैठते हैं, लेकिन वोट देने का उनको अधिकार नहीं होता। और उनके बैठने के लिये मैं निर्णय दे सकता हूं कि वे कहां बैठें। उनको अलग बैठाने की कोई प्रथा नयी हम कायम करना नहीं चाहते और न मिनिस्टरों में कभी भेदभाव करने की व्यवस्था हमने की है। इसलिये जो दोनों वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं वे उठते नहीं हैं और मिनिस्टर्स इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार ५०० रुपये जुर्माने का सवाल पैदा नहीं होता। किसी मिनिस्टर ने वोट यहां नहीं दिया जब तक कि वह मेम्बर नहीं रहा....

(आवाजें---हां, कह कर दिया है।)

जी, नहीं दिया और आपने कभी प्रश्न भी नहीं उठाया। तो इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(तालियां)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में आप से एक निवेदन था। उसे व्यवस्था का ही प्रश्न समझिये। जो मेम्बरशिप की तीन प्रकार की ओथ्स होती हैं वह क्या आपको व्यक्तिगत जानकारी है कि सभी मिनिस्टरों ने तीन प्रकार की ओथ्स ली हुई हैं? जहां तक हमारी जानकारी है, उन्होंने दो प्रकार की ओथ ही ली है।

श्री अध्यक्ष---तीसरी ओथ परिषद् के सदस्य चेयरमैन के सामने लेते हैं और उन्होंने ली है। जो असेम्बली के सदस्य हैं उन्होंने यहां ली है और जो कहीं भी सदस्य नहीं हैं उनको ओथ लेने की जरूरत नहीं। वह ओथ उस समय लेंगे कि जब किसी सदन के सदस्य हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१*

†**गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ में नाफिज किया गया था और वह केन्द्रीय सरकार का कानून था और वह हमारे प्रदेश के लिये और कुछ अन्य प्रदेशों के लिये बना था। उस कानून को बने हुए बहुत दिन हो गये थे और उस जमाने में जो सामाजिक सूरतें थीं उनमें लगभग ९५ साल बाद काफी तब्दीली आ गयी। तो जिस बुराई को दूर करने के लिये वह कानून बनाया गया था, आज ऐसा महसूस होता है कि उसका पूरा मुकाबला करने के लिये या उसको दूर करने के लिये वह कानून अपर्याप्त है और बुराई, जैसा कानून के नाम से जाहिर होता है, "जुआ का खेलना" यह बुराई है। यह दुष्कर्म आज कल बढ़ता जा रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वह तो बरबाद होते ही हैं, उनके घरवालों, उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनके सारे कुटुम्ब के लोगों को आर्थिक कष्ट सहन करना

---

*४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

पड़ता है। यह सभी जुर्मों में होता है। आदमी कत्ल करता है, फांसी पाता है तो घर वालों को तकलीफ होती है, लेकिन जुये के खेल में एक और भी खराबी है। वह यह कि जब जुये का जुर्म आदमी करता है तो उससे और भी सामाजिक बुराइयां समाज में पैदा हो जाती हैं। रुपया दांव पर लगा दिया और नुक्सान हो गया, तो उसके लिये आदमी चोरी करता है और बुरी संगत में फंसता है। इसलिये जुआ एक छोटा-मोटा जुर्म नहीं है। देखने में तो लगता है कि मामूली जुर्म है, लेकिन यह और जुर्मों का जन्मदाता है।

यों तो सारे प्रदेश में लोग यह जुर्म करते हैं, लेकिन पश्चिमी जिलों में यह जोरों पर है, उधर पंजाब, राजस्थान में भीज्यादा है। इसीलिये गवर्नमेंट को इस संशोधन विधेयक के लाने की जरूरत महसूस हुई।

हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी गवर्नमेंट से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस बुराई को दूर करने में पुलिस को अधिक कामयाबी मिले तो कानून में संशोधन करना आवश्यक है। २ डिप्टी इंस्पेटर्स जनरलों ने इंस्पेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखी इस सम्बन्ध में और इंस्पेक्टर जेनरल साहब ने गवर्नमेंट को लिखा। हमने उनसे कहा कि आप अपना सुझाव दें, तो उन्होंने अपने यहां एक कमेटी इस बात के लिये मुकर्रर की और जो उस कमेटी के सुझाव थे उनको अपने यहां एक स्टडी ग्रुप आफिसरों का जो इस जुर्म के रोकने के सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखते हैं, उसके सामने रखा और गवर्नमेंट के पास एक मुफस्सिल रिपोर्ट भेजी।

वैसे तो कानून बहुत छोटा-सा है, केवल १७ धाराओं का, लेकिन अब जो कानून में संशोधन करने का विचार है वह मोटे तौर पर ४ बातों के लिये है। छोटे मोटे तो बहुत से संशोधन हैं, लेकिन मुख्य चार हैं। एक तो यह कि 'इंस्ट्रुमेंट्स आफ गेमिंग' यानी जुआ खेलने के उपकरण यानी जैसे सट्टे का परचा लगा कर दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी जुआ खेला नहीं है, इसलिये कैसे वह खेला जाता है यह मुझे मालूम नहीं है और अगर माननीय गोविन्दसिंह विष्ट या प्रतापसिंह जी मुझसे इस सम्बन्ध में जिरह करेंगे तो मैं जवाब अच्छी तरह से नहीं दे सकूंगा शायद (हंसी)। लेकिन जो मेरे पास आई० जी० पी० का खत है उससे मुझे जो मालूम हुआ है उसी के आधार पर मैं बतला सकता हूं।

उससे मुझे यह मालूम हुआ कि एक कागज होता है, उस पर कुछ फिगर्स लिखी रहती हैं, वह पहले किसी सब-एजेन्ट के पास जाता है, उससे वह जोनल एजेन्ट के पास जाता है और फिर वह जो सट्टे का हेडक्वार्टर होता है उसके पास जाता है और इस तरह से यह सट्टा खेला जाता है। अब अगर इन पर्चों को हमारे पुलिस के आफिसर अपने कब्जे में भी कर लें तो कोर्ट में उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है। जो हाई कोर्ट की नजीरें हैं उनके अनुसार यह इन्सट्रुमेंट आफ गेमिंग की परिभाषा में नहीं आता और बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। एक लेमैन की दृष्टि से यह जरूर इन्सट्रुमेन्ट आफ गेमिंग में आता है, मगर वह साबित नहीं हो पाता। अगर किसी को मकान के अन्दर भी पकड़ लें तो भी वह साबित नहीं हो पाता है। यह जुआ जिसका नाम सट्टा है काफी कसरत से खेला जाता है। इस कारण पुलिस के सामने यह कठिनाई आई और यह सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई संशोधन ऐसा किया जाय कि अगर सट्टे की पर्चीं वगैरह उनकी गिरफ्त में आये तो वे उस मुजरिम को सजा दिला सकें।

इस बिल में मुख्य ४ संशोधन ही हैं। एक तो यह कि 'इन्सट्रुमेन्ट आफ गेमिंग' की परिभाषा में इस चीज को साफ कर दिया गया है कि अगर 'सट्टे की पर्ची' जिस पर कि इस प्रकार के आंकड़े आदि लिखे रहते हैं, पायी गयी तो उसको 'इन्सट्रुमेन्ट आफ गेमिंग' माना जायेगा।

दूसरी तरमीम यह की गयी है कि अगर कोई आदमी गेमिंग हाउस के नजदीक भी पकड़ा जायेगा और उसके कब्जे में से यह पर्ची मिलेगी तो वह भी मुजरिम माना जायेगा। अक्सर यह देखा गया है कि जब पुलिस को मालूम होता है कि फलां जगह जुआ खेला जा रहा है और

पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिये पहुंचती है तो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और मकान के अन्दर कभी-कभी नहीं पकड़े जाते हैं। पुलिस का उसके लिये किसी गजटेड आफिसर की परमिशन लेकर जाना होता है और इस बीच जुआरियों को अगर पता चल गया तो वे भाग जाते हैं। इसलिये यह तरमीम करना भी जरूरी समझा गया कि अगर कोई गेमिंग हाउस के नजदीक भी पकड़ा गया तो वह अपराधी समझा जायेगा।

इस में यह भी किया गया है कि जो गेमिंग हाउस को मेन्टेन करता है वह भी अपराधी है। जो गेमिंग हाउस में जुआ खेलता है वह भी अपराधी है और कुछ सड़क वगैरह पर तीतर बटेर आदि से भी जुआ खेलते हैं ....

श्री अध्यक्ष---पतंग खेलना भी इसमें आता है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---इसका जवाब तो आप ज्यादा अच्छा दे सकते हैं।

श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---यह जो हार्स रेसेज होती हैं इसके बारे में भी कुछ है इसमें ?

श्री चरणसिंह---वह इसमें नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है इससे.....

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)---कानपुर में चेम्बर्स आफ कामर्स में जो सट्टा खेला जाता है क्या उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, ये तीन प्रकार के जुर्म हैं और इनमें जो सब से बड़ा जुर्म है वह है अपने मुनाफे के लिये कामन गैंबलिंग हाउस एस्टेब्लिश करना ताकि दूसरे लोग वहां आकर बरबाद हो सकें। ये सारे जुर्म बेलेबिल थे। लेकिन अब मकान मेन्टेन करने वाले इस जुर्म को हम नान-बेलेबिल करार देने का विचार कर रहे हैं ताकि अगर जमानत भी हो तो अदालत से ही हो और पुलिस उसको जमानत पर न छोड़ सके।

विधेयक का चौथा खंड है 'मिनिमम सजा का प्रेस्क्राइब करना'। इससे कम सजा अदालत नहीं दे सकेगी और अगर दूसरी बार वही शख्श पकड़ा जाय तो पहले जुर्म की जो सजा है उससे कहीं अधिक सजा दी जाय, इस तरह का संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर सभी क्रिमिनल लेजिस्लेशन्स में यह है कि मैक्सीमम सजा प्रेस्क्राइब्ड है और अदालत को खुद यह अख्तियार होता है कि खुद तय करे कि कितनी सजा वह उसको दे। आमतौर पर यह उसूल सही है। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे हैं मस्लन---एडल्टेरेशन और जुआ, जिनमें अगर थोड़ी सजा दी जाय या थोड़ा जुर्माना किया जाय तो उन पर कोई असर नहीं होता।

इस सिलसिले में मैजिस्ट्रेट साहबान जो कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो वाक़या है वह मेरठ रीजन के आंकड़ों से जाहिर हो जायगा। आपकी इजाजत से सदन को मैं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि मेरठ रीजन में सन् ५६ से ६० तक पांच सालों में ३,४६९ पब्लिक कनविक्शन्स हुए। उनमें से २,६७५ यानी ७७ प्रतिशत में ५० रुपया से कम जुरमाना हुआ, ४५४ केसेज यानी १३ प्रतिशत में ५० रुपये से १०० रुपये तक जुर्माना हुआ, ५ प्रतिशत में १०० रुपया से अधिक जुरमाना हुआ और शेष ५ प्रतिशत में सजाए कैद हुई। अब अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं और माननीय सदस्य भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि इस प्रकार की सजा बिलकुल बेअसर है। इसका उन लोगों पर कोई असर नहीं होता जो लोग इस जुर्म के करने वाले होते हैं।

अब इसके लिये तजवीज यह है कि जो लोग जुआ खिलाते हैं उन पर पहले जुर्म में २०० रुपया से कम जुर्माना नहीं होगा और ५०० रुपया से ज्यादा नहीं होगा, इसके साथ ही सजाए कैद भी होगी जो तीन महीने तक हो सकती है। दुबारा जो जुर्म करेगा उस पर २५० रुपये से कम

[श्री चरणसिंह]

जुर्माना नहीं होगा और ७५० रुपये से ज्यादा नहीं होगा और सजाए कैद ३ महीने से कम नहीं होगी। सजाये कैद पहले जुर्म में तीन महीने तक हो सकती है और दूसरे जुर्म में तीन महीने से कम नहींहोगी। इसी प्रकार जो लोग जुआ खिलाते हैं उनके लिये भी इसी तरह की सजा है। पहले जुर्म, में मिनिमम मैक्सीमम और दूसरे जुर्म में सजा ज्यादा और उसमें भी जुर्म मिनिमम मैक्सीमम प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये चार मुख्य संशोधन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदन को यह बिल स्वीकार होगा।

एक बात और अर्ज कर दूं। एक अमेंडमेंट है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का। चूंकि आपने एक रूलिंग दे दी है इसलिये अब उस अमेंडमेंट का सवाल उठता नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन, मैं इस पर एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इसमें जो संशोधन किया गया है आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं। धारा ९ की उपधारा (२) में लिखा हुआ है—

(२) दूसरे पैरा में शब्द—

"or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals."

के स्थान पर शब्द

"or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals." रख दिये जायं और मूल अधिनियम की धारा १३ पढ़ें तो उसमें भी ये ही शब्द दिए हुए हैं। उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यह सदन को मिसगाइड व फ्यूज करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आपकी यह आपत्ति एक खंड के विषय में है। तो जिस समय वह खंड सामने आवे उस समय आप व्यवस्था का प्रश्न उठावें।

*** श्री मोती लाल अवस्थी** (जिला कानपुर)— अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं जो इस प्रकार है—

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि को भी विस्तृत करने की शक्ति होगी।"

श्रीमन्, इस विधेयक को प्रवर समिति में देने का जो संशोधन है, यह तो केवल सरकार का ध्यान, इसके अन्दर निहित जो बहुत-सी बातें हैं, उसी ओर दिलाने का है। श्रीमन्, यह जो पब्लिक गैम्बलिंग संशोधन विधेयक माननीय पुलिस मंत्री जी ने पेश किया है, उसके लिये मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं। मुबारकबादी में इसलिये दे रहा हूं कि इसमें जो उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं, उसमें उन्होंने पुलिस विभाग की खामियों के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दी है। उसमें ये लफ्ज लिखे हुए हैं—"इस राज्य के कई भागों में जुए का दुष्कर्म अधिक बढ़ता और फैलता जा रहा है; और पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ के वर्तमान उपबन्ध इस दुष्कर्म को रोकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं।" उक्त ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दंड की जो व्यवस्था की गई है वह भी जुये के दुष्कर्म की रोकथाम के सम्बन्ध में अपर्याप्त सिद्ध हुई है। यह ऐक्ट इस समय जिस रूप में है उससे पुलिस के लिये अपराधियों के विरुद्ध शीघ्रता से और प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना कठिन हो जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी हमारे पुलस मंत्री ने इस बात की स्वीकृति दी कि हम इस दुष्कर्म को रोक नहीं पाये और श्रीमन्, यह न रोक सकने की जो अवधि है वह बहुत लम्बी रही है।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

९५ वर्ष से यह दुष्कर्म चलता रहा और आज हमारे सामने पुलिस मंत्री जी की ओर से यह उन्नतिशील विधेयक रखा गया है, जिसकी मंशा यह बताई गई है कि अब इससे जुआ रोका जायगा। मैं आप की आज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल हमारे सामने है यह सचमुच इस दुष्कर्म को घटाने में जरा भी सहायक साबित नहीं होगा। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि जुआ को रोकने में यह कानून सहायक न होगा और न इस दुष्कर्म को रोकने में सरकार की एजेंसी जिसको पुलिस कहते हैं उसकी कार्यशीलता कारगर मानी जा सकती है। अगर वह स्वयं जुए को बढ़ाती है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि इस विधेयक के द्वारा यह सम्भव होगा कि जुआ कम हो।

मैं आपके सामने यह भी रख दूं कि आज इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये सरकार ने एक बड़े प्रयास के बाद यह चीज हमारे सामने लाकर रखी है। उनका कहना है कि मेरठ में एक स्टडी ग्रुप गया और इंसपेक्टर जनरल पुलिस ने अपना दिमाग भिड़ाया और एक छानबीन के बाद यह संशोधन मूल ऐक्ट में लाये गये हैं। इसकी मंशा केवल एक बात से है कि इसमें कुछ सजाओं को बढ़ा दिया गया है और वह भी इसलिये कि मैजिस्ट्रेटों के स्वभाव को बदलना उनके लिये मुश्किल दिखाई पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव बना रखा था कि जुआ खेलने वालों के साथ रियायत की जाय। मेरठ की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उसमें यह बताया गया है कि केवल ५ प्रतिशत इस जुर्म वालों को सजा देने का प्रयास किया गया है और बाकी ९५ प्रतिशत जुआ खेलने वालों के साथ मैजिस्ट्रेटों ने रियायत की। यह बात केवल मेरठ के ही मैजिस्ट्रेटों की नहीं है, बल्कि सारे सूबे के मैजिस्ट्रेटों के यही कारनामे हैं। अगर आप अधिकार दे तो मैं कह सकता हूं कि वह रियायत इसलिये करते हैं क्योंकि वह स्वयं जुआरी हैं।

मैं मजिस्ट्रेटों का आदर करता हूं, लेकिन मैं उनकी आदतों को जानता हूं कि रात को रिक्रियेशन के लिये आफिसर सर्किल में उसी प्रकार जुआ होता है जैसे ताश का या कौड़ियों का खेल होता है। इसके अलावा आज के आधुनिक जमाने में अनेकों प्रकार के जुआ चल गये हैं, लेकिन परिभाषा में जो परिवर्तन किया गया है वह केवल सट्टे के सम्बन्ध में ही किया गया है, लेकिन क्या मंत्री जी को वह अनेक तरीके मालूम हैं जिनके द्वारा हर मेले में सड़कों, पर अनेक प्रकार के जुए के खेल होते हैं और गरीब देहाती किसानों को लूटने, ठगने के जो यह तरीके हैं उनको क्या यह जायज रखना चाहते हैं, ?

किसी भी मेले में आप जायं, जुआ खुले आम होता है। मंत्री जो मेरी बात नहीं सुनेंगे। वह बार-बार चले जाते हैं।

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—मैं उनके स्थान पर आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो अपनी बात कहूंगा ही। कानपुर में ऐसे मशहूर जुएखाने मौजूद हैं जिन की जानकारी डी० एस० पी० को है, लेकिन आजतक उन्होंने उस पर उंगली नहीं उठाई। वह उठायेंगे ही नहीं। उजागर महाराज का अड्डा मशहूर है, वहां रातदिन जुआ होता रहा, अब तो वह नहीं रहे, लेकिन यही उन की जीवन कहानी थी। उन का यह तय था कि जुआ तो जारी रहेगा, लेकिन कभी-कभी पकड़ लिया करेंगे।

आज आप चले जायं जहानाबाद, फतेहपुर जिले में है, वहां एक मुस्लिम सज्जन हैं, २४ घंटे उनके यहां जुआ होता है। मैं फतेहपुर जेल में था। उन्हीं के जुआरी हमारे साथ आये। उन्होंने बतलाया कि हमारे भाई हैं, हर साल वह मक्का शरीफ जाते हैं और हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जुए की लत को नहीं छोड़ते और जुए से लाखों रुपया पैदा किया है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इमारतें खड़ी हैं। जुआ पकड़ा जाता है, जमानतदार आ जाता है, सजा काट लेते हैं एक-दो महीने की और फिर जुआ होता रहता है ।

कानपुर में, कहिये तो और दो-चार जगह बता हूं। लेकिन मैं क्यों बता दूं ? जो बड़े-बड़े अफसर हैं वह पता लगायें। अपनी प्राइवेट डायरियां खोलें और देखें कि वह नाम दर्ज हैं या नहीं। पुलिस कमीशन की बैठक हो रही थी। एक अधिकारी ने कहा कि आपने नशा-पत्ती की कुछ बात कही थी, वह बता दीजिये। मैंने कहा कि जरूर मैंने सदन में कहा होगा, मैं बता दूंगा, बाकी काम तो आपका है। कानपुर में आज गैम्बलिंग गैंग सैकड़ों साल से मौजूद हैं। खुले आम जुआ हो रहा है। फतेहपुर में मौजूद है और कई जिलों की बात भी मैं जानता हूं जहां के मजिस्ट्रेट केवल साधारण जुर्माना करके छोड़ देने के आदी हो गये हैं। क्या उनकी आदत को आप इस तरह दे बदल देंगे ? क्या आप उन पुलिस आफिसर्स को इस तरह से बदल देंगे जो जुआ खेलने में सहायता देते हैं ? देहात के सब-इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबिल्स का हिस्सा रहता है और वह कहते हैं कि यदाकदा पकड़ लिया करेंगे लेकिन जुआ होगा, उससे तो हमें आमदनी है। क्या २००-२५० रुपया जुर्माना कर देने से या थोड़ी सी सजा बढ़ा देने से सब ठीक हो जायगा ? श्रीमन्, से विधेयक में खामी यह है कि मंशा की तब्दीली नहीं है। मंत्री जी की तो मैं तारीफ करता हूं, उनकी मुस्तैदी की तारीफ करता हूं और उनके कामों की तारीफ करता हूं, लेकिन जिस हथियार से वह अपने विभाग को चलाना चाहते हैं क्या इस परिवर्तन से वह कामयाब हो पायेंगे ?

श्रीमन्, बहुत सी बातें हमारे सामने हैं। मैंने बड़े गौर से उसे देखने की कोशिश की। क्या इस थोड़े से शाब्दिक हेर-फेर से सरकार जुए को कम कर पायेगी ? जो थोड़े से हेर-फेर हैं वह तो इसलिये हैं कि मैजिस्ट्रेट अपनी आदत को सम्हाल लें और जो कम से कम सजा है उतनी तो देने को बाध्य ही हों। इस चीज का तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन पुलिस के स्वभाव को बदलने के लिये इसमें क्या है ? एक जगह जहां डी० एस० पी० है वहां आपने यह बढ़ाया है :—

"Or any Police Officer of gazetted rank especially empowered in this behalf by the State Government".

इसमें पुलिस आफिसर आफ गजटेड रैंक हैं। तो यही होगा कि गजटेड रैंक वाले आफिसर कभी यह गवारा नहीं करेंगे कि किसी खतरे को मोल लें और उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। जब कभी ऐसा काम होता है तो वह भय खाते हैं। होता यह है कि उनके जाने के पहले ही जुए-खाने में इत्तला मिल जाती है और वह सतर्क हो जाते हैं। वह इत्तला कैसे मिल जाती है ? वह पुलिस के द्वारा पहुंचाई जाती है कि फलां समय पर पकड़ने आवेंगे और वे लोग सतर्क हो जाते हैं ।

अब हम और आप इसमें क्या करेंगे ? अगर यह हो जाय कि पुलिस का अधिकार इतना बढ़ा दें कि नान-गजटेड को भी वह अधिकार दे दें, तो मैं यह दुधारी तलवार देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो उन तरीकों में परिवर्तन की बात करता हूं जिनसे यह दुष्कर्म दूर हो। कौन नहीं चाहता कि जुआ कम हो जाय ? कौन नहीं चाहता कि प्रदेश में इस चीज में कमी हो ? कौन नहीं चाहता है कि आज गांव-गांव में जो जुए बढ़ रहे हैं, जुआ इस तरह से बढ़ रहा है जैसे मक्खियां बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा हो, यह सब जो कुकर्म बढ़ रहे हैं वह कम हों—

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में एक विशेष प्रयास यह किया गया है "In the vicinity", "Or in the immediate vicinity thereof" इससे सरकार समझती है कि कुछ जुआ पकड़ सके। अगर यह संशोधन अच्छी मंशा से लाया गया होता तो हम स्वागत करते लेकिन हमें डर है कि इसके भी दो अर्थ होंगे ।

अब जरा दफा ४ को भी देखा जाय। इसमें कहा गया है "Whoever is found in any such place"। इसमें ही "In the vicinity of" बढ़ाया गया है। तो विसिनिटी आफ, कह करके सरकार का क्या मंशा है?. विसिनिटी के माने मैंने डिक्शनरी में देखे "in the neighbourhood, a place near"। तो इसके माने किसी तरफ और किसी तरह लगाये जा सकते हैं। हाई कोर्ट से लेकर नीचे की कोर्ट तक इसके वाइड मीनिंग लिये जा सकते हैं। सरकार को विसिनिटी की परिभाषा करनी चाहिये कि "Within the hearing distance" विसिनिटी के माने यह भी हो सकते हैं कि एक दालान में जुआ हो रहा है और सामने रास्ता है। उस दालान से जुआ पकड़ा गया, और पुलिस वाले ही उस पैसे को अपने पास रख लेते हैं। अब अगर किसी भले आदमी ने एतराज किया कि इस जुए में एक कांस्टेबिल था भी, उसको आपने क्यों छोड़ दिया? तो उसको भी पकड़ा जा सकता है यह कह कर कि तुम इसकी विसिनिटी में थे। तो शब्द के अन्तर को ठीक करना चाहिये। यह भी सरकार को देखना पड़ेगा अन्यथा हाई कोर्ट में इसका मतलब दूसरा लिया जा सकता है।

मंत्री जी कहेंगे कि आप पुलिस की नीयत पर हमेशा हमला करते हैं। आप पुलिस को भला क्यों नहीं समझते? मैं समझूंगा तब जब आपके यह चेक्स कामयाब होंगे।

पहली अगस्त को पुलिस कमीशन की रपट आयी, उस पर विचार हो रहा है। यह सदन ३१ अगस्त तक चलेगा उसके बाद सेशन होगा या नहीं कोई निश्चित नहीं है। सम्भव है कि उसके बारे में विचार करने का कुछ मौका ही न मिल सके। इसलिये 'In the vicinity' जो नई बात लगायी गई है इसको मंत्री जी गौर से देखें कि क्या इससे सचमुच रोकथाम हो पायेगी?

मंत्री जी कहते हैं कि हमने दंड की व्यवस्था बढ़ा दी है जिससे जुर्म कम हों। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं-कहीं पर आपने पहले से दंड को घटा दिया है। यह क्यों? खंड ३ में जो आपने अंतिम भाग में कहा है कि—

"In the case of a first offence to fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees or to rigorous imprisonment for a term not exceeeding three months; and in the case of any subsequent offence to fine not exceeding seven hundred and fifty rupees nor less than two hundred and fifty rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding twelve months nor less than three months."

लेकिन इसके पहले जो मूल ऐक्ट में सबसीक्वेन्ट आफेन्स के लिये पेनाल्टी है, वह एक हजार रुपया है। तो फिर आप ७५० रुपये की बात क्यों कह रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं? यह तो एक चकमा सा है।

अभी हमारे एक सज्जन ने बड़ी सुन्दरता से कहा कि सब जुये तो आप बन्द करना चाहते हैं, लेकिन क्या हार्स रेस और सट्टों के जुओं पर रोकथाम नहीं होगी? जो क्लबों में होता है वह कोई जुआ नहीं है? हां, गरीबों का हर किस्म का खेल जुआ माना गया है। मैंने "गरीब" इसलिये कहा कि बहुत से लोग प्रोटेक्टेड हैं। अगर वे सजे हुए कमरे में खेल रहे हों जहां पुलिस का घुसना मुश्किल हो तो वह जुआ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जुआ हो जहां कोई दबदबेदार आदमी न हो तो वह जुआ है। वह जुआ तो है ही, लेकिन अगर जुये का स्वभाव बदलना है तो पहले मैजिस्ट्रेटों का स्वभाव बदलिये।

आज हमारे सामने छोटा सा संशोधन लाकर यह कोशिश की गयी है कि इस प्रदेश में जुए को कम करेंगे। इंस्ट्रूमेंट आफ गेमिंग में जो सट्टे की बात कही गयी है वह खास है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कानपुर से आता हूं और कानपुर में सट्टा प्रमुख है। वहां सट्टा भी अधिक है और जुआ भी अधिक है और गैम्बलिंग डेन्स भी अधिक हैं और वहां अगर कोई डी० एस० पी० हो कर आया और जब रिटायर हो कर गया तो तीन लाख से कम का असामी हो कर नहीं जाता है। कानपुर जाने के लिये रिश्वतें भी चलती हैं। अब इस सट्टे को मंत्री जी ने

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

समझाया कि हम इस तरह से पकड़ेंगे। मैं मानता हूं कि आप इस तरह से पकड़ेंगे, लेकिन आजतक जो सट्टा हो रहा था इसकी रोकथाम के लिये सरकार के पास थोड़े से इलाज थे। एक कांस्टेबिल खड़ा रहता था और यह कहा करता था कि इस तरह के काम में हम पकड़ेंगे, लेकिन आजतक कोई कारगुजारी हुई नहीं। अब परिभाषा बदल कर सट्टे को पकड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन सट्टा ऐसी चीज है कि मंत्री जी के किसी भी डिफाईनिंग वर्ड से वह पकड़ा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह भी एक रईसों का जुआ है। यह खुलेआम होता है, पुलिस की मदद से होता है जिस पर कभी भी कोई हाथ नहीं डाल सकेगा।

सट्टे की परिभाषा में जैसे पहले ऐक्ट में था कि चुनाव अगर होने जा रहा है तो उसमें सट्टा हो जाया करता था कि फलां शख्स जीतेगा या हारेगा, तो इस जुये के दुष्कर्म को दूर करने के लिये जितने उतवाले मंत्री जी हैं उससे कई गुना उतावले हम हैं और उसको दूर करने के लिये हम उनको बड़ी से बड़ी मदद देने केलिये तैयार हैं, लेकिन मैं उनसे केवल इतना ही चाहूंगा कि दूर करने के लिये वे अपनी पुलिस फोर्स को या उस एजेन्सी को, मैजिस्ट्रेसी को, थोड़ा सा सुधार लें, ताकि वह पब्लिक के साथ सहयोग करने लग जायं तब यह चीज रुक सकती है और दूर हो सकती। आज यह होता है कि जिस मुहल्ले में जुआ होता है उस मुहल्ले के लोग जुआरियों से भय खाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह उनके खिलाफ कुछ कहते हैं तो पुलिस उनको ही परेशान करेगी। मैं देखता हूं कि कानपुर में उजागर महाराज के यहां एक स्थान पर जुआ होता है। मैंने यह जानने की कोशिश की कि जब बच्चा-बच्चा जानता है कि उजागर महाराज के यहां जुआ होता है तो पकड़ा क्यों नहीं जाता। लोगों ने मुझे बताया कि उजागर महाराज का इतना जोर है कि अगर कोई उसके खिलाफ उंगली उठायेगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ जायगी। मैंने कहा कि क्या सारी पुलिस उसकी एजेंट है तो लोगों ने कहा कि जी हां। इसके आगे मालूम हुआ कि ज्यों ही कोई नया पुलिस अफसर आता है तो यह लोग जाकर उसको सलाम करते हैं और हिसाब दिखाकर कहते हैं कि इतना हिसाब चल रहा है। आपकी एक हजार रुपये की आमदनी बनी हुई है। इसलिये आप बकाया भी ले लें और आगे का भी ले लें। अब बताइये, कैसे वह पकड़ा जा सकता है? अगर हमारे मंत्री जी भेष बदलकर जायं तो भले ही पकड़ सकते हैं अन्यथा नहीं पकड़ सकते।

आज हमारे सामने जो माननीय पुलिस मन्त्री जी की ओर से प्रयास किया जा रहा है सुधार करने का उसके लिये मैंने पहले भी स्वागत किया था और आज भी स्वागत कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि जो शब्द "पब्लिक स्ट्रीट" हैं उनको थोड़ा सा देख लिया जाय। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे किसी शहर को लें जैसे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि, इनमें बराबर जुआ होता है सिर्फ तरीके की भिन्नता है। उसके कारण पुलिस उसको जुए की परिभाषा में नहीं लेती है। कानपुर में मनकपुर का मेला हो रहा था। उसमें एक ऐसा जुआ खेला जा रहा था कि एक सर्किल में एक सूई घूमती थी और दाव लगाने वाले नम्बर पर सुई आ जाती थी तो उसको १६ गुना दाम मिलता था। उसके रोकने के लिये पुलिस से कहा गया तो पुलिस ने कहा कि कैसे पकड़ें? यह जुए की परिभाषा में नहीं आता है। अब यह चीज भी उनके तय करने की होती है कि वह जुए की परिभाषा में आता है या नहीं? इसके लिये सरकार को चाहिये कि प्रयास करे। इसमें इस प्रकार है कि—

"In the case of a first offence to fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees or to rigorous imprisonment for a term not exceeding three months;"

आज यह कहा गया है कि जुरमाने के साथ जो सजा दी जायगी वह सख्त हुआ करेगी। इतना ही परिवर्तन है। या तो सजा होगी या जुरमाना होगा। पहले "or" शब्द रहा और सजा महीने या १५ दिन की होती थी। लेकिन आज सरकार ने तय कर दिया है कि इतने दिनों की सजा होगी। अब बहुत कुछ हरफर है। मैं जानना चाहूंगा कि यह सख्त सजा

में " Or " क्यों लगा है? दोनों ही बनी रहें तो क्या दिक्कत है ? जुरमाना इसलिये जरूरी है कि जब रुपया होता है तभी जुए की आदत पड़ती है। इसलिये रुपये का दंड देना जरूरी है। अगर सजा भी दी जायगी तो जुआ खेलने की आदत कम होगी। आज यह कहा गया है कि जुरमाना भी होगा और मैजिस्ट्रेट चाहे तो सजा देगा। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि सजा की बात भी अवश्य रखी जाय।

श्रीमन्, एक बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह रखा है कि ऐसे जुर्मों में नान-बेलेबिल तरीका अखतियार किया जाय । यह तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं कि इसमें जो शब्द " In the immediate vicinity of " बढ़ाये जा रहे हैं । इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से भले आदमी जो पुलिस की निगाह में होंगे वह विचारे गिरफ्त में आ जायेंगे । और कभी भी कोई जन सेवक या कोई भी आम आदमी जो सरकार के अनुचित कार्यों को सामने रखना चाहे, वह इस गिरफ्त में आ सकता है । उसकी जमानत भी नहीं होगी। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि निरपराध आदमी को सजा न मिले । उस अधिकार के प्रयोग के लिये एक ही रास्ता है कि वह जमानत से अपनी रक्षा करे और अपना जवाब दे दे। कहीं-कहीं विधेयकों में यह लिखा हुआ था—"अनलेस दि कंट्रेरी इज मेड टु ऐपियर"। उससे उसको उसके विरुद्ध भी साबित करने का मौका मिलता था। मैं इसके पक्ष में हूं। जो लोग पकड़ लिये जाते हैं उनको इस बात का इससे यह मौका रहेगा कि वह उसके विरुद्ध भी साबित कर सकें । इन शब्दों के न होने से यह होगा कि उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी कि वह अपने सबूत के द्वारा अपने को निरपराध साबित कर सकें। इसलिये मैं यह भी चाहता हूं कि यह भी सुविधा उनको मिल जाय।

जो जानवरों को लड़ाने आदि की परिभाषा की गयी है उसमें कहा गया है—

"Making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals."

यह जानवरों के खेल देहातों में अक्सर हुआ करते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं, जैसे संक्रांति, उस पर तीतर की लड़ाई लोग अपने मनोरंजन के लिये करते हैं। उसको देखते हुए जो यह प्रयास है यह भी गलत है, क्योंकि इसमें पुलिस को कुछ ऐसे अधिकार मिल जायेंगे जो राष्ट्रीय उत्सवों में दखल देने के बायस हो जायेंगे। मेरे गांव में एक मेला हो रहा था। सब-इंस्पेक्टर को इसलिये नागवार गुजरा कि उसको कुर्सी नहीं मिल रही थी। इसलिये इसी बात पर लजा कर उसने मेले में जाकर लोगों को गिरफ्तार करके मेले को बिगाड़ दिया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अवस्थी जी की स्पीच कोई सुन नहीं रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय सुन रहे हैं। इससे साफ जाहिर कि हाउस भी सुन रहा है । कभी-कभी आपके भाषण को भी लोग इस लिये नहीं सुनते हैं कि इसमें कानूनी बारीकियां ज्यादा होती हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अगर संक्षिप्त भाषण करें तो अच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इतना कहकर खत्म कर रहा हूं कि इन शब्दों का रखना भी एक अनुचित प्रयास है। इसका भी दुरुपयोग हो सकता है।

९५ साल के बाद तो यह हो रहा है, इसलिये प्रवर समिति में इस बिल को भेजा जाय। सरकार तो ९५ साल तक सोती रही और हमसे वह तीन-चार घंटे में ही स्वीकृति लेना चाहती है। इन शब्दों के बाद मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता और यह निवेदन करता हूं कि इस विधयक को प्रवर समिति के सुपुर्द अवश्य कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दें।

*श्री प्रतापसिंह—अधिष्ठाता महोदय, हम माननीय गृह मन्त्री जी की इस बात के आभारी हैं कि वे जो जुये को खेलने की प्रथा है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं और इसके लिये वे विधेयक में संशोधन लाये हैं। हममें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसके समर्थन में न हो, लेकिन मैं आपके जरिये से माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि १८६७ से आजतक जैसे-जैसे जमाना तरक्की करता गया, जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किये हैं उनके अनुसार भी, मैं समझता हूं कि जिन्दगी के हर क्षण में आज जुआ व्याप्त सा हो गया। आप जानते हैं कि आजकल जुआ केवल ताश का ही नहीं है कई प्रकार से होता है। सरकार भी करती है, मिनिस्टर और डिप्टी मिस्टिर बनाने में कितनी बड़ी गैम्बलिंग यह सरकार करती है!

अब मैं असली विषय पर आता हूं। आखिर लोग जुआ खेलते ही क्यों हैं? चाहे पूर्वी आँचल हो या पर्वतीय आंचल, जहां साल में ४ महीनें के लिये काम हो और आठ महीने लोगों के पास काम न हो तो वहां एम्प्टीमाइंड तो डेविल्स का वर्कशाप बन जाता ही है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह सरकार इन लोगों से तो जबरदस्ती जुआ खिलवाती है। जब कोई काम नहीं होगा तो बाजार से ताश ले आयेंगे और जुआ खेलेंगे।

यही नहीं, आज कल तो हमारे बड़े-बड़े अफसर लोग जुआ बहुत खेलते हैं। किसी क्लब में आप जाइये तो आप इस तरह का बहुत बड़ा अड्डा मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज वाकई सरकार जुये की प्रथा को समाप्त करना चाहती है तो इन जुये के अड्डों को, विशेषकर मैं नैनीताल बोटहाउस क्लब का नाम लेना चाहता हूं, मुझे इस क्लब से नाराजगी नहीं है लेकिन आज इस पिछड़े हुये मुल्क में हमारे आफिसरों को चाहिये कि अधिक से अधिक समय अपना देश सेवा में लगायें, लेकिन वे इन्ज्वायमेंट के अलावा कुछ चाहते ही नहीं है। इसलिये मैं, चूंकि यह सरकार इस बिल की परिधि को बढ़ाना चाहती है, यह कहता हूं कि बोट हाउस क्लब जैसे क्लबों में यह रोग न बढ़ने पावे और उसके लिये वहां रोक होनी चाहिये। हमारे आफिसर वहां २–२ बजे तक रहते हैं, सोते नहीं हैं, और न अदालत में जाते हैं और न दफ्तर में समय पर आते हैं।

श्री अधिष्ठाता—क्या उनको मजबूरन रहना पड़ता है?

श्री प्रतापसिंह—वह तो अपने इन्ज्वायमेंट के लिये वहां रुकते हैं और जनता को मजबूरन परेशान होना पड़ता है और उनके इन्ज्वायमेंट का भुगतान जनता को करना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। वह अदालत से देर में आयेंगे, जनता परेशान होगी, दफ्तर आते नहीं हैं, सारी फाइलें रुकी पड़ी रहती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इन आफिसरों के लिये इस विधेयक में कुछ नहीं हो सकता और क्यों नहीं इन क्लबों पर, गैम्बलिंग हाउसेज पर आपका कानून आयद होता?

माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि यह प्रथम वाचन है, इसमें धाराओं पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसलिये इस विधेयक को ला रहे हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों पर जुर्माना करके इस जुर्म को समाप्त करेंगे। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि आज जुआ लोग इसलिये खेलते हैं कि उनकी माली हालत गिर रही है। इससे क्या होगा कि दो सौ रुपये जुर्माना होता था अब उससे अधिक होगा सजा भी ज्यादा होगी। मैं समझता हूं कि यह जुये की प्रथा को समाप्त करने का कोई सही तरीका नहीं है। हमें वह कारण ढूंढने पड़ेंगे जिनकी वजह से कि गरीब आदमी आज जुआ खेलता है। यह जुआ कौन खेलता है? कोई एक भी उदाहरण माननीय मन्त्री जी दें कि किसी गरीब आदमी ने कहीं कोई जुये का अड्डा खोला हो? हमें इस बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की खुशी है कि एक ऐसे मन्त्री ने इस बिल को यहां पर रखा है जिनके ऊपर कि सारे प्रदेश की सुरक्षा का भार है। मैं सबको तो चार्ज करना नहीं चाहता, लेकिन जो तमाम शिकायतें आज मुझे सुनने को मिली हैं वह बताना चाहता हूं। दो-चार थानों को छोड़ दीजिये, ५ परसेंट छोड़ दीजिये, लेकिन बाकी ९५ फी सदी ऐसे थाने हैं जिनके एक या दो मील के अन्दर जुये के अड्डे हैं। लखनऊ की बात मैं नहीं जानता, लेकिन चाहे आप हल्द्वानी चले जाइये, चाहे काशीपुर चले जाइये, चाहे टनकपुर चले जाइये, दो-एक मील के अन्दर हर थाने में जुये के अड्डे मिलेंगे।

मैं एक शहर की बात बताऊं, नाम नहीं लेना चाहता, मुझसे लोगों ने कहा कि चलिये आप को दिखाऊं---बाहर दो सिपाही खड़े हैं अन्दर जुआ हो रहा है। तो ऐसी हालत में यह ऐक्ट क्या कर लेगा ? जिस पुलिस के द्वारा इस तरह के काम हो रहे हों, उसके चलते हुये आप इसमें कैसे सुधार कर पायेंगे ? आप पुलिस में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कमीशन की रिपोर्ट भी जल्दी प्रकाशित नहीं करना चाहते, तो हम क्या आशा करें, इस सरकार से ? हम नीयत पर हमला नहीं करना चाहते हैं; हम जानते हैं कि माननीय मन्त्री जी प्रदेश में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जो उनका हथियार है, जो उनके मीन्स हैं उनको जब तक नहीं सुधारा जायगा तब तक हम उस मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच सकेंगे जिसपर कि पहुंचना चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात की छान-बीन कराई कि इस प्रदेश में कोई ऐसे थाने भी हैं कि जो जुये नहीं कराते हैं ? पुलिस के लिये जहां हम यह कह सकते हैं कि सिपाहियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, उनका कल्याण होना चाहिये वहां इस बात की भी छान-बीन होनी चाहिये कि पुलिस से मिलकर कितने जुये के अड्डे चलाये जाते हैं।

मैं समझता हूं कि इस तरह से चाहे आप ५० से २०० या ५०० तक भी जुर्माना कर दें तब भी इससे कोई सुधार नहीं होने वाला है। क्योंकि सुधार अगर करना है तो वह सुधार पहले उस मशीनरी में करना होगा। मुझे उस समय की बात याद है जबकि कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में प्रेसीडेंट की इमर्जेंसी पावर्स पर विवाद हो रहा था। लोगों ने कहा कि प्रेसीडेंट की इमर्जेंसी पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि कोई भी प्रेसीडेंट यहां का तानाशाह बन सकता है। इसपर स्वर्गीय अम्बेदकर साहब ने कहा था कि:—

"The constitution may be good or bad, it depends upon the working lot."

उसी तरह से यह विधेयक आप चाहे जितना सुन्दर क्यों न बना दें, इसमें कितने ही सुन्दर क्लाजेज क्यों न बढ़ा दिये जायं, हम जुये को समाप्त कर नहीं पायेंगे। जब तक प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी बनी रहेगी, जुआ तब तक बन्द नही हो सकता।

दूसरी बात मैंने कही कि लोग शौक की वजह से भी जुआ खेलते हैं। उन पर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर मैं या कोई भी अपनी कांस्टीटुयेन्सी में कोई भी बुरा काम करता हुआ पकड़ा जायगा तो जनता हमको अपना रहनुमा नहीं मानेगी। तो हमको और आपको यह भी सोचना है कि क्या वास्तव में हम इस काबिल हो गये हैं ? जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो छः सात महीने जिनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं रहता मजबूरन वह जुवा खेलते हैं, जिनका उदाहरण मैंने पर्वतीय क्षेत्र और उत्तराखंड का दिया। दूसरा, फार इंज्वायमेंट। बड़े आदमी जब बैठेंगे तो या तो लोग कह देंगे कि रमी खेल रहे हैं या ब्रिज खेल रहे हैं, उसको जुआ में नहीं ले सकते हैं। तीसरे प्रकार का जुआ पुलिस करवाती है। यह तीन प्रकार के जुवे चलते हैं। और भी कई प्रकार के जुवे होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह इस विधेयक की परिधि के बाहर हैं।

१८६७ के ऐक्ट की धारा ४, ५ और ६ के मातहत लोगों को आप सजा भी इसके लिये कर सकते हैं और जुर्माना भी कर सकते हैं। मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी से एक चीज

[श्री प्रतापसिंह]

पूछना चाहता हूं कि १८६७ का जो प्रीएम्बिल है, और आज जो बिल हमारे सामने है उसके प्रीऐम्बिल में, दोनों में क्या फर्क है? ५० रुपये या १०० रुपये बढ़ा देने से कोई ताकत इसकी नहीं बढ़ जायगी या इसका विस्तार नहीं बढ़ जायगा। इस विधेयक को लाने के पहले या जब यह इन्ट्रोड्यूस किया गया तो माननीय मन्त्री जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये था। एक बार मुझे याद है, माननीय मन्त्री जी ने सभी राजनैतिक पार्टियों पर इस बात का चार्ज लगाया था कि हमारे दोस्त ही गलत आदमियों का साथ देते हैं। यही बात आज मैं उनसे उनके विभाग के बारे में कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जुआ की प्रथा को समाप्त करने के लिये, इस रोग को समाप्त करने के लिये सरकार ने आज तक कौन से कदम उठाये और भविष्य में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं? जब तक आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक एक नहीं सैकड़ों विधेयक आप लायें कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि इस विधेयक से जुआ कम हो सके तो हमें प्रसन्नता होगी। मैं कहता हूं कि केवल इस बात की छान-बीन करने की जरूरत है कि उनके पुलिस अधिकारी इस काम में लोगों की मदद न करें। मन्त्री जी अपने विभाग के अधिकारियों को इस बात का आदेश दें कि उनके इशारे पर जो ये चीजें होती हैं वह आगे से न होने पावें, क्योंकि कोई भी सिपाही अपने अफसर के आदेश पर जाता है और इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं।

अगर इस प्रदेश का सुधार वास्तव में आप करना चाहते हैं तो आपको और बड़े-बड़े अधिकारियों को आगे आना चाहिये इस बात का फैसला करना चाहिये कि वे क्लबों के मेम्बर न बनें। अगर बड़े आदमियों के लिये क्लब होता जाता है तो आप एक जनता क्लब भी खोलिये क्योंकि यह सरकार तो सबके साथ बराबरी का बरताव करना चाहती है। छोटे आदमियों को रोका जा सकता है, लेकिन जो शासक हैं, और जिनको हमने जिले का मालिक बनाया है जैसे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, इंजीनियर हैं या गृह सचिव हैं उनसे कहा जाय कि सरकार इस बात को पसन्द नहीं करती इसलिये वे लोग जुआ न खेलें। अगर ऐसी भावना बन सके तो विधेयक की मन्शा पूरी हो सकती है अन्यथा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है, इसलिये कि सब पार्टियों की तरफ से और इस विधान सभा के सभी सदस्यों की ओर से एक मत से यह राय है कि उनके गृह व पुलिस विभागों ने कई तरह के जुये को कायम कर रखा है। मुझे उन बातों की पुनरावृति करने की जरूरत नहीं है जो मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं। मूल विधेयक में जो कुछ परिभाषा की गई है उससे अवगत कराने के लिये उसकी एक-एक कापी हम लोगों को दी गई है। उस मूल अधिनियम को पढ़ना अच्छा होगा। यदि माननीय मन्त्री जी ने इसके पूरे पहलुओं पर प्रकाश डाला होता तो बहुत अच्छा होता। जो विधेयक उपस्थित किया गया है और उसके अन्दर जो कदम उठाये गये हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हम यह समझते हैं कि जितने भी इसके अन्दर संशोधन लाये गये हैं। वह करीब-करीब ज्यादातर अच्छे हैं लेकिन उनमें कुछ और करना जरूरी है। जितना माननीय मन्त्री जी ने कर दिया है मेरी नाकिस राय में उतना काफी नहीं है। उतना काफी होता तो प्रवर समिति में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम खुद चाहते हैं कि सदन का समय कम खर्च हो और यह जल्दी पास हो जाय। जो चीजें इसमें रह गई हैं, माननीय उपमन्त्री जी यहां पर बैठे हैं, जो ईविलस रह गये हैं उनकी ओर से उनको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये। यदि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय चाहे वह एक सप्ताह के लिये ही हो तो वहां पर इसकी परिधि बढ़ा कर उन बुराइयों को दर किया जा सकता है।

प्रतापसिंह जी और अवस्थी जी ने जो बातें कहीं मैं उनका सोलहों आने समर्थन करता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि कई किस्म के जुये होते हैं। हम देखते हैं कि एक जुआ ऐसा होता है

जिसमें छल्ला फेंकते हैं। एक मेज पर दूर-दूर कहीं रुपया, कहीं पैसा, कहीं पाई वह रख देते हैं। तब चूड़ी फेंक कर सिक्कों को घेरना होता है। आप जानते हैं कि उसमें किसी को कुछ मिलता नहीं है, केवल जनता लूटी जाती है। कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ सामान खड़े खूंटे पर रख दिया जाता है जो गोला मारकर उसको झाड़ ले तो उसको वह सामान मिलता है। इस तरह से बहुत तरह का जुआ होता है। अगर इसको कानूनी पहलू से देखा जाय तो बहुत कुछ अन्तर इनमें होता है। हमको कचहरियों में ऐसे लोगों की पैरवी करनी पड़ती है जो जुये में पकड़े जाते हैं। हाई कोर्ट ने Game of skill व Game of chance में में फर्क किया है। उनका कहना है कि जहां अपनी होशियारी से कोई काम होता है वह जुये में नहीं आयेगा, लेकिन अगर कोई गेम केवल चांस पर निर्भर हो तो वह जुये में आ जायगा। मैं चाहूंगा कि अगर ७५ परसेंट चांस हो तो उसे गेम आफ स्किल न माना जाय। मेले ठेलों में गरीब देहाती इन लोगों के चक्कर में बुरी तरह ठगा जाता है। जिस तरह से चिड़ियों को फंसाने के लिये जाल पर चावल के दाने पड़े रहते हैं उसी तरह से उन देहातियों के लिये वहां उपहार की व्यवस्था रहती है। इसलिये इस विधेयक की कमी पूरी करने को इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये और जो लोग जुये के सम्बन्ध में जानकारी रखत हैं, पुलिस वाले तथा दूसरे लोग हैं उनसे वहां सलाह लेनी चाहिये।

मुझे तो प्रान्त भर में दौरा करने का मौका मिलता है और मैंने हर जगह यह बात सुनी कि पुलिस वालों का हर जगह जुये के अड्डों से रुपया बंधा हुआ है। थाने पर फार्मल चार्ज तो बाद में होता है, इंफार्मल पहले होता है। बन्धे हुये रुपये की एक अनआफिशिअल लिस्ट बनती है और उसका चार्ज दिया जाता है। कानपुर जैसे शहर में तो किस थाने में कितनी शराब बनती है और उसके चार्ज दिया जाता है। कानपुर जैसे शहर में तो किस थाने में कितनी शराब स्मगिल की जाती है, उसके हिसाब से आमदनी होती है और उसी हिसाब से ट्रांसफर होते हैं। वहां थाने बिकते हैं। आमदनी वाले किसी थाने पर ट्रांसफर कराने के लिये ५००० देना पड़ता है, किसी पर जाने के लिए ८,०००। वहां थानों का जैसे नीलाम होता है और मुझे यह कहने में परहेज नहीं है कि यह जुआ ज्यादातर पुलिसवाले करवाते हैं। हमारी बदकिस्मती से पहाड़ों पर भी थाने खुल गये हैं। पहले वहां पटवारी ही सब काम करता था और बहुत थोड़े मामले होते थे। जब से वहां इन रेगूलर पुलिस के सन्तों के चरण पड़े हैं, सब बंटाधार हो गया। बागेश्वर से एक प्रतिनिधि मन्डल यहां आया इसलिये कि वहां पर शराब की दूकान बन्द कर दी जाय, लेकिन उसके नेतागण शाम को यहां ही शराब पीकर पड़े हुये पाये गये। वहां कच्ची शराब खूब बनती है और बिकती है और जुआ खिलवाया जाता है। तो भले ही यह बात पुलिसमैन की गरीबी के कारण हो, वह अपनी जगह पर अलग बात है और मैं चाहता हूं कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाय उसमें कोई दो रायें भी नहीं हो सकतीं। लेकिन उनके दुष्कर्मों की रोक के लिये कोई उचित कदम उठाना चाहिये। पुलिस में भी जो नये-नये हैं उनको पुराने लोगों को हुनर सीखने में दिक्कत होती है। क्योंकि उतने हथकंडे जब सीख सके तो पक्का पुलिसमैन होता है।

मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी पता लगा कर देखें कि आज हो क्या-क्या रहा है? उनके पास तर्जुबेकार आदमी हैं और उनसे वह पता लगा सकते हैं कि कहां-कहां, किस-किस तरह से जुआ खेला जाता है। ताश का खेलना भी जुर्म मानना चाहिये और उसपर भी रोक होनी चाहिये। लोग रमी, डमी, और फलाश आदि न जाने किन-किन तरीकों से जुआ खेलते हैं। उन खेलों में कुछ प्वाइंट्स लिख जाते हैं और बाद को हिसाब-किताब हो जाता है बार एसोसिशियेशन तक में ऐसा होता है कि जब किसी वकील के पास कोई मुकदमा नहीं होता या दो मुकदमों के बीच में काफी इन्टरवेल होता है तो वे चैम्बर, में आकर ताश खेलने लगते हैं और उनमें प्वाइंट्स लिखे जाते हैं। इन सब बातों का जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि साधारण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े तो हम इन खलों पर

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

भी प्रतिबन्ध लगाना होगा। वकील लोगों की समाज में एक प्रतिष्ठा होती है और जब उनके क्लाइन्ट्स उनको ताश खेलते हुये देखते हैं तो उसका उन पर बुरा असर पड़ता है।

एक माननीय सदस्य ने वोट हाउस क्लब का जिक्र किया, आज न जाने कितने वोट हाउस की तरह के खेलने के अड्डे बने हुये हैं जिनमें बड़े-बड़े अधिकारी जाकर जुआ खेलते हैं--रमी वगैरह। कुछ को तो मैं जानता हूं--नाम नहीं लूंगा। ऐसे हैं जो रात को दो--दो बजे तक जुआ खेलते रहते हैं और सबेरे ९ बजे तक सोते हैं। सबेरे अगर कोई इन्टरव्यू के लिये उनके पास पहुंच जाता है तो उनका सारा गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर ही उतर जाता है। तो ऐसे अफसर क्या फैसला कर सकते हैं, जनता के साथ क्या न्याय कर सकते हैं, और उस का क्या असर जनता पर पड़ सकता है ?

अब मैं इस मूल विधेयक की परिभाषा पर आता हूं। "gaming" की परिभाषा में घुड़-दौड़ को निकाल दिया गया है। इसमें लिखा है--

"Gaming includes wagering or betting, except wagering or betting upon a horse-race, when such wagering or betting takes place:

(*a*) on the day on which such race is to be run, and

(*b*) in an enclosure which the stewards controlling such race have, with the sanction of the State Government, set apart for the purpose but does not include a lottery, ..."

मैं तो यह कहूंगा कि यह हार्सरेस (घुड़दौड़) जैसी चीज को भी सरकार खत्म कर देना चाहिये। इसमें भी हजारों परिवार बरबाद हो जाते हैं। सैकड़ों का वारा न्यारा हो जाता है, श्रीमन, जुये में लोगों की यह भावना होती कि कम से कम परिश्रम में, कम से कम समय में, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिल जाय और इस भावना में वे अपना सारा धन गंवा बैठते हैं। मैं यह मानता हूं कि रेस को बड़े-बड़े आदमी ही खेलते हैं, किन्तु जब हम समाजवादी समाज की स्थापना की बात करते हैं तो हमें इस चीज को बन्द करना होगा। आपने सट्टे को ले लिया है, यह अच्छी बात है, किन्तु बड़े-बड़े आदमी जो यह जुआ खेलते हैं इसको भी आपको बन्द करना चाहिये। बड़ा आदमी अगर जुआ खेले तो उसको आप जुआ न मानें, लेकिन गरीब अगर कहीं अन्धेरी कोठरी में तेल की कुप्पी लेकर दाना-पासा करे तो केवल उसको ही सजा दिलाई जाय, यह नहीं होना चाहिये। सजा दोनों की समान होना जरूरी है।

अब यह जो दूसरा संशोधन है वह उतना बुरा तो नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है। इसमें लिखा है कि अगर जुए के उपकरण किसी घर में या तंबू आदि में पाये जायं तो पुलिस उसको छीन लेगी और जिसके पास वे उपकरण पायें जायेंगे उसके लिये यह प्रिजम्पशन होगा...

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आज तक व्यवस्था यह है कि जिसके घर में जुआ हो रहा है तो उसके घर में या उस एनक्लोजर में अगर कोई उपकरण पाया जाय तो उसके लिये यह प्रिजम्पशन होगा कि वह व्यक्ति जुआ खिला रहा था और वह सामान जुए से संबंधित था, बस इतनी ही एवीडेंस उसको सजा दिलाने के लिये काफी होगी। शायद सरकार को यह अनुभव हो कि पुलिस जाती है तो जुआरी भाग खड़े होते हैं। डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े जुआरी भाग जाते हैं। अब अगर वहां से कोई भाग गया और पड़ोस में पकड़ा गया, उस स्थान में ऐसा सामान पाया गया तो केवल इतनी ही साक्ष्य होगी, यहां तक

तो ठीक है। लेकिन अगर पुलिस बगल के घर में घुस जाय और वहां वैसा माल मिले तो भी वर्तमान संशोधन से भी नए स्थान में ऐसा माना जायगा, यह ठीक नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि अगर हमारी पुलिस इतनी ईमानदार होती कि जिनके लिये कोई प्रमाण होता उन्ही को पकड़ती तब तो ठीक था, लेकिन यहां एक भयंकर परिस्थिति है। यह हो सकता है कि कलप्रिट भाग जाय और पुलिस उसके पड़ोस के घर में जाय, जिसके ऊपर पुलिस को गुस्सा हो और उसकी जेब में कुछ दाना आदि डालकर उसको पकड़ ले जाय।

इसके अलावा सरकार को भी कभी-कभी ऐसा शौक हो जाता है और वह भी कभी-कभी चाहती है कि अपने विरोधियों को फंसाये अगर किसी पड़ोसी को परेशान करना हो तो यह हो सकता है कि असली जुआड़ी तो भाग जाय और पड़ोसी लोग पकड़ लिये जायं। तो इस खतरे से बचाने के लिये किसी सेफगार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस विधेयक को जल्दी में पास कर दिया गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और निर्दोष आदमी फंस सकते हैं। माननीय मंत्री जी का भी कभी ऐसा मंशा नहीं होगा कि ऐसे निर्दोष व्यक्ति फंस जायं।

हमारे दन्ड विधान के अन्दर जो कानूनी व्यवस्था है उसमें यह है कि भले ही ९ कसूरवार व्यक्ति छट जायं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति न फंसे, यही मान कर हम चलते हैं। लेकिन यहां तो ९ बिना निर्दोष फंस सकते हैं, एक कसूरवार भले ही छट जाय। तो इसके सेफगार्ड के लिये कोई नुस्खा न तो इतनी जल्दी माननीय मंत्री जी ही बतला सकते है, न हम लोग ही बतला सकते हैं। १२ से २० अगस्त तक असेम्बली की बैठक बन्द हो रही है, उसी बीच में दो-एक दिन बैठकर माननीय मंत्री जी सलाह मशविरा करलें और जितने सुन्दर रूप में इसे बना सकें, बना लें, इसलिये जरुरी है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं और उसका मुख्य कारण सिर्फ एक है। जितने भी माननीय सदस्यों ने अब तक भाषण दिये, मैं उनका इतना तो अवश्य आभारी हूं कि उन्होंने सरकार को और गृह मंत्री जी को इसके लिये बधाई दी कि उन्होंने ऐसा उपयुक्त विधेयक इस हाउस में पेश किया और यह भी चर्चा की कि ऐसे विधेयक के आने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और जो भाषण उस पर हुए उसमें उन्होंने कुछ अपने सुझाव भी दिये। लेकिन कोई दलील अभी तक इस प्रकार की मेरे सामने नहीं आयी जिससे यह बात साबित होती या जिससे यह आवश्यक मालूम पड़ता कि इस विधेयक को आज न पास कर के इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

(इस समय २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

जो हमारे पास मूल अधिनियम है और जिसकी कापीज नेता विरोधी पक्ष को भी दे गयी हैं, यदि वे उसको देखें तो उसके अन्दर जो खण्ड हैं, उनके अन्दर जो कमियां पायी गयी हैं, उन्हीं में संशोधन करने की कोशिश की गयी है और इसके बाद माननीय सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वे संशोधन के रूप में अपने सुझाव पेश करें और कुछ ने दे भी दिए होंगे। और उस वक्त जब वे पेश होंगे, खण्ड के हिसाब से, तब सरकार इसको देखेगी कि उनको कहां तक स्वीकार किया जा सकता है।

इस संबंध में मान्यवर, बड़ी आशंका प्रकट की गयी है और इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है कि जो संशोधन किया गया है उससे जुआ बिलकुल बन्द हो जायगा। मान्यवर, ऐसा कोई भ्रम या मुगालता मुझे भी नहीं है परन्तु एक प्रयास उस ओर अवश्य है। और जैसा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं बतलाया है इस तरह की शिकायतें सरकार के पास आयीं और आती रहती है कि पश्चिमी जिलों में आज कल जुए खेलने की मनोवृत्ति अधिक बढ़ रही है और उसके साथ-साथ सट्टे की भी, जो एक किस्म का जुआ ही है, बहुत बढ़ोत्तरी है। तो

[श्री नवलकिशोर]

इस बात की कोशिश की गयी है कि उसके अन्दर रुकावट पैदा हो और जहां तक संभव हो उसको बन्द किया जाय । जैसा कि मेरे कुछ माननीय साथियों ने इशारा किया, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम यह महसूस करते हैं कि सन् १८६७ का जो कानून है उसमें भी कमियां हैं और जुआ खेलने वाले लोगों की मनोवृत्ति को रोकने के लिये वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये जैसा कि बतलाया गया स्टेट के बड़े बड़े आफिसरों से सलाह मशविरा किया गया और उन्होंने जो सुझाव दिये उनको कानूनी शक्ल के रूप में इस हाउस के सामने पेश किया गया है ।

मेरे कुछ बन्धुओं ने इस ओर संकेत किया कि अक्सर यह चीज हमारे पुलिस के कर्मचारियों की जानकारी में होती है और यह भी कहा कि उनका कुछ इसमें हाथ भी होता है । इसी प्रकार के बहुत से लांछन लगाये गये । मैं इस संबंध में केवल एक ही बात कह सकता हूं कि इस तरह की जो जनरल तरीके से बातें कही गई उनको तो मैं किसी भी हालत में नहीं मानता । यह सही है कि इतनी बड़ी संख्या में विभाग के कर्मचारी हैं तो मुमकिन है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हों कि जो जानबूझ कर जुआ करवाते हों और अड्डो की जानकारी रखते हुए भी ऐक्शन न लेते हों, परन्तु यह भी सही है कि इच्छा रहते हुए भी अभी तक कुछ कानूनी कमियां और खामियां ऐसी रहीं जिन के कारण ईमानदार कर्मचारी भी इसमें अधिक सफल नहीं हुए हैं। जैसा कि आंकड़ों से साबित है जो पिछले ५ साल के आंकड़े मेरठ रेन्ज के हैं उससे साफ है कि केवल साढ़े ६ प्रतिशत केसेज ऐसे हुए कि जिनमें १०० रुपए से ज्यादा जुरमाना हुआ और केवल ७ प्रतिशत में कैद की सजा हुई । इस प्रकार की कठिनाइयां हैं जिनके कारण यह संशोधन इस ऐक्ट में पेश किये गये हैं ।

हमारे मित्र अवस्थी जी ने और कुछ साथियों ने इस ओर इशारा किया कि हमारे बहुत से कर्मचारी हैं जो स्वयं जुआ खेलते है और हमरे क्लबों में भी बहुत ज्यादा ताश वगैरह के खेल होते हैं, वह भी एक तरह का जुआ होता है जिसके बारे में विस्तार के साथ अवस्थी जी ने कहा। इस विषय में मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि मैं इस विचार का हूं कि सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनका फर्ज है कि वह अपनी जिन्दगी में एक मिसाल पेश करें दूसरों के सामने, इसमें कोई २ रायें नहीं हो सकती लेकिन यह कि इन क्लबों की मेम्बरशिप खत्म की जाय इससे मैं इत्तफाक नहीं करता, मैं यह नहीं मानता कि सारे क्लब इसी काम के लिये होते है, चाहे कुछ में यह काम भी होता हो वह बात दूसरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस राय का हूं कि यह सब का फर्ज है कि किसी तरह से इस बुराई को खत्म करें मगर क्लब्स गेम्बलिंग हाउसेज में नहीं आते । जुआ एक ईविल है वह बन्द होनी चाहिये इससे हम सब सहमत हैं।

हमारे एक मित्र ने यह भी कहा कि यह गवर्नमेंन्ट का जो चेन्ज होता है यह भी एक तरह का जुआ है लेकिन क्योंकि वह पी० एस० पी० के मेम्बर हैं इसलिये मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर विरोधी दल भी इस तरह का जुआ खेलेगा तो उसका सरकार कोई नोटिस लेने वाली नहीं है । जनतन्त्र में सरकारों को बदलने के जुए का हम सब को पूर्ण अधिकार है, वह जुआ हम सब खेलते हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है । मनोवृत्ति को बदलने की बात कही गई लेकिन मनोवृत्ति कानून से नहीं बदली जाती । जो कुछ थोड़ा बहुत हम कर सकते थे उसको करने की इसमें कोशिश की गई है ।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल इस कानन के पास करने से ही काम नहीं चलेगा । मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि स्टडी ग्रूप ने जो अपने सुझाव दिये हैं उनमें उनका कहना यह भी है कि हमारा जो सेट अप है उसमें भी क्या क्या तरमीम की जाय यह चीज सरकार के देखने की है और सरकार उन पर अमल करेगी लेकिन इस वक्त जो हम तुरन्त करना चाहते हैं वह कक्ल इससे संबंधित है कि कानूनी कमियों को हम किस तरह से दूर करें और किस तरह हम उनको दूर करने की कोशिश करें ।

एक बात अवस्थी जी ने यह पूछी कि दफा १५ के अन्दर जब यह आलरेडी दिया हुआ था कि उस आदमी पर जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है तो आपने दफा ३ के अन्दर क्या खास तरमीम की ? तो उसमें मिनीमम सजा नहीं थी । अब यह कर दिया गया है कि जो आदमी दोबारा वही जुर्म करेगा, उसको जुर्माने के साथ-साथ कम से कम तीन महीने की सजा अवश्य होगी । यह फर्क है । इसके अलावा और बहुत सी बातें उन्होंने कहीं । अच्छा होता कि उनको वह तरमीम की शक्ल में पेश कर देते तो सरकार को मौका मिलता कि उनको देखती और सोचती ।

दो बातें और कही गईं एकाध साथी ने कहा कि जो रेस्पेक्टेबिल आदमी हैं वह इससे बच जाते हैं और नहीं फंसते हैं । कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी दफा है जिसमें अंदेशा है कि भले आदमी फंस जाएंगे । तो दोनों आपस में विरोधी बातें कही गईं । जो संशोधन है उसमें सरकार का केवल एक ही मंशा है, इसमें भले आदमी , बुरे आदमी, सफेद पोश आदमी या कम सफेद पोश आदमी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है । केवल एक चीज है । जो दफा ३, ५ और १३ है उनमें संशोधन का एक ही मंशा है कि जो आदमी गैम्बलिंग हाउस को मेन्टेन करता हो, कराता हो या किराया पर दे रखा हो उसको दण्ड दिया जाय । जैसा कि कहा गया कि "इम्मीडियेट विसीनिटी" रखने से उसके अन्दर लोगों के फंस जाने का अंदेशा है, तो अक्सर होता यह है कि जब जुआ कहीं पकड़ने के लिये कर्मचारी जाते हैं तो लोग भागते हैं, इसलिये "इम्मीडियेट विसीनिटी" शब्द रखा गया है । जो भागते हुए या आस-पास बैठे हुए पकड़े जायं उनके लिये हैं। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि उनके पास ऐसे कागज वगैरह हों जिससे मालूम हो कि वह जुआ या सट्टा खेल रहे थे। तो इस संबंध में जो शंका की गई है वह मुनासिब नहीं है ।

एक बात प्रतापसिंह जी ने बड़े जोर से कही । उन्होंने कहा कि जब तक इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, गरीबी और भुखमरी नहीं दूर होगी तब तक जुआ नहीं बन्द हो सकता। यह बात मानी हुई है और कुछ हद तक सही है कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में उसको मजबूर करती है जरायम करने के लिये । लेकिन गरीबी ही जरायम करने का कारण हो यह मैं नहीं मानता । अगर ऐसा होता तो इंगलैण्ड और अमेरिका जो बड़े-बड़े समृद्धशाली देश हैं, जहां का जीवन स्तर संसार में सब से ऊंचा माना जाता है, वहां जुआ वगैरह न होता । तो केवल यह कह देना कि इस बात का इंतजार किया जाय कि देश में गरीबी और भुखमरी खत्म हो जाय तब जुये को बन्द करने की बात कही जाय, यह मैं नहीं मानता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस बात की कोशिश अवश्य की जा रही है कि मौजूदा हालात के अन्दर जो भी अधिक से अधिक सुधार हो सके उसके लिये प्रयत्न किया जाय।

एक बात उन्होंने यह भी कही कि यह जो आपने पुलिस अफसरों को पावर्स दी हैं इससे काम नहीं चलेगा । उनकी ईमानदारी के संबंध में भी कहा गया । तो जहां तक पुलिस के बर्ताव का ताल्लुक है, उसके संबंध में लोगों की जो धारणाएं है उनको बदलने में उनको दिक्कत जरूर होती है और पुलिस को भी जिस तेजी के साथ बदलना चाहिये उतनी तेजी से वह अभी नहीं बदल पाई है । लेकिन कोई भी कानून आप बनाएं, जो संबंधित विभाग है उसको अधिकार तो आपको देना ही पड़ेगा । यह काम एक्जीक्यूटिव का है कि वह देखे कि जो शक्ति दी गई है उसका सही उपयोग हो और मैं समझता हूं कि विभाग इस बात की कोशिश करेगा। यह तो मैं नहीं कहता कि मिसयूज नहीं होता है, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी कि यथासंभव उसका मिसयूज न होने दिया जाय ।

यह कहा गया कि १८६७ के कानून में और इस मौजूदा कानून में क्या अन्तर है ? मैं समझता हूं कानून तो पहले भी था और आज भी है, केवल यह बात महसूस की गई कि जो सजायें है वे काफी नहीं है । यह भी महसूस किया गया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अलावा और भी गजटेड-पुलिस कर्मचारियों की, जिनको अधिकार सरकार दे दे, संख्या बढ़ायी गई है और कोशिश की गई है, अधिकारों को बढ़ा करके तथा सजायें बढ़ा करके, कि जुए पर

[श्री नवलकिशोर]

बंदिश की जाय, उसकी रोकथाम की जाय। मैं नहीं समझ पाया इसके अलावा और क्या संशोधन मेरे साथी कौर लरूरी समझते हैं? जैसा मैंने पहले कहा जिस समय संशोधन आयेगें, मुझे विश्वास है उन पर सरकार पूरे तौर से गौरे करेगी।

अन्त में उन्होंने एक बात कही कि कोई भी कानून हम कितना ही अच्छा बनायें लेकिन उसका सही इम्तहान यह होता है कि वह किस तरह से काम करता है। यह बात सही है कि उसका इमप्लीमेंटेशन किस तरह से हो यह महत्व की बात है। और सरकार का फर्ज है, होना चाहिये और होगा कि वह इस बात को देखे जो कानून बनाया है वह सही स्प्रिट में इमप्लीमेन्ट किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—यह विधेयक ४ बजकर ४२ मिनट पर पास होने वाला है, इसलिये मैं निश्चय करता हूं कि सवा तीन बजे तक आम विवाद होगा और उसके बाद खंडशः विचार होगा।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं अवस्थी जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जब मैं समर्थन करता हूं कि यह चीज अपनी जगह ध्रुव सत्य है तो सिद्धान्ततः मुझे उसके विरोध में कुछ नहीं कहना है। परन्तु मंत्री जी के भाषण के उपरान्त और जिस तरह से उन्होंने कहा और समझाने का प्रयास किया है कि अत्यन्त आवश्यक था और साथ ही साथ कोई और संशोधन के लिये स्थान नहीं हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

गृह मंत्री जी आंकड़ों के बड़े पुजारी हैं, माहिर भी हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि जुआ इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है? मैं मान भी लूं मगर सजायें कम दी गईं इसका भी आधार महज एक मेरठ कमिश्नरी है। सारे प्रदेश में सजायें कम हैं या इन पुलिस वालों को, वास्तविकता में, कोई कठिनाई है इसका भी कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। महज मेरठ डिवीजन के नतीजे से पूरे प्रदेश के लिये किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है।

इसके सम्बन्ध में मैं मान्यवर, दो रायें नहीं हो सकतीं कि जुआ खराब है। युधिष्ठिर पर भी यह कलंक लगा था। पश्चिमी देशों में जहां जीवन स्तर बहुत ऊंचा है इसको एक दूसरे नुक्ते नजर से देखते हैं। आज अमरीका में इसकी कोई परवाह भी नहीं करता। इसीलिए अगर मैं यह भी मान लूं कि जुआ बढ़ा है, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? मैं कहना चाहता हूं सब से ज्यादा सरकार और गृह मंत्री जी तथा उनके कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार हैं। कोई भी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां पर अगर मुतवातिर जुआ होता हो तो पुलिस का हाथ उसमें न हो। इसलिये अगर इस कानून से वह जुआ रोकना चाहते हैं तो यह उनकी एक भूल है और यों अगर उनके कर्मचारी रोकना चाहते तो इस कानून की जरूरत नहीं थी। सिद्धान्ततः तो यह ठीक है, क्योंकि कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है, लेकिन इससे कोई महान् परिवर्तन आ जायगा, ऐसी बात नहीं है। मंत्रियों का भी एक समाज है और कुछ मंत्री ऐसे हैं जो प्रातः काल उठने के बाद यह सोचते हैं कि कानून में कोई संशोधन इसलिये किया जाय जिससे यह मालूम हो कि यह बहुत प्रगतिशील मंत्री हैं। उसका प्रभाव क्या होता है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। मंत्री महोदय यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके कर्मचारी कैसे हैं। आज से दस, पांच दिन पहले जब वे इधर बैठा करते थे तो सरकारी कर्मचारियों के बारे में अच्छी तरह से बोल पाते थे। मगर आज मजबूरी है कि दिल से वे हमारे साथ में हैं मगर कह नहीं सकते। अगर एकोनामी उनको पसन्द थी तो उनके अफसरान जुआ खेलें और बालबच्चों को तबाह करें यह भी उनको पसन्द नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी मजबूरियां हैं जिनको मैं समझता हूं और मैं उनसे सहानुभूति भी रखता हूं। लेकिन अनजान बन कर कोई चीज इस सदन में कहना चाहें तो वह शोभा नहीं देता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महज सट्टे पर इतनी आपत्ति। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उत्तर प्रदेश का स्तर बढ़ा नहीं घटा है। ऐसी हालत में रेसकोस में हजारों आदमी जा कर जुआ खेलें, क्लबों में जुआ खेलें यह कहां तक उचित है? उनके अफसरान ने जो जुये का अन्दाजा लगाया है वह सम्भवतः क्लबों से ही लगाया है जिसमें बहुत कुछ उनका भी हाथ है। बम्बई में घुड़दौड़ हो तो ठीक है, वह एक इंडस्ट्रियल टाउन है, एक आमदनी का जरिया है, वहां लोगों पर इतना बुरा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो घुड़दौड़ की गुंजायश नहीं है। इन मंत्रियों की भी एक आफत है। ये सिनेमा नहीं जा सकते हैं, क्लब में नहीं जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह जा नहीं सकते हैं ताकि उनकी सफेदी पर कहीं दाग न लग जाय, अगर कोई ऐसी चीज करनी भी है तो छिप कर करना चाहेंगे और अगर खुदा की नजरों से भी बचा सकें तो उससे भी बचाना चाहेंगे। मैं तो यह कह सकता हूं कि मैं ताश खेलना ही नहीं जानता, लेकिन जानने या न जानने से कोई मतलब नहीं है, देखना यह है कि जुआ वह खेलते हैं, शराब वह पीते हैं, मनोरंजन वह करते हैं जिनको कि इस सरकार ने मोटा बना दिया है।

श्री नवलकिशोर—ताल्लुकेदार।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—ताल्लुकेदार जब करते थे तो एलानिया करते थे, लेकिन आज मंत्री और पूंजीपति लोग जो करते हैं वह छिप-छिप कर करते हैं, जो अधिक निन्दनीय है। हमने जो किया वह खुलेआम किया और आज भी इतनी मारल करेज है कि हम कह सकें कि अगर हम शराब पीते हैं तो पीते हैं। लेकिन क्या कोई मंत्री भी कह सकता है, चाहे बाथरूम में मग के मग और बोतल के बोतल पी डाले? यह हिम्मत उनमें नहीं है। लिहाजा मंत्रियों की बुराई और अच्छाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ताल्लुकेदार था और अब हूं या नहीं, यह बात दूसरी है, लेकिन मैं अपने को ताल्लुकेदार होना गौरव की चीज समझता था। आज भी माननीय झारखंडे राय और गौरीशंकर राय जी के खराब कहने से मैं ताल्लुकेदारी को खराब नहीं समझ सकता। मैं समझता हूं कि उधर के लोग तो इसलिये खराब कहते हैं कि उन्हें अपनी गद्दी कायम रखनी है। लेकिन जो ताल्लुकेदार उधर चला जाता है वह नेक और अच्छा हो जाता है। खद्दर पहनकर और भी अच्छा हो जाता है। यह तो श्रीमन्, हमारा इतिहास बताता है कि जो ताल्लुकेदार इनके पास चला गया है, उसने अधिक से अधिक जुल्म किये हैं और वह बहुत भयानक हो गया है।

मैं अवस्थी जी की बात को समझने का प्रयास करता रहा, लेकिन उनके बोलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं उनकी बात को पूर्णतया समझने में समर्थ नहीं हो सका। लेकिन उसका लुब्बेलबाब जरूर समझ गया हूं। मैं समझता हूं कि अगर वह इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो जिस सूरत में यह है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार को इसकी परिधि बढ़ाने में क्या आपत्ति है? अगर गृह मंत्री जी १८६७ से आज जगे हैं तो कम से कम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार तो अवश्य हो जाना चाहिये वरना इस संशोधन के बाद फिर संशोधन आयेगा और जिस उद्देश्य से वह इसको रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें वह पूर्णतया सफल नहीं होने के। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो विधेयक हाउस के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और उस पर अब तक इधर के लोग और उधर के लोग बोले हैं उनकी बात सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह एक पुरानी कथा है, कोई नई चीज नहीं है। हम अपने यहां की पुरानी पुस्तकों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारतवर्ष में पहले भी जुआ होता था और उसी की बिना पर पांडवों तथा कौरवों के बीच महाभारत का घोर युद्ध हुआ। इसी जुये की बिना पर द्रौपदी का चीर खींचा गया और इसी की बिना पर भीष्म पितामह जैसे मनुष्य का भी ईमान खतरे में पड़ गया। लेकिन इस तरह से यह जुआ रुकने वाला नहीं है। यह एक खिलवाड़ सा है। यह लखनऊ में बहुत बढ़ा हुआ है। उसमें कमी होनी चाहिये। इस विधेयक पर सदन में गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

[श्री रघुवीरराम]

माननीय नवलकिशोर जी ने अपने भाषण में कहा कि यह संशोधन बिल इसलिए लाया गया है कि लोगों में थोड़ी सी रुकावट पैदा हो जाय। आपके कहने का मतलब यह है कि इन धाराओं के रखने से यकबयक जुआ समाप्त नहीं होगा। थोड़ी सी इसकी प्रगति धीमी पड़ जायगी।

श्री नवलकिशोर--मैंने यह नहीं कहा।

श्री रघुवीरराम--आपने यही कहा था। आप भूल रहे हैं। हमारे यहां जो इतनी चोरी और डकैती बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए क्या धाराएं हमारे देश के कानून में नहीं हैं? हैं। लेकिन क्या प्रगति उसकी रुकी? नहीं रुकी। इसका कारण क्या है? हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती जा रही है, एक तबका जो बिलकुल राजनीति से और तालीम से अलग रखा गया है इसलिए इन चीजों का यकबयक रोकना नामुमकिन है।

अभी माननीय अवधेशप्रताप सिंह ने यह कहा कि क्लब घरों में जो जुआ होता है या जो घोड़े की रेस होती है, उसको रोकने का सवाल सरकार के सामने नहीं है। जुए में वह चीज आती ही नहीं। देहात का वह आदमी जो चार छः महीने काम कर पाता है और बाकी दिन बेकार रहता है, उसके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं। न उसके सामने ऊंची तालीम है। वह ऐसे गलत कामों में फंस जाता है। नवलकिशोर जी का यह कहना है कि गरीब तबका खास तौर से इस चीज को अपनाता है। क्लबघर में या रेस में जो जुआ होता है वह जुआ नहीं है क्योंकि बड़े आदमी उसको खेलते हैं। जितने कानून हैं सब गरीबों के लिए हैं। ऊंचे तबके के लिए कोई कानून नहीं बनता है। हमारे भारतवर्ष की यह परम्परा रही है कि आगे बढ़े हुए लोगों की नकल करते हैं और उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। जब गरीब आदमी यह देखते हैं कि यह क्लबघर में जुआ खेल रहे हैं, घुड़दौड़ में जुआ खेल रहे हैं, जब यह देखते हैं कि ठेका लेकर जुआ खिलवाया जाता है तो उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है। थानेदार ठेकेदार से कहता है कि महीने में इतना देना पड़ेगा और वह ठेकेदार जुआ खिलाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार के पास कोई प्रमाण है? नहीं। जब तक हमारे मुल्क की आर्थिक व्यवस्था को यह सरकार सुदृढ़ नहीं करती है, जब तक हमारे मुल्क की तालीम का स्तर ऊंचा नहीं उठाती है, जब तक हर मनुष्य का मस्तिष्क विकसित नहीं होता, तब तक यह सरकार जुए को नहीं रोक सकती है। एक नहीं हजारों प्रमाण इसके लिए हैं। जितने कानून सरकार ने बनाये किसी में आगे नहीं बढ़ सकी। उनको कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकी।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो समाज के अन्दर अलग-अलग और विभिन्न मनोवृत्तियां पैदा हो गयी हैं, क्या वे इस बिल से दूर हो जायंगी? अब जुआ हो रहा है। लीडर साहब पहुंचे। कोई थानेदार अगर सच्चा है, हालांकि चन्द थाने ही ऐसे हैं, और उसने जाकर जुए को पकड़ा तो अब नेता जी चले आ रहे हैं थाने पर। नेता जी की हस्ती के आगे थानेदार की क्या हस्ती है? थानेदार की हस्ती थोड़े ही है कि नवलकिशोर जी के कहने पर भी उन जुआड़ियों का चालान कर दे। ख्वामख्वाह उसे उन जुआड़ियों को छोड़ देना पड़ेगा। जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जायगा, जब तक हिन्दुस्तान के मनुष्यों को इस स्तर पर नहीं पहुंचा दिया जायगा कि वह खुद इस बात को समझें कि यह खराब चीज है, इस चीज को करने से हमारे समाज की तरक्की नहीं है, खुद हमारी व्यक्तिगत इज्जत उसमें नहीं है, हम समाज में गिरी हुई निगाह से देखे जायेंगे, तब तक इन चीजों को इस तरीके से बिल लाकर दूर करना नामुमकिन मैं समझता हूं। हो सकता है, अब मंत्री जी कहेंगे जैसे कि नवलकिशोर जी ने कहा कि थोड़ा सा इस प्रगति को रोकना है। मैं कहता हूं कि इन हालात में आप इसको नहीं रोक सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो चीजें मैंने कही हैं उनको वह नोट करें। जब तक उन चीजों पर आप या यह सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इस जुए को रोकना नामुमकिन है।

श्री उपाध्यक्ष--श्री जगन्नाथ लहरी, पांच-सात मिनट में आप भाषण समाप्त करें।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर भी मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का समर्थन करता हूं। एक सदी के उपरान्त इस जुए के कानून में संशोधन करने के लिए इस सदन के सामने एक विधेयक लाया गया है। इस एक सदी में जुए की किस्मों में काफी परिवर्तन हो चुका है। यद्यपि इस विधेयक के द्वारा जुए के अपराधियों को दण्ड देने में ही परिवर्त्तन करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जुए की अन्य परिभाषाओं का समावेश इसमें नहीं किया गया है। अवस्थी जी ने सिर्फ एक सप्ताह का समय मांगा था और संसदीय परम्परा के मुताबिक जब कि दोनों सदनों से कोई विधेयक एक रूप में पास न हो जाय तब तक वह कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। यह हमारे सदन के सामने आज ७ तारीख को पेश है। हमारा दूसरा सदन १७ सितम्बर से प्रारम्भ हो रहा है जिसके प्रारम्भ होने में अभी दस दिन का समय शेष है। अगर अवस्थी जी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता चाहे समय की अवधि को सरकार कम कर लेती तो उसमें कोई भी हानि नहीं होने जा रही थी। यदि हम आज इस विधेयक को इसी रूप में पास भी कर देते हैं तब भी कल यह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता।

मैं फीरोजाबाद की श्रमिक बस्ती का प्रतिनिधि हूं। मुझे यह मालूम है जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिमी जिलों में जुए बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। पश्चिमी जिलों के साथ-साथ वहां की श्रमिक बस्तियों में जुए ने अपना अड्डा कायम कर रखा है। जुआ जीवन के लिए एक अभिशाप है और यह समस्त अपराधों की जड़ है। जीवन के इस अभिशाप और अपराधों की इस जड़ को मिटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। लेकिन इतने चन्द मिनटों में ही इस सदन के द्वारा इस विधेयक को पास कराने से इस पर पूरा विचार नहीं हो सकता।

मैं तो सदन की जानकारी के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं। आज चाहे वह अंग्रेजी का समाचार-पत्र हो, चाहे हिन्दी का समाचारपत्र हो, चाहे उर्दू का समाचार-पत्र हो सभी समाचार पत्रों में न्यूयार्क काटन के भाव प्रकाशित होते हैं। उसमें 'खुलते' और 'बन्द' यह दो प्रकार के भाव होते हैं। आज पश्चिमी जिलों में इस 'खुलते और बन्द' के भावों को एक सट्टे का रूप दे दिया गया है और पानों की दूकानों पर शर्राफे की दूकानों पर हलवाइयों की दूकानों पर जाकर लोग अगले दिन के भाव के बारे में सट्टा कर आते हैं और अगले दिन समाचार पत्र का पहला अंक निकलते ही घरों से जाकर अपना पेमेंट ले आते हैं। उसमें न किसी पर्ची की जरूरत है और न किसी जुये की जरूरत है।

आज सभी समाचार पत्र हर व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। हमको इस बात की आवश्यकता थी कि आज जब इस कानून में संशोधन हो रहे हैं तो कम से कम इसको प्रवर समिति के सामने जाने का मौका दिया जाता ताकि वे सभी नई नई किस्म के जुए जो आज बढ़ते जाते हैं उनका इसके अन्दर समावेश हो सके। मिसाल के तौर पर तीतर बटेर की लड़ाई होती है, उस पर जुआ चलता है। मैं अपने शब्दों को माननीय गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहां फीरोजाबाद में तीतर बटेर की लड़ाई के लिये दिन निश्चित है। हर महीने में १३ तारीख को फीरोजाबाद में तीतर बटेर की लड़ाई होती है। आगरा में १४ तारीख ईदगाह के पास तीतर बटेर की लड़ाई के लिये निश्चित है। वहां पर तीतर बटेर की लड़ाई होती है और हजारों रुपया लोग बाजी लगाते हैं। उसमें आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसा मैंने बतलाया कि आगरा और फीरोजाबाद में तीतर बटेर की लड़ाई के लिये स्पष्ट तारीख निश्चित है उसी प्रकार से सम्भव है और बहुत सी जगहों पर उसके लिये तिथि निश्चित हो और हो सकता है कि प्रदेश के अन्दर तीतर बटेरबाजों ने अपनी कोई और तथि निश्चित कर रखी हो और उनका जुआ बदस्तूर इस प्रकार से चलता हो। ऐसी स्थिति में जब कि हर महीने में तिथि निश्चित करके जुआ होता हो तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये प्रवर समिति को यह मौका दें और वह इसके अन्दर कड़ा से कड़ा प्राविजन कर सके।

जहां तक इसमें दण्ड की व्यवस्था का सम्बन्ध है जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि समस्त समाचार पत्रों में इस जुए के सम्बन्ध में बराबर समाचार निकलते रहते हैं। हम लोग हर मीटिंग में पुलिस की भर्त्सना करते हैं कि वह इस जुए को रोकने के लिये असमर्थ है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें हम तो जुआड़ियों को पकड़ कर अदालत में भेजते हैं लेकिन अदालत उनके ऊपर १०, ५ रुपया जुर्माना करके छोड़ देती है। जुआड़ी आसानी से उस आर्थिक दण्ड को अदा कर देता है। अब उस जुरमाने के स्थान पर कड़ी कार्यवाही करने की चेष्टा की गई है। यह बिल्कुल सही कदम उठाया गया है कि जिसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।

अब जुआ खेलने वाले के लिये नान बेलेबिल वारन्ट की व्यवस्था गई है। कहीं कहीं हमने देखा है कि पुलिस अफसर ईमानदारी के साथ सट्टेबाजों और जुआड़ियों को सख्त से सख्त दण्ड देने के लिये यह कहते हैं कि उनको हथकड़ी बांध कर शहर के अन्दर घुमाते हैं और उसके बाद उनका चालान करते हैं। उसका एकमात्र ध्येय यही होता है कि आम जनता समझ जाय कि ये जुआड़ी हैं। अगर नान बेलेबिल वारण्ट की अब व्यवस्था की गई है तो उसकी बेल नहीं होगी और उसके अन्दर से जुए की प्रवृत्ति कम होगी। इस जुए का जो निर्धन और समर्थ लोग सहारा लेते थे वह अब इस व्यवस्था के होने से इस ओर कम आयेंगे। मेरा ऐसा विशवास है कि कोई भी जुआड़ी अब तक इसलिये जुआ खेलता था कि उसके ऊपर १०, ५ रुपया जुर्माना होता था। उसको एक दिन की भी सजा नहीं हो सकती थी। जुरमाना अदा करके फिर वह खेलने के लिये पहुंच जाता था। वह अदालत में इस बात को स्वीकार कर लेता था कि हां मैं खेलता था। उसके लिये वह उस दंड को अदा कर देता था। पुलिस भी कह देती थी कि तुम क्यों वकील करने जाते हो तुम पर केवल ५ रुपया जुर्माना करेंगे। उसको वह स्वीकार कर लेता था और ५, १० रुपया अदा करके छूट जाता था। अब इसके अन्दर २०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है और दोबारा जुर्म करने पर ३ महीने की सजा देने की व्यवस्था की गई है जिससे जुआड़ी अदालत के सामने जाता हुआ झिझकेगा और अभी तक जो वह जुआ खेलता था उससे अपने को बचायेगा। इसीलिये मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जुआड़ियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये जो व्यवस्था अपनाई गई है वह स्वागत के योग्य है लेकिन अगर सिर्फ सफेदपोशों के जोड़ने की बात इसमें हो तो कहा जाय।

मैं उन गेरुए वस्त्र वाले जटाधारी बाबाओं की ओर भी माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक नहीं लाखों ऐसे व्यक्ति कमंडल हाथ में लिये आज चल रहे हैं जो श्रमिकों को, कृषकों के और निर्धन लोगों के आदर के पात्र बनते हैं और मिठाई और पूड़ियां उनके यहां खाते हैं और उनसे कहते हैं कि १० लगा दो २० लगा दो और इस तरह से लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा इन बाबाओं और इन लुटेरों के चंगुल में फंसने के कारण बरबाद होता रहता है। अगर इन गेरुए वस्त्र वालों और जटाधारी बाबाओं को पकड़ने की और इन लोगों की प्रवृत्ति को रोकने की कोई व्यवस्था की जाती तो बहुत अच्छा होता।

इन सब कारणों से मैं गृह मंत्री जी से यह बार-बार अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह स्वागत के योग्य तो है क्योंकि जनहितकारी है और इससे अनेक दुखी परिवारों में सान्त्वना की सांस ली जायगी, लेकिन इसको और कठोर बनाने की आवश्यकता है। इन जटाधारी और गेरुए वस्त्र वाले बाबाओं को और क्लबों में बैठ कर जो जुआ खेलते हैं उनको कठोर दंड देने के लिये आवश्यकता है कि इसमें परिवर्तन हो और यह तभी हो सकता है जब इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे वहां इन परिवर्तनों का इसमें

समावेश हो सके। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का, मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव के साथ, समर्थन करता हूं और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे समक्ष संशोधन विधेयक उपस्थित है, उसमें जो संशोधन है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इसलिये भी इस समय बोलने के लिये खड़ा हुआ कि हमारे मित्र नवलकिशोर जी ने कुछ तर्क दिये और यह जानना चाहा कि किन कारणों से लोग इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई संशोधन देना हो तो वे दे दें वह स्वीकार हो जायगा, लेकिन हमारी मजबूरी उनको नहीं मालूम है। अगर धारा १३ में कोई संशोधन देना हो तो कैसे होगा? जब ऐसे संशोधन की आवश्यकता है जैसा कि अभी कहा गया है कि आजकल जो सबसे बड़ा जुये का अड्डा है वह है हमारे आफिसरों का क्लब, और उनके अलावा जो अड्डे हैं उनके लिये जब कोई संशोधन लाना है तो कैसे होगा? आजकल जुआ बड़े वैज्ञानिक ढंग से होता है, बड़े संगठित ढंग पर खेला जाता है। वह छोड़िये जिनको आप जुआ नहीं मानते और जिनको हम सब लोग जुआ मानते हैं उनके अड्डे हैं आफिसर्स क्लब और बार। माननीय मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, नहीं देखा होगा, लेकिन वे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं। वे जानते होंगे कि बार जो क्लबों में बने हैं उनमें किस प्रकार का जुआ होता है।

मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन प्रसंग में आ गया है तो कहता हूं कि एक बार मैंने एक मैजिस्ट्रेट साहब से पूछा कि जुये वालों को आप लोग सजा क्यों कम देते हैं तो उन्होंने कहा कि जो रात में हम लोग करते हैं अगर वही काम कोई दिन में करके हमारे सामने लाया जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या सजा दें। वह तो मजाक की ही बात थी, लेकिन उसमें एक सचाई अवश्य थी। सही बात है कि अफसरों के क्लबों में सबसे ज्यादा जुआ होता है, हमारे दारुलशफा में ब्रिज होती है, लेकिन आपका कानून कहेगा नहीं ताश पर कोई पैसा लगावे तो जुआ है। तो क्या वही जुआ है या जो आपका कानून कहता है कि यह जुआ है वही जुआ है? क्या चीज जुआ है और क्या नहीं है, मैं कहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसको अच्छी तरह से डिफरेंशियेट करना चाहिये। मैं इसलिये यह कह रहा था कि कुछ ऐसे भी संशोधन हैं जो कि इस तरह से मौजूदा शक्ल में नहीं आ सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रवर समिति में भेजने की बात है, जितने भी जुए को रोकने के लिये सजा के तरीके हैं उनमें देखना है कि हमें किस तरह के कानून की आवश्यकता है। एक पक्ष तो इसका यह है। दूसरा पक्ष यह है कि कैसे वह कानून लागू हो। इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई कानून बन जाता है, तो जिस के हाथ में अधिकार चले जाते हैं, उसमें यह देखने की आवश्यकता रह जाती है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। हमारे गृह मंत्री जी कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल इस कानून का नहीं हो सकता है, लेकिन—अभी माननीय नवलकिशोर जी को तो यह बात मालूम नहीं है, गृह मंत्री जी को मालूम होगी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मालूम होगी, क्योंकि ये दोनों तो सार्वजनिक जीवन में बहुत पहले से हैं—मैं जानता हूं कि दुर्भाग्य से सभी शहरों के प्रमुख स्थानों में, जहां पर जुआ होता है, पुलिस की एक बंधी हुई रकम रहती है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस कानून से कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि आज तक जो १०० रुपये की रकम पुलिस को मिल जाया करती थी, इस कानून के आ जाने के बाद पुलिस की यह रकम ५०० रुपये हो जायेगी। ज्यादा से ज्यादा पुलिस चालान कर देगी। जुआ खेलने वालों के पास से यदि पुलिस कोई कागज पकड़ लेती है, तो वही उनके लिये काफी होता है। यदि किसी की जेब से भी कोई कागज मिल जाय, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। दीवाली में सभी को मालूम है कि लोग जुआ खेलते हैं और उनमें शहरों के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग भी रहते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े वकील, डाक्टर।

श्री चरण सिंह—वह क्राइम नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मंत्री जी उसे क्राइम नहीं मानते हैं। अभी अभी, जब माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे, तो इस तरह की राय व्यक्त की गई कि बहुत से खेल हैं, जैसे ब्रिज, रमी, फ्लश आदि एक ब्लैक क्वीन का खेल भी होता है, मुझे तो बहुत से खेलों के नाम भी मालूम नहीं हैं और मैंने गौर से सुनते हुए उनको नोट कर रहा था, तो जिस खेल में भी पैसा लगाया जाता है वह जुआ है और उसे आम तौर से जुआ कहते हैं। कौड़ी का भी खेल होता है। जिसमें पैसा लगाया जाता है वह खेल जुये में आ जाता है। अभी नवल किशोर जी ने कहा कि पुलिस इस तरह के जितने जुये होते हैं, उन के विरुद्ध कार्यवाही करती है, तो मेरा कहना है कि नवलकिशोर जी को उप मंत्री हुए अभी २० दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, क्या उनको अपने जिले की इतनी भी जानकारी नहीं है? मेरे जिले में तो प्रमुख स्थानों पर जुआ होता है, तो उनमें पुलिस वालों के लिये रकम बंधी हुई होती है। माननीय मंत्री जी की निगाह में एक पुलिस आफिसर ऐसा आया है, उनको एक ऐसा पुलिस आफिसर मिला है, जो कि ईमानदारी से जुआ बन्द करना चाहता था। वह खुद किसी को पकड़कर लाया, लेकिन उसका चालान नहीं हो सका। इसलिये जुए के सम्बन्ध में जो कानून बन रहा है, उस के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि जुए को बन्द करना है, दूसरा पक्ष यह है कि कानून इस तरह का न बनाया जाय कि उससे प्रशासन में दोष उत्पन्न हो जायें।

अब सवाल यह है कि कानून बन जाने के बाद पुलिस किस तरह से कार्य करेगी। किसी की जेब में यदि कोई कागज मिल जाता है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है आप जानते हैं कि जेब में दियासलाई रख कर पुलिस चालान कर देती है। इस कानून के बाद यह भी होगा कि एक कागज किसी की जेब में डाल दिया और चालान कर दिया और उसे गैम्बलिंग हाउस से नीचे आकर पकड़ लिया। सवाल यह है कि गैम्बलिंग हाउस को कौन डिफाइन करेगा? बहुत से क्लब हैं, नैनीताल में जैसा कि बतलाया गया, बोट हाउस क्लब है, वह गैम्बलिंग हाउस कहा जायेगा या नहीं? यही सवाल है कि गैम्बलिंग हाउस को कौन डिफाइन करेगा? पुलिस डिफाइन करेगी या सरकार करेगी? जो सरकार इस तरह का कदम उठाने जा रही है, तो इससे प्रशासन में उलझने आयेंगी।

यह कहना भी गलत है कि रिक्शे वाले जुआ खेलते हैं और रुपये वाले नहीं खेलते हैं। रुपये वाले बहुत जुआ खेलते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती जब कि गरीब जो जुआ खेलते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। सड़क पर जो आदमी जुआ खेलते हैं, उसको आप कहते हैं कि यह जुआ खेलता है और उस को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े आफिसर जुआ खेलते हैं, उनकी ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहना है कि वह जुआ समाप्त होना चाहिये और उसके लिये गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा गृह मंत्री का नाम पुकारे जाने पर श्री टीकाराम पुजारी खड़े हो कर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष--- आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यह सरकार खुद लोगों से जुआ खिलवाती है और गरीब लोगों का सिर काटती है। . . .

श्री उपाध्यक्ष---कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री टीकाराम पुजारी---आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं देते हैं? जुआ सरकार के खास-खास आदमी खेलते हैं।. . . .

श्री उपाध्यक्ष---श्री पुजारी जी, चूंकि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो मुझे बाध्य होकर यह आज्ञा देनी पड़ रही है कि आप सदन से बाहर चले जायें।

(श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा के बावजूद भी श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर नहीं गये और अपने स्थान पर खड़े होकर भाषण देते रहे। तब श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वह श्री पुजारी जी को सदन के बाहर ले जायें। मार्शल ने पुजारी जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे सदन के बाहर चले जायें किन्तु श्री पुजारी जी नहीं माने और बराबर भाषण देते रहे। इस पर श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल पुजारी जी को गोद में उठाकर सदन से बाहर ले गये।)

*श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गौरीशंकर जी ने जो दो बातें कही हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जिस प्रकार का जुआ बड़े सरकारी आफिसर खेलते हैं, उस प्रकार का जुआ रिक्शा वाला भी खेल सकता है। आम भाषा में जिसको जुआ कहते हैं, उस प्रकार के जुआ को कानून के जरिये से रोका नहीं जा रहा है। यदि उस प्रकार के जुआ को माननीय गौरीशंकर जी और माननीय प्रताप सिंह जी खेलना चाहें तो अपने यहां खेल सकते हैं। जिस प्रकार का जुआ बड़े-बड़े आफिसर क्लबों में खेलते हैं, रिक्शेवाले को भी खेलने की इजाजत है। आम भाषा में जिसको जुआ कहते हैं, वह हर व्यक्ति खेल सकता है। जो जुआ डेन हाउस में होता है, और वहां पर नाल निकलती है और कुछ लोग उससे नफा उठाते हैं, उस प्रकार के जुआ को कानून के जरिये से रोका जाता है। यदि माननीय गौरीशंकर राय जी चार या पांच दोस्तों को अपने यहां बुला कर बैठा लें और खेलने लगें, जिस में नफा और नुकसान की कोई मंशा न हो, तो वह जुर्म नहीं है। प्राइवेट स्थानों पर आप इस प्रकार का जुआ तो खेलते ही हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार का जुआ है, वह जुर्म होता है। किसी जिन्स की कीमत घटती-बढ़ती है, जैसे अफीम है या कपास है या गोली डाल कर हड़िया से या घड़े से निकाली जाय और उस पर बेट किया जाय या इतनी बारिश होगी या नहीं कि फलां परनाले से पानी बहना शुरू हो जायगा, यह तीन प्रकार के सट्टे ऐसे हैं कि जो अगर प्राकृतिक घटना के होने न होने पर खेले जायं और अगर घर में बैठ कर खेले जायं तो जुर्म माने जायेंगे। और अगर एक आदमी भी खेलता है और कमीशन लेता है तो वह जुर्म माना जायगा।

इसके अलावा और जो वेजर्स हैं, या बेट्स हैं वे जुर्म नहीं करार दिये गये। हां, अगर माननीय सदन यह चाहता है कि हर प्रकार के जुए के लिये, जिसमें कि जुए की गंध भी आती हो, उसे जुर्म करार दिया जाय, तो बात दूसरी है। लेकिन उससे बड़ी परेशानी होगी और हमारी प्राइवेट लाइफ में पुलिस का कितना हस्तक्षेप होगा और उससे कितनी बाधा हो सकती है इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। यह जुए के खिलाफ कोई ऐ० सोल्यूट ऐक्ट नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यह तो एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में है। अगर माननीय सदस्य वैसा चाहते हैं तो वह अलग से विचार करने की बात है और उसके लिये कोई एक कमेटी बिठाई जा सकती है। इस वक्त तो जैसा ऐक्ट बना हुआ है, जो उसका मुख्य उद्देश्य था और उसके अमल में जो कठिनाई आ रही थी उसके लिये यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि इसको सेलेक्टी कमेट में भेजने की जरूरत नहीं है।

तीसरी बात गौरीशंकर राय जी ने यह कही कि पुलिस वाले जुआ खिलवाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पुलिस वालों से जयादा जिम्मेदार आदमी भी खुद जुआ खेलते हैं। तो क्या समाज के अन्दर जो यह खराबी है वह पुलिस के जरिये से ही दूर हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह मुझे स्वीकार है, लेकिन पुलिस तो इसलिये है कि अगर वह हस्तक्षेप न करे तो समाज में बड़े पैमाने पर बदअमनी हो जाय। इस समय पुलिस की संख्या ६५,००० है और पुलिस फोर्स में जो मेम्बर हैं वे हमारे समाज के अंग हैं। उनसे गलतियां होती हैं यह भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

मुझे स्वीकार है और यह भी ठीक है कि कहीं--कहीं पुलिस वाले भी कनाइव करते हैं। लेकिन इसलिये उनको अख्तियार न दिये जाय, यह क्या सही बात होगी ? वैसा होने पर आइडियल आदमी कहां से आयेंगे जिनको हम राजसेवा में रखेंगे ? पुलिस में ही नहीं, दूसरे विभागों में भी यही बात है। गलतियां की हैं और गलतियां करेंगे राज कर्मचारी, इसलिये उनको अख्तियार ही न दिये जायं यह बात होने पर तो गवर्नमेंट ही नहीं चल सकेगी। जो ऊपर के बड़े राज कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, जो समाज में अग्रणी है, उन सब को एक ऐसी हवा पैदा करना चाहिये कि इस प्रकार के काम न होने पायें। अगर हमने अख्तियार उनको दिये तो हो सकता है कि कहीं भाव बढ़ जाय, जैसा आपने कहा, हो सकता है कि कहीं वे कनाइव भी करें, लेकिन अगर वैसा होता है तो उसका कंडम्नेशन होगा और जो पुलिस के अफसरान हैं और गवर्नमेंट के मेम्बरान हैं, जिनके ऊपर पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, वह उसे देखेंगे। इस डर से कि पावर्स का एब्यूज होगा इसलिये हम पावर्स न दें, पहले उन्हें ठीक करें फिर पावर्स दें, तो पहले हमें देवता बनना होगा उसके बाद हम सरकार का काम करें, और यह हो नहीं सकता। यह असम्भव बात है। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी की बात मानने में असमर्थ हूं।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि गौरीशंकर राय जी ने, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी यह कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। आमतौर से ऐसा लग रहा है कि इसको और सख्त बनाना चाहिये था। मेरी स्वयं की भी यह राय थी कि इसको और सख्त बनाया जाय, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को बतला दूं कि हमारे पुलिस के आफिसरों ने यह सलाह दी, आई० जी० और डी० आई० जी० ने यह सलाह दी कि ज्यादा अधिकार पुलिस को देने से उसका दुरुपयोग हो सकता है। ज्यादा अधिकार देना ठीक नहीं है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो गलतफहमी पैदा हो रही है कि पुलिस ज्यादा अधिकार चाहती है, ज्यादा ताकत चाहती है, यह बात गलत है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि को भी विस्तृत करने की शक्ति होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १ का संशोधन।

२---पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित हुआ है और जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १ में "Instruments of Gaming" की परिभाषा के अन्त में आया हुआ "कोलन" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"and, in particular, satta papers that is to say, any document wherein may be recorded any words and/or figures evidencing bets and used or intended to be used for or in connection with gaming" ;

*श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

"खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

२--पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित हुआ है और जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है की धारा १ में--

(१) 'Instruments of Gaming' की परिभाषा के अन्त में आया हुआ कोलन निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : और

'and, in particuler, satta papers that is to say, any document wherein may be recorded any words and/or figures evidencing bets and used or intended to be used for or in connection with gaming'.

(२) 'Instruments of Gaming' की परिभाषा के पश्चात् उसके स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

'*Explanation*—If any document is recovered from the possession of any person containing words and/or figures, which *prima facie* appear to evidence bets, it shall be presumed that the words and figures evidence bets and the document was used or intended to be used for gaming, unless the person aforesaid proves to the contrary.'

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे अधिक कहना नहीं है। इस सदन का हर माननीय सदस्य यह चाहता है कि जो भी जुआ खेलता है उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाय। इसी उद्देश्य से यह संशोधन रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि बर्डेन आफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जिसके पास वह सामान पकड़ा जायेगा, प्रासीक्यूशन के ऊपर कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह जो सट्टे के बारे में मैं माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने रखा है उसकी मंशा केवल यही है कि अपराधी को अपना बर्डेन आफ प्रूफ साबित करने में सुविधा मिले, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सट्टे को पकड़ने के बाद मुकदमेबाजी करने में सरकार ने कुछ और भी सोच रखा है क्या? क्योंकि वहां तो हजारों लाखों रुपये की बात होती है। एक तो सट्टा ही आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन जब पकड़ा गया तो कुछ और भी ऐसी गुंजायश रखी गयी है कि सबूत का बार उन लोगों के ऊपर रहे जिनके पास खर्च करने को कम नहीं होगा, जिसमें वे चाहेंगे कि एक सट्टा यह भी हो जाय। इस प्रकार से सट्टेबाजी कम न होगी और इस बिल के द्वारा जो जुएबाजी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है वह इससे खत्म नहीं होगी।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, जो अभी माननीय मोतीलाल अवस्थी जी तर्क दे रहे थे उनको मैं फालो नहीं कर पाया कि इससे सट्टा कम होने के बजाय किस प्रकार से बढ़ जायगा। मेहरबानी करके उसको दुहरा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अीमन्, संशोधन में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वह इस प्रकार है--

"*Explanation*—If any document is recovered from the possession of any person containing words and/or figures, which *prima facie* appear to evidence bets, it shall be presumed that the words and figures evidence bets and the document was used or intended to be used for gaming, unless the person aforesaid proves to the contrary."

हमारे प्रस्तावक महोदय ने तो उसके बारे में केवल इतना ही बतलाया कि उससे सबूत होने से कुछ सहूलियत मिल जायगी और कुछ नहीं बतलाया । मैं यद्यपि यह जानता हूं कि यह न्याय के सिद्धान्त की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इन शब्दों से सट्टे में मुकदमेबाजी और बढ़ जायगी और मुकदमेबाजी इतनी बढ़ेगी कि पुलिस किसी भी सट्टे के आरोप लगाने में कामयाब नहीं हो पायगी । जैसी कि न्याय की व्यवस्था चालू है उसके आधार पर मैं मैं कह सकता हूं कि कानून का हेरफेर कर बड़े-बड़े वकीलों के द्वारा जो काले को सफेद और सफेद को काला दिखाने की चेष्टा करते हैं, क्या यह सट्टे में बढ़ावा देने की बात नहीं है ? तो उन पर एक तो प्राइमाफेसी एवीडेंस का और दूसरा प्रूफ का बार होगा। इस प्रकार से एक तो सट्टा होगा जेब के रूप में और दूसरा होगा मुकदमेबाजी के रूप में । वे सोचेंगे कि दांव लगा लें और जीत जायेंगे तो मिल जायगा । इसलिये इससे जुएबाजी कम नहीं हो पायगी ।

श्री मुक्तिनाथ राय--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो कुछ कहा उसे तो मैं समझ नहीं पाया। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं, माननीय गृह मंत्री का भी यही जवाब होगा।

(हंसी)

***श्री चरण सिंह**--जी हां । यह जो स्पष्टीकरण है वह तो केवल इतना ही है कि किसी कागज पर कोई आंकड़े लिखे हुए हैं और वे आंकड़े इस प्रकार के लिखे हुए हैं जिस प्रकार के आंकड़े अक्सर जुआरी लिखते हैं और उनसे साफ जाहिर होता है कि वह जुए के आंकड़े हैं, लेकिन पुलिस उनसे यह साबित नहीं कर सकती है कि वह दांव के आंकड़े हैं तो इसके द्वारा बार सबूत बजाय पुलिस के मुल्जिम के ऊपर आ जायगा कि वह यह साबित करे कि ये आंकड़े जुए के नहीं हैं, किसी और चीज के हैं । वैसे आम तौर पर क्रिमिनल केसेज में बार सबूत पुलिस पर ही होता है, लेकिन इसके द्वारा वह मुल्जिम पर शिफ्ट हो जायगा कि वह यह साबित करे कि उसकी साग भाजी का हिसाब है, धोबी के कपड़े का हिसाब है बजाय इसके कि वह जुए का हिसाब जाहिर करता है । तो यह बर्डेन आफ प्रूफ एक्यूज्ड का हो जाता है कि वह अपने को निर्दोष साबित करे । इसमें पुलिस को कोई मुश्किल नहीं होगी । यह तो पुलिस की सहूलियत के लिये किया गया है । आज मैं अपने सहयोगी नवल किशोर जी के साथ अपने कमरे में बैठा बात कर रहा था तो हम यह आशंका कर रहे थे और हमारा अन्दाजा था कि इसी मामले पर सबसे ज्यादा बहस होगी, लेकिन आप उल्टा यहां कह रहे हैं कि इसमें पुलिस को कठिनाई हो जायगी । तो यह हमारी समझ में आना कठिन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, उसका यह मौका नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्न यह है कि---खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

२---पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित हुआ है और जिसे "आगे मूल अधिनियम" कहा गया है की धारा १ में---

(१) 'Instruments of Gaming' की परिभाषा के अन्त में आया हुआ कोलन निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: और

'and, in particular, satta papers that is to say, any document wherein may be recorded any words and or figures evidencing bets and used or intended to be used for or in connection with gaming'; और

(२) 'Instruments of Gaming' की परिभाषा के पश्चात् उसके स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"*Explanation*—If any document is recovered from the possession of any person containing words and/or figures, which *prima facie* appear to evidence bets, it shall be presumed that the words and figures evidence bets and the document was used or intended to be used for gaming, unless the person aforesaid proves to the contrary."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३---मूल अधिनियम की धारा ३ में अन्तिम पैरा निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ३ का संशोधन।

"shall be liable—

in the case of a first offence to fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees or to rigorous imprisonment for a term not exceeding three months; and in the case of any subsequent offence to fine not exceeding seven hundred and fifty rupees nor less than two hundred and fifty rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding twelve months nor less than three months.'

श्री मुक्तिनाथ राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में मूल अधिनियम की धारा ३ के अन्तिम पैरा के स्थान पर रखे जाने के लिये प्रस्तावित पैरा में---

(१) शब्द 'or' के स्थान पर शब्द 'and' रख दिया जाय; और

(२) शब्द 'exceeding' के बाद शब्द 'seven hundred and fifty' के स्थान पर शब्द 'two thousands' रख दिये जायं और छठी पंक्ति में शब्द 'two hundred and fifty' के स्थान पर शब्द 'five hundred' रख दिये जायं।"

जो जुआ खिलाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाय इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री नवलकिशोर— श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के मूल अधिनियम की धारा ३ के अन्तिम पैरा के स्थान पर रखे जाने के लिये प्रस्तावित पैरा में—

(१) शब्द "or" के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय, और

(२) शब्द 'exceeding' शब्द के बाद "Seven hundred and fifty" के स्थान पर शब्द "two thousand" रख दिये जायं और छूटी पंक्ति में शब्द 'two hundred and fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४—८

४—(१) मूल अधिनियम की धारा ४ के पार्श्व शीर्षक में शब्द "found in" तथा शब्द "gaming house" के बीच में शब्द "or in the immediate vicinity" बढ़ा दिये जायं ।

(२) मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले पैरा में—

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ४ का संशोधन

(१) शब्द "is found there presdnt" तथा "for the purpose of" के बीच में शब्द "or in the immediate viciniy thereof" बढ़ा दिये जायं ।

(२) शब्द "shall be liable to a fine not exceeding three hundred rupees or to imprisonment to either description as defined in the Indian Penal Code for any term not exceeding one month" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"shall be liable—

in the case of a first offence to a fine not exceeding three hundred rupees nor less than one hundred rupees or to rigorous imprisonment for any term not exceeding one month, and in the case of any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding six months nor less than three months";

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ५ का संशोधन

(३) मूल अधिनियम की धारा ४ के दूसरे पैरा में शब्द "common gaming house" तथा शब्द "during any gaming" के बीच में शब्द and any person found in the immediate vicintiy thereof with any instruments of gaming" बढ़ा दिये जायं ।

५—(१) मूल अधिनियम की धारा ५ के पैरा १ में शब्द "The District Superintendent of Police" तथा शब्द "upon credible information" के बीच में शब्द "or any Police Officer of gazetted rank especially empowerd in this behalf by the State Government." बढ़ा दिये जायं ।

(२) मूल अधिनियम की धारा ५ के पैरा ३ में अन्त में आया हुआ "सेमी-कोलन" निकाल दिया जाय और शब्द "and all persons found in the immediate vicinity thereof with any instruments of gaming;" बढ़ा दिये जायं ।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द तथा कामा "who are found therein," और शब्द "it shall be evidence" के बीच में शब्द तथा कामा "or found in immediate vicinity thereof," बढ़ा दिये जायं । — ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ६ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ७ में, शब्द "person found in" तथा शब्द "any common gaming house" के बीच में शब्द तथा कामा, "or in the immediate vicinty of," बढ़ा दिये जायं । — ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ७ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ८ में— — ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ८ का संशोधन

(१) शब्द "and,, तथा शब्द "also order" के बीच में आये हुए शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय, और

(२) शब्द "to be forfeited" के पश्चात् "सेमीकोलन" के स्थान पर "फुलस्टाप" रख दिया जाय और उसके पश्चात् आये हुए शब्द "or, in his discretion, may order any part thereof to be returned to the persons appearing to have been severally thereunto entitled" निकाल दिये जायं ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ का उपखंड (१) हटा दिया जाय और खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (१) निकाल दिया जाय ।

इसमें खंड ४ (१) में यह दिया है कि मूल अधिनियम की धारा ४ के पार्श्व शीर्षक में शब्द "found in" तथा शब्द "gaming house" के बीच में शब्द "or in the immediate vicinity of" बढ़ा दिये जायं । इसमें जो गेमिंग की परिभाषा दी गई है उसमें बिलकुल पड़ोस के लोगों को भी दोषी ठहराया गया है और दसरी बात खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (१) को निकालने की है । उसमें यह है कि उसको निकाल दिया जाय । सरकारी संशोधन के अनुसार जो उसका रूप होगा वह मैं आपको बता दूं कि जो भी ऐसे घर, कमरे, टेन्ट, दीवार वाले घेरे, स्थान, सवारी, वेसेल में कार्ड्स, डाइस, काउन्टर्स पैसे या अन्य साधनों से किसी पैसे के लिये खेलते हैं वह मौजूद लोग और उसके बिलकुल पड़ोस में पाये हुये लोग जुर्माने के और सजा के मुस्तहक होंगे और उन पर ऐसा जुर्माना होगा जो ३०० रुपये से अधिक न हो और सजा आई० पी० सी० के अनुसार एक मास से अधिक न हो ।

अब हमारे सामने दिक्कत एक यह है कि अभी पहले धारा ३ में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन खंड ४ में परिवर्तन करने के लिये वह तैयार नहीं हैं और न हमारे माननीय मुक्तिनाथ राय की ओर से ही कोई प्रयास किया गया है । गेम्बलिंग हाउसेज को रोकने के लिये सरकार ने यह तो किया कि ७५० से २,००० रुपया किया गया और सजा और जुर्माने दोनों को साथ-साथ भी कर दिया लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गेम्बलिंग हाउस को रोकने के लिये तो सरकार ज्यादा सजा रखना चाहती है और उसको रोकना चाहती है, परन्तु खेलने वालों को ज्यादा सजा देने का प्रयास सरकार नहीं करना चाहती । अब "इन दि इम्मीडिएट विसीनिटी आफ" जो शब्द बढ़ाए गए हैं, उसके संबंध में पहले भी मैंने एतराज किया था और अब भी कर रहा हूं । मुक्तिनाथ राय जी से....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मोतीलाल जी, आप ऐसी सलीस भाषा में बोलिए जैसे क्लास में बोला करते हैं । लोगों की समझ में नहीं आता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यहां तो एक साथ चार-चार काम होते हैं । दोस्तों से बातचीत भी करते जाते हैं, कागज भी पढ़ते हैं और अगर मैं वैधानिक प्रश्न पैदा करूंगा कि मंत्री जी कागज पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं तो कह देंगे कि नहीं पढ़ रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—आप समझा दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यापक का तो काम है कि सब को पढ़ावे। ८० हजार आदमियों ने मुझे भेजा है कि इन लोगों को भी पढ़ाया जाय। तो मैं यह कह रहा था कि हमें इस बात की शंका है कि इसका दुरुपयोग होगा। दफ़ा ४ में जहां यह बढ़ाया गया है वहां ये शब्द नहीं हैं, जैसे कि दूसरी जगह मौजूद है, "विद एनी इंस्ट्रमेंट्स आफ गेमिंग"। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये शब्द न बढ़ा कर और केवल उसमें "विसीनिटी" शब्द बढ़ा कर उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है जो उसमें किसी प्रकार से शरीक न हों, लेकिन सड़क वगैरह पर खड़े हों।

मुझे इस बात की भी शंका पैदा हुयी है कि कभी-कभी पुलिस जुए को पकड़ने में कुछ लोगों को छोड़ देती है और कुछ लोगों को शरीक कर लेती है। अगर ऐसा करने में कुछ लोगों ने एतराज किया तो यह कहा जा सकता है कि विसीनिटी में थे। तो विसीनिटी की क्या परिभाषा होगी? डिक्शनरी में मैंने देखने की कोशिश की तो उसमें "इन दि नेबरहुड" "ऐट दि नीयर डिस्टेंस" है। तो विसीनिटी के माने १० कदम, २० कदम या कितना है? अगर यह लिखा हुआ होता कि ऐसी हालत में विसीनिटी मानी जानी चाहिए और ऐसी में नहीं तो सारी बात साफ़ हो जाती। मैं समझता हूं कि डेफीनीशिन में जो शब्द है उसमें इसका स्पष्टीकरण न करके सरकार ने एक व्यापक चीज रख दी है जिसका दुरुपयोग हो सकता है.....

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है जो बहुत साधारण है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं माननीय मोतीलाल जी अवस्थी की बात सही समझा हूं—यह प्राविजो है—तो उनको आशंका यह है कि जो शब्द है "इन दि इम्मीडिएट विसीनिटी देयर आफ" इनका दुरुपयोग होगा क्योंकि विसीनिटी माने हैं नजदीक। और नजदीक के माने क्या होते हैं? नजदीक की सही तारीफ़ नहीं की जा सकती कि ५० गज, २५ गज या ३० गज। तो इसलिए इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन मैंने इसकी बाबत अपनी इब्तदाई स्पीच में ही कह दिया था कि केवल विसीनिटी ही नहीं है कि विसीनिटी में पकड़ लिया जाय तो सजा मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ एक शर्त और है जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बिल के खंड ४, उपखंड (३) में लिखा है :—

"मूल अधिनियम की धारा ४ के दूसरे पैरा में शब्द "Common gaming house" तथा शब्द "during any gaming" के बीच में शब्द "and any person found in the immediate vicinity thereof with any instruments of gaming" बढ़ा दिये जायं।"

वह जो कह रहे थे कि "with any instruments of gaming" इसमें नहीं है, यह बात नहीं है, वह है। प्रिन्सिपल ऐक्ट की धारा ४ का जो पैराग्राफ (२) है उसको भी हमने संशोधित किया है।

श्री उपाध्यक्ष—'गेमिंग' का अर्थ माननीय बालक राम जी हिन्दी में चाहते हैं।

श्री चरणसिंह—"गेमिंग" माने जुआ। ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री बालक राम के दुबारा खड़े होने पर)। आप बार-बार न उठें। उनकी बात सुनें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह---तो मैं कह रहा था कि मूल अधिनियम की धारा ४ का पैराग्राफ (२) इस प्रकार हो जायगा :

"any person found in any common gaming house and any person found in the immediate vicinity thereof with any instuments of gaming during any gaming or playing therein shall be presumed, until the contrary be proved to have been there for the purpose of gaming."

जब कि किसी मकान के अन्दर जुआ खेला जा रहा होगा उसके पड़ोस में अगर कोई आदमी पकड़ा जाय और उसके पास जुआ खेलने के उपकरण भी हों तब भी सजा होगी। या तो जुआ खेल रहा हो या मकान के नजदीक जुए के उपकरण के साथ पकड़ा जाय तब सजा होगी। इसलिये अब माननीय अवस्थी जी को कोई एतराज नहीं होगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से मंत्री जी की बात सुनी, लेकिन जैसे मास्टर का तरीका होता है वह बड़े गौर से अपनी क्लास के विद्यार्थियों की बात सुनता है ठीक उसी प्रकार से सुनने के बाद मैंने यह पाया कि मेरी बात मंत्री जी पकड़ नहीं पा रहे हैं।

मैं संशोधन रख रहा हूं ४ के पहले पैराग्राफ में और वह केवल उन लोगों के सम्बन्ध में जो खेलते हुए पकड़े जायं गेमिंग हाउस में। दूसरा पैराग्राफ कामन गेमिंग हाउस के बारे में है।

श्रीउपाध्यक्ष---बालक राम जी को हिन्दी में समझाते जाइए।

श्री मोती लाल अवस्थी---मैं समझा दूंगा। कामन गेमिंग हाउस और गेमिंग हाउस दो अलग चीजें हैं। पहले पैराग्राफ में जो गेमिंग हाउस है उसमें लिखा हुआ है "in the vicinity of" और उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है जो मंत्री जी बता रहे ह "with any instruments of gaming." मगगेमिंग हाउस में एक आदमी विसिनिटी में है वह पकड़ लिया जायगा चाहे उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो या न हो। लेकिन कामन गेमिंग हाउस में जब पकड़ा जायगा तो इंस्ट्रमेंट देख लिये जायेंगे। तो मैंने कामन गेमिंग हाउस के बारे में संशोधन नहीं रखा है। मैंने उस गेमिंग हाउस के बारे में रखा है जहां इंस्ट्रूमेंट्स की बात है ही नहीं। मैं मानता हूं जहां उपकरण निकल आयेगा वह तो सबूत है कि उसकी मंशा थी खेलने की। लेकिन जिसके पास उपकरण निकले ही नहीं, उस मकान के आसपास विसिनिटी में हो, तो हर हालत में मारा जायगा।

आश्चर्य है कि 'जबरा मारे और रोवे नदे'। आप देखें गेमिंग हाउस के नज़दीक कहीं पर कोई सड़क है---जिस पर आदमी चलते हैं। जब पुलिस आयेगी तो लोग १०, ५ इकट्ठा हो हो जाते हैं जानने के लिए कि क्या बात है? जब १०, ५ आदमी पकड़ कर आयेंगे और उनमें से एक कहे कि इन्होंने एक कांस्टेबिल को छोड़ दिया जो कि खेल रहा था तो स्वाभाविक है कि वह सड़क पर चलने वाले आदमी पुलिस वाले से कहेंगे कि तुमने उस कांस्टेबिल को क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने कहा कि तुम बीच में बोले क्यों? तुम भी चलो हमारे साथ। अब सरकार क्या बचाव देगी जब कि उसके पास कोई उपकरण नहीं है?

श्री चरणसिंह ---उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की संशोधित धारा हो जायगी वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं---

"Whoever is found in any such house, room, tent ,walled enclosure, place,vehicle, vessel or place playing or gaming with cards, dice, counters, money or other instruments of gaming, or is found there present or in the immediate vicinity thereof for the purpose of gaming, whether playing for any money, wager, stake or otherwise, shall liable to such and such punishment."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

अब उनका कहना यह है कि इसमें जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वह सिर्फ यह लिख रहे हैं कि "in the immediate vicinity thereof" और "with any instruments of gaming" यह नहीं लिखा है। लेकिन for the purpose of gaming" तशरीह इसमें क्या करते हैं कि for the purpose of gaming कब साबित होगा, वह आगे चल कर लिखा है कि---

Any person found in any common gaming-house and . . . . in the immediate vicinity thereof during any gaming or playing therein shall be presumed untilthe contrary be proved."

For the purpose of gaming" साबित होगा। 'फार दि परपज आफ गैंमिंग की परिभाषा तीसरे पैरा में की गई है, उसमें इंस्ट्रूमेंट आफ गेमिंग लिखा है। अमेंड हो कर यह इस तरह से हो जायगा

"Any person found in any common gaming-house and any person found in the immediate vicinity thereof with any instruments of gaming during any gaming or playing therein shall be presumed to have been there for the purpose of gaming."

पैराग्राफ में 'For the purpose of gaming' आ गया है। इसलिये विद इंस्ट्रूमेंट आफगेमिंग" विसिनिटी के साथ पहल पैरा में रखने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे पैरा में जहां "फार दि परपज आफ गैंमिंग" की तशरीह की है वहां आवश्यकता थी और वहां रखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे इतनी तशरीह करने के बाद भी मैं समझाने से कासिर रहा हूं तो सिवाय अपनी बदकिस्मती के और क्या कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (१) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (१) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री मुक्तिनाथ राय**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह पेश करता हूं कि "खंड ४ के उपखंड (२) की मद (२) में मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले पैरा में बढ़ाया जाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में शब्द "Three months." के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जांय।

यह इसलिये रखा गया है कि पहली बार जो लोग जुआ खेलते हुये पकड़े जाते हैं उसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बेगुनाह लोग भी फांस लिये जाते हैं। इसमें है कि तीन महीने से कम की सजा न हो लेकिन मैं चाहता हूं क लोगों के साथ न्याय हो सके, बेगुनाहों, को कड़ी सजा न मिले, इसलिये तीन के बजाय एक महीने रख दिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--- मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गृह मन्त्री। (श्री ब्रजनारायण तिवारी से) आपको समय मिलेगा।

श्री नवल किशोर---यह हमको स्वीकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं विरोध इसलिये करता हूं कि मुक्तिनाथ जी ने एक बार साढ़े सात सौ से दो हजार की जुर्माने की रकम मन्जूर करा ली। इस सरकार को केवल रुपये की जरूरत है या लोगों को जुर्म से रोकने की जरूरत है? आप जेल से क्यों घबराते हैं? तीन महीने की सजा रहती है तो इससे सरकार का खर्चा बढ़ता है, इसलिये सरकार इस को कम करना चाहती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुक्तिनाथ राय फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोचें और सजा कम न करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना तर्क देते हुये कहा था कि जो पहली गलती करता है उसके लिये यह सजा रखी गई है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अन्त में लिखा हुआ है कि :

"in the case of first offence to a fine not exceeding three hundred rupees nor less than one hundred rupees or to rigorous imprisonment for any term not exceeding one month, and in the case of any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding six months nor less than three months ;"

यह सजा तीन महीने के बजाय एक महीने में कराना चाहते हैं जिसको मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो संशोधन स्वीकार किया उसका कारण यह था कि उसमें दो बातें हैं। अगर मेरे साथी ने सही तौर पर इसको पढ़ा होता तो यह बात न होती। एक तो इसमें "इम्प्रीजियेट विसिनिटी" की बात आती है जिसका विरोध किया गया। यह चीज उनके दिमाग में रही कि इसको व्यापक बना दिया है। इसलिये सम्भव हो सकता है कि गलत आदमी आ जाय।

दूसरी बात यह थी कि सबसीक्वेंट आफेंस में एक ही आदमी बार-बार आ जाय। लेकिन आप देखेंगे कि मूल ऐक्ट में लिखा हुआ है कि या तो जुर्माना होगा या इम्प्रिजिनमेंट होगा। हमने अब इम्प्रिजिनमेंट अनिवार्य कर दिया है। इसलिये हमने सोचा कि जब यह अनिवार्य है तो तीन महीने की सजा ज्यादा हो जायगी। इसलिये हमने एक महीने की बात स्वीकार की।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के मद (२) में, मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले पैरा में बढ़ाये जाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में, शब्द "three months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ तथा खंड ५ से ८ तक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९---मूल अधिनियम की धारा १३ में---

(१) पैरा १ और २ के बीच में एक नये पैरा के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"any person found in any public street, place or thoroughfare within the limits aforesaid with any instruments of gaming, or"

(२) दूसरे पैरा में शब्द "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १३ का संशोधन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

of birds or animals" के स्थान पर शब्द "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming of public fighting of birds or animals". रख दिये जांय और

(३) अन्तिम पैरा में शब्द "shall be liable" के पश्चात का 'सेमीकोलन' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "डैश" रख दिया जाय, तथा उक्त शब्द "shall be liable" के पश्चात् खंड (ए) और (बी) निकाल दिये जांय और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"in the case of a first offence to a fine not exceeding two hundred and fifty rupees or less than fifty rupees, or to rigoruos imprisonment for a term not exceeding one month, and

in the case of any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees nor less than one hundred rupees and rigorous imprisonment for a term not exceeding six months nor less than three months."

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न मैंने उपस्थित किया था, जब वह बिल प्रस्तुत हुआ था। तो अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी थी कि जिस वक्त इस खंड पर चर्चा शुरू हो तो उस वक्त आप आपत्ति कर सकते हैं।

जो विधेयक हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है उसके खंड ९ के उपखंड (२) में लिखा है--

दूसरा पैरा में शब्द "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals."

के स्थान पर शब्द"or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals". रख दिये जांय।

तो दोनों वाक्यों में कोई अन्तर नहीं है। मैं वैधानिक आपत्ति इस लिये उपस्थित कर रहा हूं कि इस संशोधन का अर्थ क्या हुआ? इससे तो भ्रम फैलता है।

श्री नवलकिशोर--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य ने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं, इसमें है: for the words in the second para "or any person there present aiding or abetting such public fighting of birds and animals" the words "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals' shall be substituted ; 'Making preparation for or" इसके अन्दर ऐडीशनल वर्ड्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष--खंड ९ का उपखंड (२) देखिये। दूसरे पैरा में शब्द "or any other person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals." इसमें और आखिर वाले में क्या अन्तर है? जिसके स्थान पर दूसरा रखना चाहते हैं उसके अन्दर क्या बारीकी है?

(श्री नवलकिशोर विधेयक ले कर उपाध्यक्ष के पास मंच पर गये।)

श्री उपाध्यक्ष--उसमें जो हिन्दी में छपा है उसमें वह गलत छप गया है। आप अंग्रेजी वाला देख लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अंग्रेजी वाला तो लागू होगा नहीं, श्रीमन्। यहां तो आर्थेंटिक वही माना जायगा जो हिन्दी में है। वह तो ट्रांसलेशन है।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि जो हिन्दी में बिल पेश हुआ उसके अन्दर कुछ छापेखाने की गलती की वजह से थोड़ी सी त्रुटियां हो गई हैं, परन्तु जो अंग्रेजी का बिल है....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि "जो हिन्दी में पेश हुआ" यह कहना इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। कहा जाना चाहिये कि जो मूल विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ क्योंकि इस सदन की भाषा हिन्दी है और इस सदन में जो विधेयक पेश है वह हिन्दी में पेश है। इसलिये यह कहा जाना चाहिये कि जो मूल विधेयक पेश हुआ उसमें गलती रह गई है।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले शुरू ही इसी से किया कि मुझे इस बात का बड़ा खेद है और मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दी के विधेयक के अन्दर इन शब्दों को निकालकर पढ़ा जाय, ऐसा मेरा संशोधन मान लिया जाय।

श्री राजनारायण---यह हिन्दी क्या है?

श्री उपाध्यक्ष---(श्री नवलकिशोर से) आप यह कहिये कि जो मूल विधेयक पेश है उसमें यह गलती हो गई है।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो मूल विधेयक पेश है उसके अन्दर यह संशोधन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---असल में जो इसमें गलत छप गया था, वह मूल ऐक्ट में भी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब वह जैसा है वैसा माना जायगा, क्योंकि एक विधेयक यहां पर पुरःस्थापित हुआ। अब जब तक उसकी जगह नया विधेयक पुरःस्थापित न हो या अगर संशोधन लाते हैं तो उसके लिये तीन दिन का नोटिस हमें मिलना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये। यह अक्सर होता है, रोज माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मेरे संशोधन में ऐसा संशोधन कर लिया जाय, तो सरकार जब एक प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक करना चाहती है तो कोई चेयर उसको इजाजत क्यों नहीं देगी?

श्री ब्रजनारायण तिवारी---हम यह जानना चाहते हैं कि जो हिन्दी में छपा है उसका भी मूल ऐक्ट जो है वह इंग्लिश में ही है।

श्री उपाध्यक्ष---वह शब्दावली जो हिन्दी में छपी है मूल ऐक्ट में भी नहीं है, वह ज्यादा छप गई है, वह तो बिल्कुल स्पष्ट गलती है।

*श्री मुक्तिनाथराय---मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं---खंड ९ की मद (३) में, मूल अधिनियम की धारा १३ के अन्तिम पैरा के खंड (ए) और (बी) के स्थान पर रख दिये जाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में शब्द "Three months" के स्थान पर शब्द "One month" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि खंड ४ को इस सदन ने पास किया है यह भी उससे बिलकुल मिलता जुलता संशोधन है। इम्प्रिजनमेंट जब लेस किया जाना चाहिये तो "थ्री मंथ्स" की जगह "वन मंथ" रख दिया जाय। इसमें मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में आपसे इसलिये निवेदन करना पड़ा कि अभी थोड़ी देर पहले उपमंत्री महोदय ने यह बयान दिया कि वह यह समझते हैं कि चूंकि "इम्मीडियट विसिनिटी देयरआफ" लिख दिया गया है, इसलिये गलत लोग भी पकड़े जा सकते हैं और जब गलत लोग पकड़े जायेंगे तो उनको अधिक सजा नहीं होनी चाहिये, इसलिये यह लाना आवश्यक है। मुझे सख्त एतराज तो इसी पर है। बैधानिक बात भी उठती थी कि क्या कोई माननीय मंत्री यहां पर यह कह सकते हैं कि इस विधेयक में यह जो शब्द रख दिये गये हैं इससे यह सम्भावना है कि गलत लोग पकड़े जायेंगे। इससे प्रिजम्पशन यह होगा और अदालत के सामने जब यह प्रश्न जायेगा कि जब यह विधेयक बन रहा था और सदन के सामने विचारार्थ था।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उस समय भी माननीय मंत्री जी के दिमाग में यह शुब्हा था कि इसमें ज्यादा लोग पकड़े जायेंगे या गलती से कम लोग पकड़े जायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि हर अदालत में मुलजिम आयेगा और वहां पर यह बहस करेगा कि यह माननीय मंत्री जी के दिमाग में शुब्हा था, लिहाजा हम गलत पकड़ लिये गये हैं। आप जानते हैं कि शुब्हे का लाभ हमेशा मुलजिम को मिलता है। अगर ऐसा होगा तो विधेयक का मन्शा समाप्त हो जायगा। मंत्री जी जो अपना तर्क रख रहे थे कि इसलिये एक महीना रखा जाय तो यह मंत्री जी का अपना विचार हो सकता है कि कम सजा होनी चाहिये, लेकिन अगर सही तरीके से जुर्म करने वाले कम लोग भी पकड़े जाते हैं तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिये, क्योंकि जुर्म करने वालों के लिये जुर्माने को बढ़ाकर दो हजार रुपया किया गया है और यह संशोधन वह स्वीकार कर चुके हैं। एक तरफ तो आप ज्यादा सजा देकर रोकथाम का उपाय करें और दूसरी तरफ यह सन्देह पैदा करें कि गलत आदमी पकड़े जायेंगे तो सदन इस शंका को स्वीकार नहीं कर सकता। वह गलत आदमी पकड़े जाने के सन्देह के कारण से यदि कम सजा देना चाहते हैं तो हमको माननीय मंत्री जी के इन शब्दों पर आपत्ति होनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय। उनको यदि गलत आदमी के पकड़े जाने में सन्देह है तो यह शब्द आपत्ति जनक है और इनको निकाला जाय। जिन शब्दों पर हमारी आपत्ति थी वही संशोधन दोबारा आया। अगर मंत्री जी को शुब्हा है तो वह संशोधन हटा दिया जाय और जो शब्द ऊपर आये हैं उनको मान लें। मैं समझता हूं कि जो तीन महीने की बात रखी गई है वह उचित है और जुर्म की रोक-थाम के लिये इसको इस्तेमाल करना चाहिये। किसी नीति के बारे में मंत्री जी का दिमाग स्पष्ट होना चाहिये। मैं आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिये कि माननीय मंत्री जी का शुबहा भी बना रहे और तीन महीने की सजा भी न रहे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें जो ९ खंड चल रहा है उस खंड के दूसरे पैराग्राफ में अभी पूर्व वक्ता ने एक सरकार की छपाई की गलती बतलाई। वह मूल अधिनियम में बतलाई और सरकार ने उसको स्वीकार किया। जो सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया है वह अभी हमारे सामने विचारणीय नहीं बन सकती है जब तक कि वह संशोधन के रूप में हमारे सामने रखी न जाय। जब वह हमारे सामने रखेंगे तभी वह विचारणीय हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो मुक्तिनाथ राय जी ने अपना संशोधन रखा है, उसके शब्दों को अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि "(ए) और (बी) के स्थान पर दिये जाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में" शब्द "Three months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जांय। प्रस्तावित शब्दों में यह कम से कम ७, ८ लाइन हैं। वह किस पंक्ति में चाहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं इसका उल्लेख नहीं है । यह संशोधन इस कारण स्पष्ट नहीं है कि किस पंक्ति में वह चाहते हैं कि "तीन" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—पहली जो आपकी आपत्ति है वह खंड ८ के बारे में थी । उस खंड ८ के बारे में उपाध्यक्ष महोदय इस बात का फैसला दे चुके हैं कि वह गलती थी और अंग्रेजी में जो छपा है वह सही है । तो यह काम अध्यक्ष भी कर सकते हैं जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो और अगर यहां से पारित भी हो जाय तब भी दफ्तर अगर लिखता है कि छपाई में गलती हुई है तो उनको अध्यक्ष दुरुस्त कर देते हैं । इस मामले में तो सदन में कह दिया गया है और जब सदन में एलान से कह दिया गया है कि इसको दुरुस्त कर दिया जायगा तो इसके बाद आपत्ति नहीं रहती । लेकिन अगर माननीय सदस्य संशोधन ले आते तो उसमें भी आपत्ति नहीं होती । मैं समझता हूं ऐसे मौके पर वह अधिक अच्छा होता । मैं इसको "अधिक अच्छा" कहता हूं । कभी-कभी यहां ऐसा भी संशोधन दिया गया है कि कामा बढ़ाकर इस शब्द को हटा दिया जाय । जब काटना है दो-चार शब्दों का तो ऐसा संशोधन ले आते हैं और कोई बुरी बात नहीं होती है ।

श्री चरणसिंह—लेकिन अब तो फैसला आपका हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—फैसला तो हो चुका और उसको मैं लौटाता नहीं हूं और उसको मैं दुरुस्त भी कर दूंगा, लेकिन भविष्य में क्या होना चाहिये उसके लिये मैंने संकेत कर दिया । अब दूसरी बात जो है वह केवल शाब्दिक है और उसमें कोई वैधानिक बात नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—मैंने जो संशोधन दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले पैरा में बढ़ाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में, शब्द "three months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जांय । अब इसके बाद किसी संदेह की आवश्यकता रहती नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—"three months" कहीं और तो है भी नहीं, सिर्फ एक ही जगह है, इसलिये ठीक है । अब श्री ब्रजनारायण तिवारी जी, आप चलिये ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । इस विरोध से मेरा मतलब यह है कि पूरे विधेयक में ४ प्रकार के लोगों के लिये सजा रखी गयी है । पहली सजा तो उन लोगों के लिये है जो जुआघर रखते हों । दूसरी सजा उनके लिये है जो जुआघर में खेलते हुये पकड़े जायं । तीसरी सजा उनके लिये हैं जो लोग जुआ में पकड़े तो जायं लेकिन नाम गलत बतावें और चौथा यह है कि जो चिड़ियों और जानवरों की लड़ाई आम सड़कों पर लड़ावें उनके लिये सजा है । हमारे लहरी जी ने अभी तीतर और बटेर की लड़ाई की चर्चा की थी कि एक निश्चित तिथि पर सार्वजनिक स्थानों पर महीने में एक दिन तीतर और बटेर की लड़ाई होती है । मंत्री जी ने कहा था कि वे इस सिलसिले में बड़ा क्रान्तकारी कदम उठाने वाले हैं । लेकिन अब इसमें वे सजा ६ महीने की जगह पर ३ महीने की रखते हैं । हमारे मित्र मुक्तिनाथ राय जी हैं वे कई हमारी बातों से इत्तिफाक भी करते हैं, लेकिन यहां वे भी कहते हैं कि सजा कम कर दी जाय । हमारा कहना यह है कि अगर इस तरह से सजा कम कर दी जाती है तो इस संशोधन विधेयक के लाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । जो पुराना ऐक्ट है उसमें लिखा है उसको पढ़ना चाहता हूं । उसकी धारा १३ के (ए) और (बी) में लिखा हुआ है:—

"For the first offence a fine not exceeding two hundred and fifty rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding one month; and

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

"For the second and subsequent and every subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding six months."

अब यह इस धारा को हटाकर यह अन्तिम धारा जोड़ी जा रही है और उसमें यह कहा जाता है कि ६ महीने से कम करके ३ महीने रख दी जाय। मैं इस प्रदेश के बढ़ते हुए जुए को देखते हुए यह कहता हूं कि प्रदेश की इससे हानि होगी और इससे हमारी सरकार लोगों के नैतिक स्तर को नीचे गिरा रही है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर घर में वह जुये का काम करेगा, तो वह उसमें नहीं आयेगा और जैसा कि हमारे जिले में तीतरबाजी और बटेरबाजी होती है, लेकिन उसमें पैसे का सवाल नहीं है। इसमें और भी बहुत सी बातों का जिक्र है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो हमारा जुर्म रोकने का उद्देश्य है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के संशोधन में ६ महीने और तीन महीने का अन्तर रखा जाय।

*श्री मुक्तिनाथ राय--अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को मेरे साथी ठीक से समझ नहीं पाये। श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो कहा कि अगर बेगुनाह पकड़ा जाय तो क्या हो ? मेरा कहना है कि मेरे संशोधन में यह बात नहीं है। कोई आदमी अगर गुनाह करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन महीने से कम सजा नहीं होगी, यह विधेयक में है। मैं चाहता हूं कि बजाय तीन महीने के यह सजा १ महीने कर दी जाय। मेरे संशोधन का यही अर्थ भी है। मेरे संशोधन का यह मतलब नहीं है कि बेगुनाह लोग भी इसमें फंस जायें।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने तो माननीय मंत्री जी के बारे में वह बात कही थी।

श्री मुक्तिनाथ राय--मेरा कहना है कि अगर कोई आदमी पहली बार पकड़ा जाय, तो उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरती जानी चाहिये। हमारा उद्देश्य भी यही है कि अगर लोग पहले पहल इस तरह से पकड़े जायें तो उनको सजा अधिक न मिले और मैं इसीलिये चाहता हूं कि तीन महीने के बजाय उनको १ महीने की सजा दी जाय। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लेंगे।

*श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट को माननीय मुक्तिनाथ राय जी का संशोधन स्वीकार है। कारण इसका यह है कि हम ने यह उसूल रखा था कि पहली बार जो सजा मैक्सिमम हो, दूसरे आफेन्स में वह सजा मिनिमम हो। मसलन दफा ३ के मातहत अगर कोई जुर्म करेगा तो उसके लिये जुर्माना ज्यादा से ज्यादा ५०० रुपये होगा और सजा ज्यादा से ज्यादा तीन महीने की होगी। यानी तीन महीने तक सजा होगी और जुर्माना २०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक होगा। सेकिन्ड आफेन्स के लिये जो मैक्सिमम जुर्माना ५०० रुपये फर्स्ट आफेन्स में था उसे हमने मिनिमम कर दिया और जो मैक्सिमम ५०० था उसे दो हजार कर दिया और सजा तीन महीने की कर दी। जो सेकिन्ड आफेन्स में मैक्सिमम ३ महीने की सजा थी, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा १२ महीने कर दिया।

इसी तरह से दफा ४ के मातहत जो जुर्माना होगा और जो लोग खुद जुआ खेलेंगे उसमें सजा फर्स्ट आफेन्स में १ महीना की है, लेकिन सेकिन्ड आफेन्स में यह कम से कम १ महीने और ज्यादा से ज्यादा ६ महीने होगी।

दफा १३ के मातहत जो जुर्म होगा तो उसमें फर्स्ट आफेन्स में मैक्सिमम सजा १ महीने की होगी, लेकिन सेकिन्ड आफेन्स में जो पहले जुर्म का मैक्सिमम था, हम उसे मिनिमम करना चाहते हैं। इसी उसूल के मातहत माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने भी जो संशोधन पेश किया है, उसे गवर्नमेन्ट स्वीकार करती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ की मद (३) में, मूल अधिनियम की धारा १३ के अन्तिम पैरा के खण्ड (ए) और (बी) के स्थान पर रख दिये जाने के लिये प्रस्तावित शब्दों में, शब्द "three months" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०---मूल अधिनियम की धारा १४ में वर्तमान पैरा १ और २ के बीच ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १४ का संशोधन।

में नये पैरा के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय---

"Offences under section 3 of this Act shall be non-bailable, anything contained to the contrary in any other law not-withstanding."

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से खण्ड १० का विरोध करता हूं। खण्ड १० के जो शब्द हैं, वे इस प्रकार से हैं---

"मूल अधिनियम की धारा १४ में वर्तमान पैरा १ और २ के बीच में नये पैरा के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय।

"Offences under section 3 of this Act shall be non-bailable, anything contained to the contrary in any other law not withstanding."

सरकार का जो रुख है, उसमें भिन्नता दिखायी पड़ती है। कहीं पर तो सरकार काफी सख्त हो गयी है और कहीं पर सरकार काफी ढीली हो गयी है। मैंने धारा ३ में देखा है कि सरकार ने अपना काफी सख्त रुख बनाया है और जितनी सजायें हैं, उनमें बढ़ोत्तरी की है। जहां पर सजा और जुर्माना अलग-अलग था, वहां पर दोनों कर दिया है और जुर्माने को दो हजार रुपये तक बढ़ा दिया है। पर कहीं कहीं तो सरकार ने अपने रुख में इतनी ढिलायी कर दी है कि तीन महीने की सजा को एक महीना कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिये। इसके साथ ही साथ सरकार इस बात को भी अच्छी तरह से समझती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अपराध के पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिये। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जा सकता है, जिसने अपराध नहीं किया है। इसलिये उसने कहीं-कहीं पर अपने रुख को ढीला किया है।

दूसरी बात यह है कि दफा ३ में बेल की बात भी रखी गयी है। कहीं पर तो सरकार यह चाहती है कि बेल की सुविधा न दी जाय। इसके अलावा एक बात का मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि जो व्यक्ति गैम्बलिंग हाउस रखेगा उसके साथ सख्ती की जायगी और जो व्यक्ति वहां पर जुआ खेलेगा उसके साथ उतनी सख्ती नहीं की जायेगी। तो यह दो बातें क्यों हैं, मैं सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने इस बात पर आपत्ति उठायी है कि जो व्यक्ति धारा ३ के अन्तर्गत गैम्बलिंग हाउस को चलायेगा उसके साथ तो सख्ती की जायेगी, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर जुआ खेलेगा, उसके साथ उतनी सख्ती नहीं की जायेगी। यह बात सही है। इस बात को बहुत सोच समझ कर सरकार ने रखा है। इसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

स्पष्टीकरण यह है कि जो इस प्रकार के हाउस को मेनटेन करते हैं वे समाज को खराब करते हैं, और एक बहुत बड़ी सोशल ईविल करते हैं। वे लोग समाज में एक खराब चीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिये उन के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है।

श्री राजनारायण---मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री राजनारायण---मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन पर ही बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप दो तीन मिनट में ही खत्म कर दें।

श्री राजनारायण---मैं पांच मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष---यह निर्णय हो चुका था कि यह बिल ४ बजकर ४० मिनट पर समाप्त हो जायगा।

श्री राजनारायण---मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार कई प्रकार के श्रेय इस विधेयक को प्रस्तुत करके लेना चाहती है। एक तो सरकार का कहना यह है कि हम जुये को सर्वथा और हर संभव प्रकार से रोक देना चाहते हैं और उसके लिये इस ऐक्ट में जो गुंजाइश पहले नहीं थी, वह इस विधेयक द्वारा की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की यह मंशा थी तो सरकार अपनी मंशा की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पायेगी और उसका कारण है। इस समय चौधरी चरण सिंह जी चले गये हैं, नवलकिशोर जी यहां सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसलिये मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को खड़ा करने के पूर्व की पृष्ठभूमि पर भी वे जरा गौर करें।

आप श्रीमन्, जब अनुपस्थित थे तो उनका एक तर्क था सजा कम करने के लिये। उनका कहना था कि क्योंकि हमने स्कोप बढ़ा दिया है और यह कि अगर कोई अड्डे के करीब भी पकड़ा जायगा तो भी गिरफ्तार कर लिया जायगा और उसे सजा होगी, वह सजा का भागी होगा इसलिये हम ३ महीने की जगह १ महीने का संशोधन, जो माननीय राय जी का आया है, मान रहे हैं। अगर सरकार का तर्क यह था तो यह किस प्रकार बालू की भीति पर खड़ा है उसे आप स्वयं देखें। आप देखें कि क्या सरकार जनतंत्र की व्यवस्था का हनन करने वाला विधेयक केवल शंका के आधार पर ला सकती है। सरकार कहती है कि चूंकि हमने इस विधेयक के जरिये जुआ खेलने के स्थान की परिधि बढ़ा दी है इसलिये हमें शक है कि कुछ ऐसे लोग भी पकड़े जा सकते हैं कि जो निर्दोष हों। यह माननीय नवलकिशोर जी का तर्क है ....

श्री नवलकिशोर---मेरा तर्क यह नहीं था।

श्री राजनारायण---ठीक है। अगर ऐसा हो तो ठीक है। मुझे प्रसन्नता है कि इट इज नेवर टू लेट टु अमैंड (It is never too late to amend)। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो भूला नहीं कहलाता। निवेदन यह है कि अब सरकार जरा बतला दे कि किस इच्छा और सद्बुद्धि को ले कर उसने तीन महीने की जगह पर एक महीने की सजा का संशोधन स्वीकार किया है? वह सद्भावना और सद्बुद्धि कहां रह जाती है, साधारण तरीके पर आप देखें। आप जानते हैं श्रीमन्, कि कत्ल के मुकदमें में भी कहीं न कहीं जमानत होती है, मगर इस नागरिक अपराध में सरकार कहना चाहती है कि यह नानबेलेबिल

आफेंस होगा। जो गिरफ्तार किये जायेंगे उनकी जमानत नहीं होगी। एक तरफ तो तीन महीने की सजा के स्थान पर एक महीने की सजा की जा रही है और इस हिसाब से सरकार को उदार होना चाहिये लेकिन ....

श्री नवलकिशोर—जरा विधेयक पढ़ तो लें।

श्री राजनारायण—मोतीलाल जी का संशोधन है कि सेक्शन ३ जो नानबेलेबिल आफेंस के लिये है, निकाल दिया जाय। यह तो श्रीमन्, नये-नये मंत्री बने हैं इसलिये उनको यह बात क्षम्य होनी चाहिये। मुझे उनकी इस बात के लिये कुछ निवेदन नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष—सदस्य की हैसियत से कई बार उन्होंने मंत्रियों की इसी तरह की टीका की है।

श्री राजनारायण—हम लोग इसलिये इस प्रकार का एक विधेयक चाहते हैं कि जिसमें इन सब बातों का समावेश हो और विचार करने के बाद यह बातें तय की जायं। अगर वैसा हुआ तो जमीन आसमान का फर्क हो जायगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि जरा इसको समझा जाय। इसमें परस्पर विरोधी बातें हैं। सरकार की इच्छा और सद्भावना में विरोध है। जिस भावना के वशीभूत हो कर सरकार ने तीन महीने के स्थान पर एक महीने का संशोधन स्वीकार किया है, उसे लेकर ही उसे यहां माननीय अवस्थी जी का संशोधन स्वीकार करना चाहिये। बड़े से बड़े अपराध पर हम जमानत स्वीकार करते हैं तो इस अपराध के लिये हम क्यों कह दें कि यह बिना जमानती अपराध माना जायगा? इसको तो बिना जमानती अपराध मानना ही एक बड़ा भारी अपराध है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सद्-बुद्धि आये और सरकार जो शब्द इसको देना चाहती है वह न दे। इसे जमानती अपराध के रूप में ही रखे ताकि जो लोग पकड़े जायं वह यदि जमानत पर आना चाहें तो फौरन आएं और मुकदमा लड़ सकें, उसमें वे सजा पायें या छूटें यह दूसरी बात है, लेकिन जमानत से वंचित न किये जायं और जमानत से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल ४ शब्द ही मंत्री जी की सेवा में कहने हैं। श्रीमन्, हमारे यहां जो पेनल कोड है उसमें ३२३ वगैरह की जो धारायें हैं उनमें भी दो-दो साल की सजायें हैं। तो जब इस तरह के संगीन मामलों में दो साल की कैद होते हुए भी उनमें जमानत का provision है, बेलेबिल आफेंस माने गये हैं तो यह समझ में नहीं आता कि जुआ करवाने के अपराध को क्यों नान-बेलेबिल रखा जा रहा है?

दूसरी बात श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसमें उस आदमी को जो सजा दी गयी है उसमें फर्स्ट आफेंस में केवल जुरमाने की ही सजा भी हो सकती है। अगर जुर्म साबित भी हो जाय तो कोर्ट केवल जुरमाना वसूल कर सकती है। तो सजा तो हुई केवल जुरमाने की लेकिन पुलिस किसी को अगर परेशान करना चाहती है तो वह महीनों जेल में रख सकती है। इतनी कम सजा वाले जुर्म में भी आप इसको नान बेलेबिल रख रहे हैं। कानून में यह प्रिजम्पशन है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध साबित न हो जाये तब तक वह अपराधी नहीं समझा जाता है। तो इसको देखते हुये किसी व्यक्ति को जेल में रखना कहां तक ठीक होगा? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी या तो धारा ३ में जो उन्होंने संशोधन किया है सजा के बारे में, उसमें कुछ परिवर्तन करें या इसको बेलेबिल आफेंस करार दें। मैंने भी, श्रीमन्, जो १०–१५ वर्ष प्रैक्टिस की है उससे मैं जानता हूं कि महीनों तक चार्जशीट नहीं आती है, १५-१५ दिन बाद रिमांड बदले जाते हैं। पुलिस किसी को भी हैरस करने के लिये महीनों जेल में रख सकती है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे नान-बेलेबिल न करें वरना इस प्रकार के कानून को देख कर लोग हंसेंगे।

श्री नवलकिशोर—मुझे खेद है कि माननीय अवस्थी जी की बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—श्री गोविन्दसिंह विष्ट जी का जो आर्गूमेंट है, उसी को आपको मीट करना है। आप जुर्म को चूंकि नान-बेलेबिल कर रहे हैं और सजा केवल जुर्माने की ही फर्स्ट आफेंस में रख रहे हैं जैसा खंड में ".....in the case of a first offence to fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees or to rigorous imprisonment for a term not exceeding three months ....." दिया है। उनका एतराज है कि जब जुरमाना केवल २०० रुपये ही करना चाहते हैंतो सबसे पहले तो महीने दो महीने उन पर मुकदमा चलेगा, जिसके दौरान जुर्म करने वाला जेल में रहेगा। तो केवल जुरमाने की सजा कैसे हुयी इस बहस का जवाब आपको देना है।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, सरकार की केवल एक ही मंशा है कि उन लोगों को डेटेरेंट पनिशमेंट दी जाय जो गैम्बलिंग हाउसेज को चलाते हैं, मेनटेन करते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि २०० रुपया जुरमाना ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा इससे हमारी मंशा यही है कि इसके बारे में कानून को सख्त रखा जाय,इसीलिये इसको नान-बेलेबिल रखा गया है ताकि उसको डेटेरेंट पनिशमेंट मिल सके और उसको आगे वैसा करने के लिये प्रोत्साहन न मिल सके।

एक बात और यह कही गयी कि मैंने यह कहा कि इसमें निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने खंड ४ के सिलसिले में यह कहा था कि विरोधी पक्ष को इस बात का संदेह है कि निर्दोष व्यक्ति भी पकड़ लिये जायेंगे, तो जब उनको स्वयं ऐसा संदेह है तो उनको आपत्ति करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

१—मूल अधिनियम की धारा १५ निकाल दी जाय।

प्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, संशोधित करने का,

विधेयक

इस राज्य के कई भागों में जुए का दुष्कर्म और अधिक बढ़ता और फैलता जा रहा है ;

और पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ के वर्तमान उपबन्ध इस दुष्कर्म को रोकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं और उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित करना आवश्यक हो गया है कि इसके उपबन्ध अधिक व्यापक और कठोर हो जायं जिससे कि वे प्रभावशाली प्रतिरोधक सिद्ध हो सकें ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उ० प्र० संशोधन) अधि- संक्षिप्त नियम, १९६१ कहलायेगा। शीर्षनाम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, पारित किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्,

"बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का।
जो चीरा तो इक कतरये खूं न निकला।"

यह एक शैर मैंने सुना था और इस समय उसकी याद आ गयी। सरकार ने बड़े जोशोखरोश के साथ इस बिल को पेश किया और कहा कि जुआ एक दम से बंद ही कर देंगे। हमको भी मालूम हुआ कि सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है लेकिन जब कतर व्योंत हुई तो रह गये वही ढाक के तीन पात। कहते हैं कि हमने तो हरएक तरह से जुआ खत्म ही कर दिया, लेकिन यह रमी, पलश और न जाने क्या-क्या व्हिस्की की चुस्की में होते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कदम उठाने का उनको साहस नहीं होता क्योंकि अफसरों से तो ये डरते हैं न। वे उल्टे इनका चिट्ठा खोल कर रख दें। कोई-कोई तो बड़े-बड़े उर्दू के शब्दों में लिखा कर लाते हैं, जो यहां से पढ़ा जाता है। इस प्रकार से सरकारी अफसरों के हाथ में तो उनकी नकेल है इसलिये उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की उनकी हिम्मत नहीं होती। इसीलिये ताश बंद नहीं किये जा सकते और न हार्स रेस का जुआ। आप कहते हैं कि हार्स रेस में अगर उसी दिन बैटिंग होगी तो कोई जुर्म न होगा। यह उसका लुब्बे लुबाब है कि आप जुआ बंद नहीं करना चाहते, बल्कि बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चाहते उसको गुप्त रूप से हैं।

दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी में एक कहावत है "The cat is out of the bag।" आपने रखा कि पहली बार जब जुआ खेलेगा तो एक माह की सजा होगी और दूसरी बार खेलेगा तो हम उसको त्रसित करना चाहते हैं, डेटेरेंट पनिशमेंट उसको देना चाहते हैं। ऐसा आपका कहना था। आप कहते थे कि हम डराना चाहते हैं कि कोई जुआ न खेले, तो दोबारा जुआ खेलने पर कम से कम तीन महीने की सजा की व्यवस्था आप के बिल में थी। अब उसके बाद आपका 'इरादा डायलूट होने लगा और अभी हमारे सामने संशोधन पास हो गया कि दुबारा न्यूनतम सजा १ महीना होगी। माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने इस संबंध में संशोधन पेश किया जिसे सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि तीन महीने के बजाय एक महीने की मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिये। यह एक अजीब सा सवाल है कि पहले आफेंस पर तो एक महीने की अधिकतम सजा और दूसरे आफेंस पर भी एक महीने की सजा। मैं पूछता हूं कि क्या यह भी कोई नौकरी के प्रमोशन का सवाल है कि अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर आफ स्टेट, फिर कैबिनेट रैंक और फिर कैबिनेट मिनिस्टर? आखिर यह क्या तमाशा है? श्रीमन् 'ग्राम्या', एक भाटों की तरह स्तुति करने वाले सरकारी पत्र में लेख छपा है कि वहां भी गुटबाजी है, हर जगह दोनों ग्रप अपना-अपना जोर लगा रहे हैं। यह ग्राम्या में ही छपा है कि गुप्ता गुट जिन्दा रहेगा चाहे कांग्रेस राज्य रहे या न रहे। आखिर आप सोचें कि यह क्या है। श्रीमन्, आपने उपमंत्री जी से ठीक ही कहा कि मेरे तर्क को काटो, लेकिन वे कांटें क्या, कुछ हो भी तो काटने को। उनके विधान में जहां किसी व्यक्ति को सजा पाने

[श्री गोन्दिसिह विष्ट]

पर केवल दो-तीन सौ रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है, उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जायगा। इसके क्या माने हो सकते हैं?

श्रीमन्, एलेक्शन का जमाना आ रहा है, सरकार द्वारा इस धारा का इस्तेमाल जुआड़ियों के लिये न होकर विरोधी पक्ष के लिये होगा। कहीं पर भी कोई जुआ खेलता हुआ पाया जायगा तो वह तो भाग जायगा और उसके पड़ोसी से किसी को कोई विरोध हुआ तो वही पकड़ लिया जायगा कि तुम्हारे यहां जुआ हो रहा था। और इस प्रकार से उसका बेल नहीं होगा। भले ही अल्टीमेटली जज उसको छोड़ देगा लेकिन कितनी परेशानी उसे उठानी पड़ेगी, यह जरा सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष---आप उनको नया रास्ता न सिखायें।

श्री गोविन्दसिह विष्ट---बहरहाल, यह रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। माननीय मंत्री जी इस रास्ते पर न चलें, इसलिये मेरी गुजारिश यही है कि वे जनजीवन के साथ खिलवाड़ न करें और उनको बेकार परेशान भी न किया करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपने संशोधन पर बोलने का अवसर नहीं मिला, इसलिये मैं उसी को स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने जो मूल संशोधन पेश किया, उसके बाद ही सरकार का मोटिव बदल गया। पहले जहां उसका रुख कुछ सख्त था वहां बाद में वह नरम हो गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको पोलिटिकल स्टंट नहीं कहा जा सकता है वैसे समझने वाले जो कुछ भी समझें। श्रीमन्, वैसे तो मैं नये मंत्री नवलकिशोर जी का स्वागत करता हूं, लेकिन आज वे जवाब देते हुए किस तरह से बदल गये, इसे देख कर मैं समझ गया कि सचमुच पद मिलने पर आदमी किस तरह से बदल सकता है,और मुझे तो उनकी बातों को सुन कर बार-बार बड़ी हैरत होती थी कि वे १५-२० दिन के अन्दर ही इतना कैसे बदल गये। मेरे बहुत से संशोधनों का विरोध करते हुये उन्होंने जिन तर्कों का इस्तेमाल किया, इसी प्रकार से हर कमजोर केस के बारे में कहा जा सकता है और जिन तर्कनाओं का उन्होंने पिष्ट-पेषण किया, उनको सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई।

श्री अध्यक्ष---आप अपने संशोधन के बारे में कहें।

श्री मोती लाल अवस्थी---मेरे सामने जो संशोधित संशोधन आया है, वह सचमुच हमें ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह सरकार बाहर से कुछ कहती है और अन्दर से कुछ करती है। इसलिये इस बिल का विरोध करना ही मेरा लक्ष्य है।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, यह हम सब जानते हैं कि सन् ६२ में चुनाव होने वाला है और इसीलिये चुनाव का फोबिया विरोधी पक्ष के दिमाग में है, लेकिन उसी दृष्टि से हर चीज को देखना कोई शोभा की बात नहीं है और न मैं उसका जवाब देना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष---आप उनको एश्योरेन्स दे दें कि जुए में कोई विरोधी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं पकड़ा जायगा।

श्री नवलकिशोर---हमारी कठिनाई श्रीमन्, यह है कि जब सरकार सख्ती करती है तो उसके ऐक्शन को ड्रास्टिक कहा जाता है और जब वह मुलायम होती है तो उसको मुलायम कहा जाता है। मैं समझता हूं कि यह जो दंड रखा गया है वह इस बात को सोच समझ कर रखा गया है कि किसका अपराध किस हद तक है और उसकी गम्भीरता कितनी है। मेरे दोस्त ने कहा कि हाई कालर (High Coller) के साथ कुछ नहीं होता, सो इस में 'लो कालर' या 'हाई कालर' की बात नहीं है।

अन्त में मैं कहूंगा कि विरोधी पक्ष को सरकार की नियत पर शक होता ही है इसका मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार ने इस विधेयक को केवल इसलिये पेश किया है कि जुए तथा सट्टे के दोष को जहां तक हो सके समाज से दूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१†

*विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

यह एक छोटा सा विधेयक है, हमारे सूबे में जब यहां बिजली प्रारम्भ हुई तो अलग-अलग जगह छोटी-छोटी कम्पनियां प्रारम्भ हुईं और उन्होंने बिजली देना प्रारम्भ किया। उन कम्पनियों ने सरकार से उस वक्त लाइसेन्स लिया था और उस वक्त यह शर्त भी थी कि इतने इतने क्षेत्र में वह बिजली देंगी। इस तरह के लाइसेंसी हमारे सूबे में करीब ३० हैं, १३ म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जो बिजली वितरण का काम करती हैं और ३ आदमी ऐसे हैं जो सेक्शन-होल्डर हैं जो सूबे में बिजली देते हैं। यह जो लाइसेंसी बिजली पैदा करते हैं उनकी जो क्षमता है वह धीरे-धीरे अब समाप्त हो गई है और जनता भी अब अधिक बिजली मांगने लगी है। आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे सूबे में बिजली देने का काम पहले सरकार ने लिया था और वह काम अब स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है।

आज हालत यह है कि जो लाइसेंसी हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली देने को नहीं है और वहां के रहने वाले बिजली चाहते हैं। अब यह लाइसेंसी यह चाहते हैं कि सरकार या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनको बिजली दे ताकि वह लोगों को बिजली दे सकें। आप को मालूम होगा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में यह भी नियम है कि कोई भी कम्पनी ६ प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा नहीं लगा सकती। इस कारण जो कम्पनियां बिजली देने वाली हैं उनको बाहर से ज्यादा रुपया नहीं मिलता और वह अपना काम नहीं बढ़ा सकतीं, वे चाहती हैं कि सरकार उनको रुपया दे और उनकी बिजली की मात्रा का प्रबन्ध बिजली बोर्ड की तरफ से प्रदेश में सुचारु रूप से हो।

यह छोटा सा बिल इसी कारण लाया गया कि लाइसेंसी का जो क्षेत्र है जहां के लोग अधिक बिजली चाहते हैं उस को सरकार या बिजली बोर्ड अधिक बिजली दे सके। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एटा के सेठ राम गोपाल ऐन्ड पार्टनर्स हैं, उन के पास अधिक बिजली नहीं है। वहां अरुणानगर एक नई कालोनी बन गई है जिसको मैंने भी जा कर देखा है। उन्होंने सेठ से कहा कि आप बिजली दें। इनके पास बिजली है नहीं। लोग चाहते हैं कि वहां बिजली मिले। सेठ रामगोपाल हमसे चाहते हैं कि हम बिजली दें और वह वितरण करें। तो हमने समझा कि कुछ नियम में ऐसा परिवर्तन कर दें जिससे सरकार अपने आप दे सके या किसी दूसरे को बिजली देने की इजाजत दे। पहले भी जो हमारा नियम था उसमें यह ताकत सरकार को थी कि एक एरिया में दूसरे आदमी को भी इजाजत दे दे कि वह बिजली दे। लेकिन कुछ ऐसा समझा गया कि शायद इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है या मुकदमेबाजी वगैरह ऐसी चीजें हो सकती हैं। इस कारण हम यह संशोधन ले आए हैं जिससे सरकार को यह अधिकार हो जाय

---

† ४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

कि वह अपने आप या जिसके द्वारा चाहे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिये, जहां एक लायसेन्सी है उस एरिया में बिजली दे सके। मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा बिल है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दे। समिति विधेयक की परिधि को वृद्धि कर सकने की शक्ति रखेगी।

श्रीमन्, जैसा अभी बताया गया .....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन ने दो घंटे इसके लिये निश्चित किये थे, अगर विचार करने के लिये जाय तो बड़ा लम्बा समय लगेगा। तो जब दो घंटे की बात हो चुकी है.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह उससे नहीं होता है। यह प्रस्ताव उसमें बाधक नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अब यह जबर्दस्ती करेंगे। यह हमारा अधिकार है प्रवर समिति के प्रस्ताव का उस पर तालबंदी करना चाहते हैं। यह बिजनेस कमेटी एक ऐसी सुपर कमेटी बनाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष---मैंने तो फैसला दे दिया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि यह साधारण सी बात है और संशोधन भी इसमें दो हैं। इतना तो मैं स्वीकार करता हूं कि छोटा सा संशोधन है और यह भी स्वीकार करता हूं कि इसमें कोई बड़ा हेर-फेर नहीं है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बिजली के संबंध में सरकार के जो कुछ कार्य हैं वह सब संतोषजनक हैं। आज इस प्रदेश में ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण होता जा रहा है त्यों-त्यों बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और सरकार कहती है कि हमें भी परेशानी पैदा हो गई है और हम इसकी दुरुस्ती करने के लिये संशोधन इस प्रकार का ला रहे हैं कि जिससे आगे चलकर हमको किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

उद्देश्य और कारणों को मैं पढ़ कर सुना दूं। इसमें लिखा है :---

"इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३(२)(ई) में एक ही सप्लाई क्षेत्र (area of supply) के भीतर एक से अधिक लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकार के लिये सुरक्षित रखा गया है। दूसरे शब्दों में, लाइसेंस दिये जाने से लाइसेंसदार का, अपने लाइसेंस क्षेत्र में, पूर्ण एकाधिकार (absolute monopoly) नहीं हो जाता। लाइसेंसदार के सप्लाई क्षेत्र के भीतर अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने का राज्य सरकार का सहज (inherent) अधिकार, स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो, किसी लाइसेंसदार के कार्यों को स्वयं करने लगे और लाइसेंसदार के क्षेत्र में बिजली का वितरण आरम्भ कर दे।

किन्तु यदि कोई संवैधानिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करने और वैधिक (legal) स्थिति को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देने के निमित्त उक्त ऐक्ट की पूर्वोक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को जो यह अन्तर्निहित (implied) अधिकार प्राप्त है, वह बिना विशेष विधान (legislation) के, राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी न होगा । इन कारणों से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ (२) (ई) को, प्रस्तावित संशोधन विधेयक के अनुसार, संशोधित करने का प्रस्ताव है ।"

इसमें सरकार स्पष्ट कहती है कि हमको इनहेरेन्ट राइट है । सरकार कहती है कि हम एब्सोल्यूट मोनोपली उनको नहीं दे चुके हैं । सरकार कहती है कि अभी तक कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है । लेकिन ऐसी सभी स्थितियों में एक शंका है । कहते हैं कि शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है । अब एक शंका इनको है कि कहीं ऐसी वैधानिक स्थिति पैदा न हो जाय जिससे दिक्कत पैदा हो । इसलिये संशोधन ला रहे हैं । चाहे सरकार को किसी रूप में लाने की आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन हम तो प्रदेश में बिजली वितरण और उनके उत्पादन की ओर ध्यान दिलायेंगे । सरकार ने कहा बहुत सी ऐसी कम्पनीज हैं जिनके पास बिजली देने को कम है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब ऐसी कम्पनीज हैं जिनके पास देने की बिजली नहीं है उनको डिफंक्ट क्यों नहीं कर देते ? इस ड्यूएलिज्म की क्या जरूरत है ? इससे यही होगा कि आपके हर काम में दिक्कत पैदा होगी ।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना जिसके अन्तर्गत सारे कार्य कराने के लिये एक प्रयास किया गया और उसको बिजली के बारे में सरकार ने सर्वाधिक अधिकार दे रखे हैं जिससे प्रदेश में बिजली के उत्पादन, वितरण और प्रयोग में किसी प्रकार से कहीं अवरोध पैदा न हो । अतः जो तमाम मशरूम बहुत सी कम्पनीज पहले से चल रही हैं, जो आउटडेटेड सी हो गई हैं, बिजली कम है और केवल कांमप्लीकेशन पैदा कर रही हैं तो क्या जरूरत है उनको ही बनाये रखा जाय ? मेरी तो यह धारणा है कि यह विधेयक लाना ही अनावश्यक है । यह हमारा एक प्रकार से समय और धन बरबाद करने वाला विधेयक है क्योंकि सरकार के पास जितने भी अधिकार हैं वह सब मौजूद हैं । ऐसी हालत में केवल उन कम्पनीज से इसलिये डरते हों कि कहीं किसी कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट पर मुकदमेबाजी न हो, अतः उससे प्रीवेंशन के लिये ही इसका इस्तेमाल किया गया है । अतः मैं कहूंगा कि ऐसी सम्भावनाओं को पदा ही क्यों करें ? ऐसी सम्भावनाओं को पैदा करने वाले जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको ही क्यों बनाये रखा जाय ? जब कि प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि बिजली सेन्ट्रली कंट्रोल्ड हो, नेशनलाइज्ड हो, जैसा कि प्रयास किया जा रहा है, तब हम समझते हैं इन कम्पनियों का रहना बेकार है । मार्टिन कम्पनी ने ही बहुत कुछ गलत तरीके से हमारे देश में रुपये का विदेशीपन पैदा किया ।

आज हमारे सामने संशोधन कुछ शब्दों का है :

"(*e*) the grant of a licence under this part for any purpose shall not in any way hinder or restrict—

(i) the grant of a licence to another person within the same area of supply for a like purpose; or"

श्री अध्यक्ष—यह पहले मौजूद था । इतना वह कहते हैं । (ii) को जोड़ा गया है केवल ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी को पढ़ने जा रहा हूं—

2. (ii) "the supply of energy by the State Government or the State Electricity Board within the same area where the State Government deems such supply necessary in public interest.."

तो इसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के परव्यू को बढ़ाने और अपने अधिकार को स्पष्ट कर देना ही इसकी मंशा है ।

इसके बाद एक उपधारा और बढ़ा रखी है जो कि बिल्कुल ही रिडन्डेंट है । उसमें रिपीटीशन है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

"(3) Where the supply of energy in any area by the State Electricity Board is deemed necessary under sub-clause (ii) of clause (*e*) of sub-section (2), the Board may, subject to any terms and conditions that may be laid down by the State Government, supply energy in that area notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Electricity Supply Act, 1948."

यानी बोर्ड को वह अधिकार जो अब मिल रहे हैं "subject to the terms and conditions" जो कि सरकार बनावे, ऐसा करे। यही सब बात कही जा रही है। लेकिन इन्हीं "terms and conditions" शब्द को इस जगह लिख देती, उपखंड (ii) में बढ़ा देती,

"the supply of energy by the State Government or the State Electricity Board, subject to the terms and conditions, within the same area where the State Government deems such supply necessary in public interest."

तो इस नई उपधारा (३) की आवश्यकता ही न रह जाती।

हमारे सामने एक विधेयक लाया गया जिसमें बहुत तोड़ मरोड़ करके धारायें रखी गयीं जो तीन की जगह दो ही हो सकती थीं। इन सब बातों को देखते हुये मुझे मालूम होता कि यह हेस्टिली और केयरलेसली ड्राफ्टेड है और इसमें बहुत से लूपहोल्स हैं और कुछ यह भी है कि यह हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये नहीं बनाया गया है। हमारे प्रदेश की आवश्यकता क्या है? हमारे प्रदेश की आवश्यकता है कि बिजली का उत्पादन बढ़े, उसका वितरण उचित रूप से हो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमने बनाया है उसको अच्छी तरह से रन करते हुये हम देखें ताकि बिजली का उत्पादन इतना अधिक हो जाय कि प्रदेश का औद्योगीकरण हो सके।

आज इस बिजली के बारे में बड़ी शिकायत है। पूर्वी जिलों ने बड़ी आशा लगायी थी कि औद्योगिकरण के लिये उन्हें बिजली मिलेगी, लेकिन आज वे निराश हो रहे हैं। पूर्वी प्रदेश को आप छोड़ दें, जो हमारा मध्य हिस्सा है, कानपुर को मैं मध्य हिस्सा मानता हूं, वहां हमारे पास कैसा एक बहुत बड़ा बिजली का इंस्टीट्यूशन है: उसके होते हुये भी कानपुर शहर की ही बिजली की इतनी मांग है कि सरकार ने और बिजली बढ़ाने की कोशिश की है। कानपुर में ही कुछ डिस्ट्रीब्यटर्स हैं। उन्होंने कुछ नयी लाइनें लगा रखी हैं, जी० टी० रोड में इलेक्ट्रिसिटी का ले आउट उन्होंने किया है, लेकिन कई साल हो गये आज तक किसी किसान को अपने कुयें में पम्प लगाने के लिये भी पावर नहीं मिल रही है। मालूम होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्वाधिकार दे देने के बाद वे इतने निरंकुश हो जाते हैं कि जनता की आवश्यकताओं को पहचान ही नहीं पाते हैं। मैं जब अपने हल्के में जाता हूं तो किसान मुझसे शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हमें बिजली कब मिलेगी, आप हमारी दरख्वास्तें सरकार के पास पहुंचाइये। हो यह रहा है कि बड़े-बड़े दफ्तर शहरों में कायम हैं, वहां किसान पहुंच नहीं पाते हैं जिसके कारण कुछ लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके विपरीत जो पूंजीपति हैं उनके पास जानकारी है, वे अपने इंस्टीट्यूशन उन जगहों पर खोलते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन इस प्रकार हो कि आम जनता को भी उपयोग करने को मिले। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हमें सरकार से सीधे बात करने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष---आप आज अपना भाषण समाप्त कर देंगे या कल भी बोलेंगे, यानी दो रोज बोलेंगे?

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक रोज या दो रोज बोलने की बात नहीं है, लेकिन इसकी इम्पार्टेन्स को देखते हुये यह जरूर कहूंगा कि ऐसे बिल के लिये भी बिजनेस कमेटी में पास करा

लिया कि दो घंटे में पास हो जाय। शान्तिप्रपन्न जी के विभाग में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें कहने का हक है और हम चाहते हैं कि उनके इस थोड़े से एनाउन्समेंट से कि वह बिजली कानपुर में फैलाने जा रहे हैं, काम नहीं चलेगा। उनको कानपुर के लाखों छोटे-छोटे किसानों की आशा को पूरा करना होगा जो अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिये सरकार की ओर देख रहे हैं। मैंने इसलिये विशेष तौर से कानपुर का नाम लिया कि, श्रीमन्, कानपुर की एक अपनी ही कहानी है। शहर में तो बड़ी-बड़ी मिलें और कई कारखाने हैं और हजारों लाखों की तादाद में मजदरों का जमाव है। लेकिन देहाती क्षेत्र में देखें कि वहां पर एक भी कारखाना नहीं है, किसी प्रकार के साधन उन्नति करने के लिये नहीं हैं, फिर हम कैसे कहें कि बिजली से लोगों को फायदा हो रहा है। यही बात पुखरायां की बिजली की लाइन से हो रही है। अभी वहां की ग्रामीण जनता जान नहीं पाई है कि वह इसका क्या उपयोग उठाये।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसलिये आप से पूछा कि अगर आप ५ मिनट बोलने वाले हों तब मैं सदन का समय बढ़ा दूं नहीं तो आप कल बोलेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—खैर, वैसे मैं विशेष बातें कह चुका हूं। लेकिन मैं इस संशोधन के साथ-साथ और भी संशोधन लाना चाहता था और उसके लिये मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इसको विशेष रूप से देखा जायगा।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप कल भाषण देंगे। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ अगस्त, १९६१।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०—१५३ एल० ए०—१९६१—८४५।